

इन कार्यक्रमों में लगभग 500 कॉर्पोरेट्स का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 1000 प्रतिनिधियों की भागीदारी थी। इन पहलों ने सेवानिवृत्ति योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने और एनपीएस को कॉर्पोरेट क्षेत्र के भीतर एक व्यवहार्य समाधान के रूप में प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

इसके अतिरिक्त, पीओपी के सहयोग से एनपीएस के विस्तार बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट्स को आगे बढ़ाने के लिए मौजूदा कॉर्पोरेट्स के साथ जागरूकता सत्र और बैठकें आयोजित की गईं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष के दौरान 3,112 नए कंपनियों ने एनपीएस को अपनाया और 1,36,846 नए कर्मचारियों ने एनपीएस की सदस्यता ली। पीएफआरडीए ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा अपने अंतर्निहित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए एनपीएस स्थापत्य को अपनाने पर जोर दिया है। तदनुसार, 136 सीपीएसई को पत्र भेजा गया था, जिन्होंने अभी तक एनपीएस नहीं अपनाया है। उनसे एनपीएस के लाभों पर विचार करने का आग्रह किया गया था। इसके अतिरिक्त, अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस के लाभों पर चर्चा करने के लिए बड़े सीपीएसई के साथ बैठकें आयोजित की गईं। इन पहलों के परिणामस्वरूप, 14 नए सीपीएसई अपने कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत शामिल हुए हैं।

इन पहलों ने सेवानिवृत्ति योजना के बारे में जानकारी प्रसारित करने और कॉर्पोरेट क्षेत्र के तहत कर्मचारियों के लिए व्यवहार्य समाधान के रूप में एनपीएस को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, इन प्रयासों ने कॉर्पोरेट क्षेत्र के भीतर एनपीएस के विस्तार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो सेवानिवृत्ति योजना उपकरण के रूप में इसकी प्रभावशीलता का प्रदर्शन करता है।

3.9.5 अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नामक पेंशन योजना शुरू की जो 1 जून, 2015 से प्रभावी हुई थी और सभी भारतीयों, विशेष रूप से गरीब, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने पर 2015-16 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में थी।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अटल पेंशन योजना के तहत अभिदाता के 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद 1,000 रुपये या 2,000 रुपये या 3,000 रुपये या 4,000 रुपये या 5,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम गारंटीड पेंशन शुरू हो जाएगी।

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग ने 10 अगस्त 2022 की अपनी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अटल पेंशन योजना पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 की अधिसूचना संख्या 16/1/2015-पीआर में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किए:

“परन्तु 01 अक्टूबर 2022 से कोई भी ऐसा नागरिक जो आयकरदाता है अथवा आयकरदाता रहा है, एपीवाई में शामिल होने का पात्र नहीं होगा।

यदि कोई अभिदाता जो 01 अक्टूबर 2022 को या उसके बाद इस योजना में शामिल हुआ है और, उसे आवेदन की तिथि को अथवा उससे पहले आयकरदाता के रूप में पाया गया हो तब उसका एपीवाई खाता बंद कर दिया जाएगा तथा उस तिथि तक अभिदाता को संचित पेंशन की धनराशि लौटा दी जाएगी।”

अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत प्रगति

इस योजना ने वित्त वर्ष 23-24 में नामांकन के मामले में जबरदस्त सफलता दिखाई है। अटल पेंशन योजना के तहत कुल सकल नामांकन 31 मार्च 2024 तक 6.43 करोड़ से अधिक हो गए हैं। इस योजना में वित्त वर्ष 2022-23 में 1.19 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग 1.23 करोड़ नए अभिदाता शामिल किए गए।

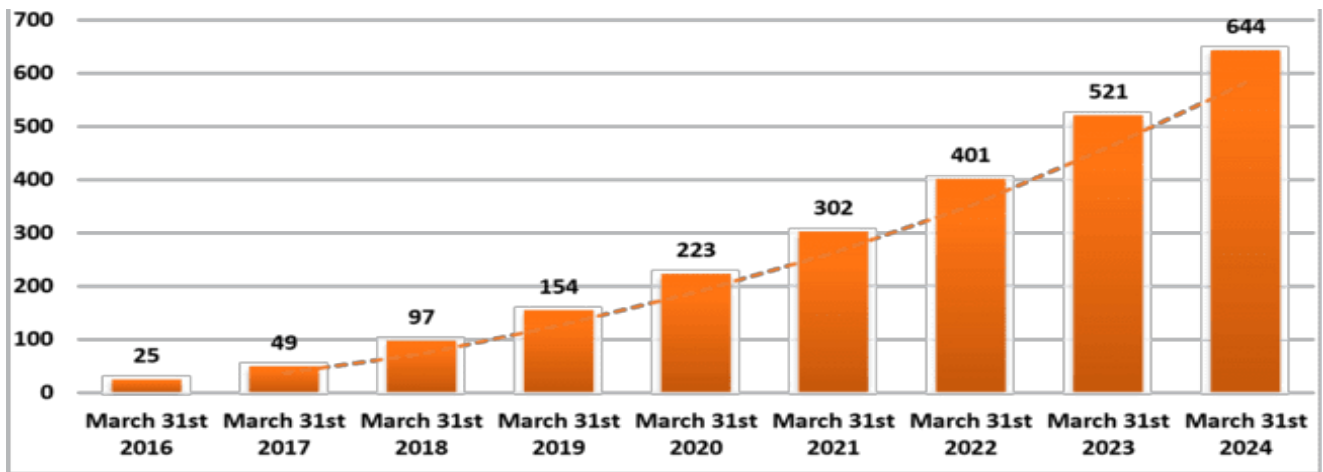
एपीवाई सेवा प्रदाताओं की सक्रिय भागीदारी के कारण इस योजना को सभी श्रेणियों अर्थात् सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों, और सहकारी बैंकों (ग्रामीण और शहरी) और डाक विभाग में अविश्वसनीय सफलता मिली थी।

अभिदाता पंजीकरण और इसके विश्लेषण के संदर्भ में वर्ष-दर-वर्ष प्रदर्शन के संबंध में विवरण नीचे दी गई तालिकाओं में दर्शाया गया है:

तालिका सं 3.36 : एपीवाई के तहत पंजीकरण बैंकों के श्रेणीवार विवरण (लाख में)

बैंकों की श्रेणी	31 मार्च 2016 को	31 मार्च 2017 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को
सरकारी क्षेत्र के बैंक	16.58	29.86	64.44	105.35	154.18	209.19	278.49	365.09	453.32
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	4.76	11.15	19.87	31.71	43.30	57.11	75.28	99.55	127.41
निजी बैंक	2.53	5.58	9.830	13.29	18.20	23.19	29.21	34.35	39.80
पेमेंट बैंक	-	-	-	0.48	3.44	8.19	12.88	15.04	15.38
डाक विभाग	0.75	1.90	2.45	2.70	3.02	3.32	3.62	3.84	3.97
लघु वित्त बैंक	-	-	-	0.09	0.15	0.35	0.86	1.65	2.41
सहकारी बैंक	0.22	0.33	0.46	0.54	0.70	0.80	0.93	1.07	1.23
कुल	24.84	48.83	97.05	154.18	223.01	302.15	401.27	520.58	643.52

चार्ट 3.9.3 : संचयी एपीवाई पंजीकरण का चित्रण



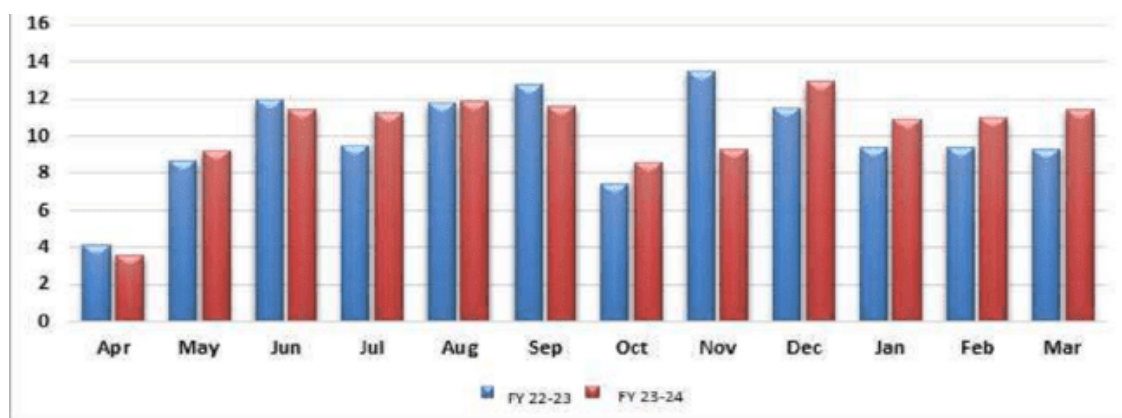
तालिका सं 3.37 : एपीवाई के तहत पंजीकरण की संख्या के राज्यवार विवरण
(अभिदाता के डाक पता/पिनकोड पर आधारित)

क्रम सं	राज्य का नाम	एपीवाई के तहत पंजीकरण की संख्या (लाख में)
1	उत्तर प्रदेश	103.33
2	बिहार	62.26
3	महाराष्ट्र	51.26
4	पश्चिम बंगाल	49.20
5	तमिलनाडु	43.70
6	मध्य प्रदेश	38.07
7	राजस्थान	34.88
8	आंध्र प्रदेश	33.84
9	कर्नाटक	32.89
10	गुजरात	23.57
11	ओडिशा	23.53
12	झारखंड	19.42
13	अन्य राज्य	127.57
कुल पंजीकरण		643.52

देश भर में एपीवाई पंजीकरण में वृद्धि हुई है। राज्यवार वितरण में, उपर्युक्त 12 राज्यों का कुल एपीवाई पंजीकरण में 80 प्रतिशत से अधिक योगदान है।

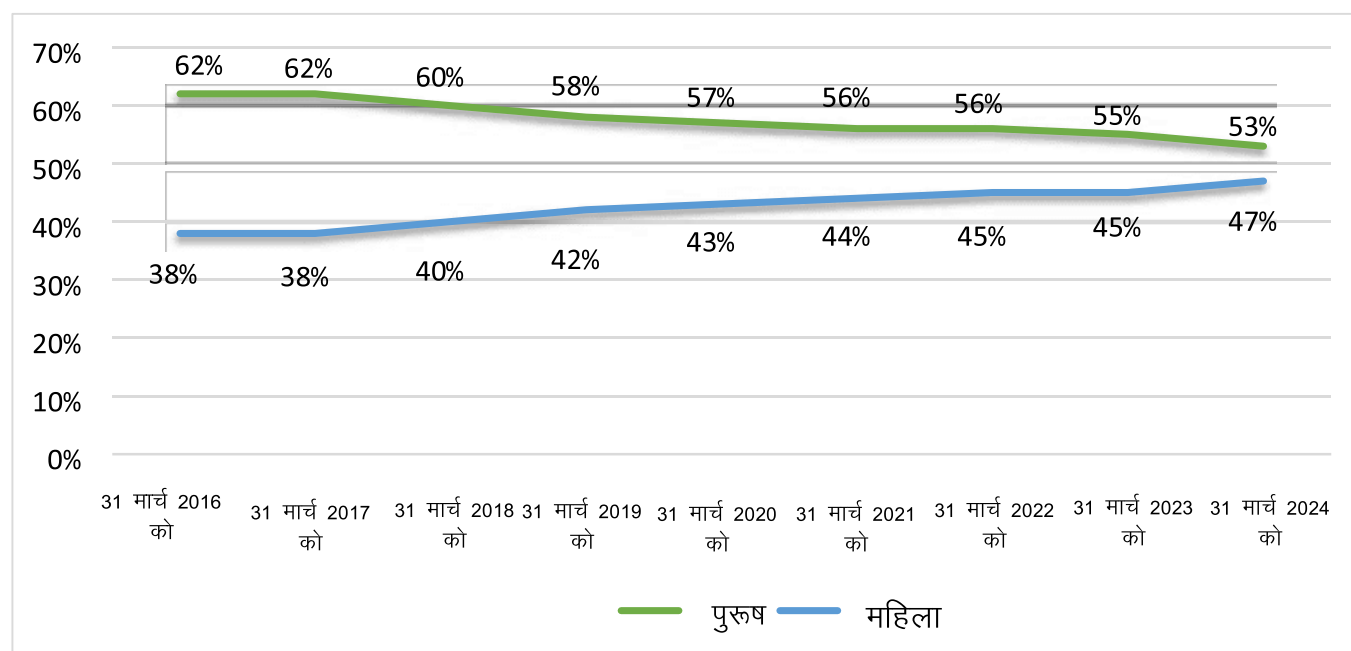
तालिका संख्या 3.38: वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मासिक एपीवाई पंजीकरण (लाख में)

अप्रैल' 22	मई' 22	जून' 22	जुलाई'22	अगस्त'22	सितंबर'22	अक्टूबर'22	नवंबर'22	दिसंबर'22	जनवरी'23	फरवरी'23	मार्च'23	कुल
4.13	8.65	11.93	9.50	11.75	12.80	7.42	13.49	11.53	9.36	9.39	9.30	119.31
अप्रैल' 23	मई'23	जून'23	जुलाई'23	अगस्त'23	सितंबर'23	अक्टूबर'23	नवंबर'23	दिसंबर' 23	जनवरी'24	फरवरी'24	मार्च' 24	कुल
3.58	9.22	11.41	11.27	11.84	11.57	8.56	9.27	12.92	10.90	10.97	11.41	122.93

चार्ट 3.9.4: मास-दर-मास एपीवाई पंजीकरण


तालिका सं. 3.39 : लिंग, पेंशन राशि तथा आयुवर्ग के आधार पर एपीवाई अभिदाताओं का विस्तृत विश्लेषण नीचे तालिका में दिया गया है:

		लिंगवार	
क्रम सं.	लिंग	प्रान संख्या	प्रतिशत
1	महिला	2,99,76,357	46.58%
2	पुरुष	3,43,57,344	53.39%
3	तृतीय श्रेणी	18,453	0.03%
	कुल	6,43,52,154	

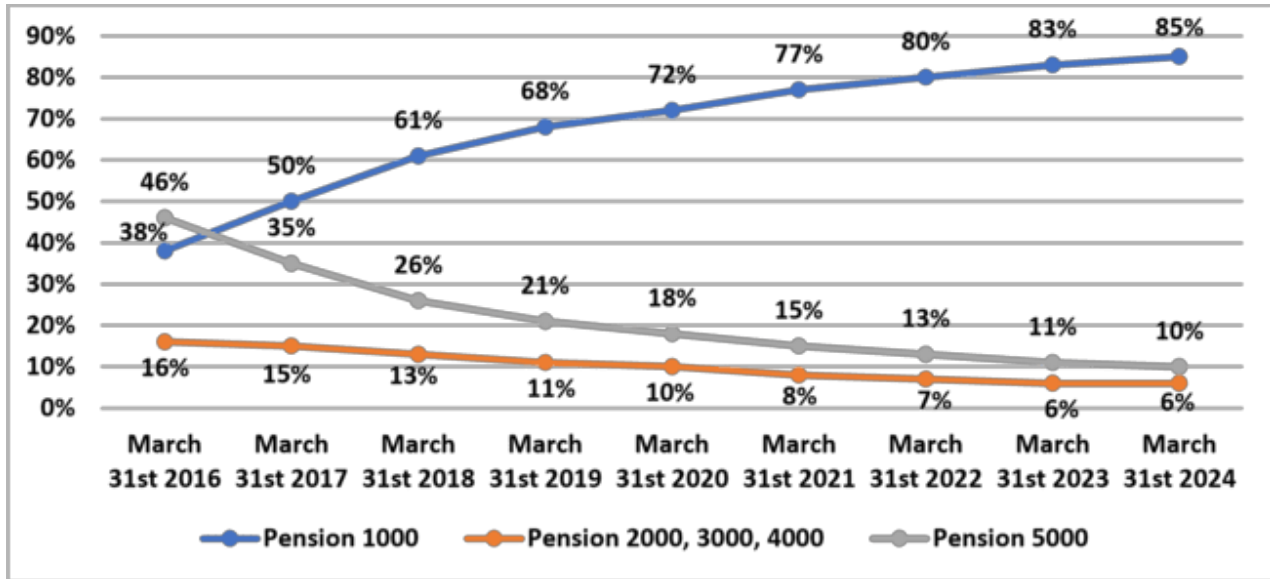
चार्ट 3.9.5 : एपीवाई पंजीकरण का लैंगिक प्रवृत्ति विश्लेषण


नोट: कुल पंजीकरण में महिलाओं की प्रतिभागिता वित्त वर्ष 22-23 में 45.42 प्रतिशत की तुलना में वित्त वर्ष 23-24 में 46.58 प्रतिशत हो गई है।

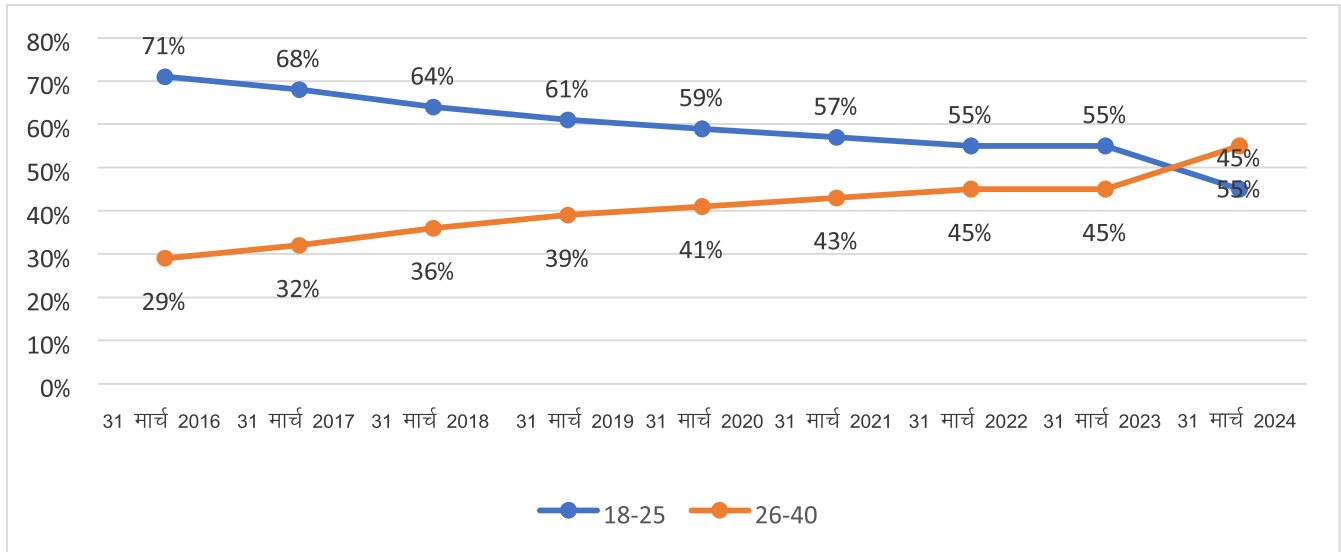
पेंशन राशि वार			
क्रम सं.	पेंशन राशि	प्रान संख्या	प्रतिशत
1	1,000	5,45,20,746	84.72%
2	2,000	22,05,876	3.43%
3	3,000	10,50,241	1.63%
4	4,000	3,98,811	0.62%
5	5,000	61,76,480	9.60%
	कुल	6,43,52,154	

नोट: 1,000 रुपये के स्लैब के तहत कुल अभिदाता वित्त वर्ष 22-23 में 82.86 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23-24 में 84.72 प्रतिशत हो गए हैं।

चार्ट 3.9.6 : पेंशन के आधार पर एपीवाई पंजीकरण का रुझान विश्लेषण



आयुवार			
क्रम सं.	आयु	प्रान संख्या	प्रतिशत
1	18 से 20 वर्ष के बीच	1,12,12,250	17.42%
2	21 से 25 वर्ष के बीच	1,78,80,857	27.79%
3	26 से 30 वर्ष के बीच	1,57,51,482	24.48%
4	31 से 35 वर्ष के बीच	1,23,63,485	19.21%
5	कुल 35 वर्ष से अधिक	71,44,080	11.10%
	कुल	6,43,52,154	

चार्ट 3.9.7 : आयुवार एपीवाई पंजीकरण की प्रवृत्ति का विश्लेषण


नोट: कमोबेश आयुवार डेटा पिछले वर्ष के समान है। 18—20 आयु वर्ग में इस वित्त वर्ष में 0.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

एपीवाई योजना का प्रबंधन तीन सार्वजनिक क्षेत्र कीपेंशन निधियों अर्थात एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड, एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड और यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड द्वारा किया जाता है। वित्त वर्ष 2017—18 से वित्त वर्ष 2023—24 तक इस योजना के प्रबंधन के तहत आस्ति नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

तालिका सं. 3.40 : निवेश प्रतिफल के संदर्भ में एपीवाई योजना का प्रदर्शन

	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2020 को	31 मार्च 2021 को	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को
एपीवाई योजना का एयूएम (करोड़ रु.)	3,817	6,860	10,526	15,687	20,922	26,700	35,647.69
एपीवाई निधि योजना का एयूएम (करोड़ रु.)	-	-	-	-	-	522.71	884.16

एपीवाई योजना ने शुरुआत से 31 मार्च 2024 तक 9.11% (सी ए जी आर) रिटर्न अर्जित किया है।

एपीवाई योजना का प्रचार और प्रसार—

i) **एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम संपूर्ण भारत में 30 स्थानों पर आयोजित किए गए**—एसएलबीसी और एलडीएम के समन्वय में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में पीएफआरडीए, बैंकों, एसएलबीसी, राज्य सरकार, आरबीआईए नाबार्ड, एसआरएलएम आदि के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

ii) **वार्षिक सम्मान कार्यक्रम और क्षेत्रीय एपीवाई सम्मान और रणनीति समीक्षा बैठकें**—अच्छा प्रदर्शन करने वाले एसएलबीसी और बैंकों को सम्मानित करने के लिए एपीवाई पुरस्कार सम्मान कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित किया गया। नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में चार क्षेत्रीय कार्यनीतिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों में एपीवाई-एसपी और एसएलबीसी संयोजकों के साथ एपीवाई के प्रचार और आउटरीच की कार्यनीतियों पर चर्चा की गई। एपीवाई के प्रति उनके निरंतर समर्थन और प्रयासों को मान्यता देने के लिए इन कार्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एसएलबीसी और एपीवाई-एसपी को भी सम्मानित किया गया।

iii) **निष्पादन समीक्षा बैठकें**— नोडल अधिकारियों और एसएलबीसी के साथ नियमित आधार पर निष्पादन समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं जिसमें उनके बैंक/राज्य में एपीवाई नामांकन की प्रगति पर चर्चा की गई। पीएफआरडीए एपीवाई एसपी का मार्गदर्शन करता है। और उनके साथ अन्य बैंकों की नई कार्यनीतियों तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करता है। अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को मीडिया सामग्री, प्रशिक्षण, एमआईएस आदि से संबंधित सभी संभव सहायता प्रदान की गई थी।

iv) **एपीवाई फ्लायर**— क्षेत्रीय भाषाओं में योजना को बढ़ावा देने के लिए एक पेजर वाला एकल एपीवाई फ्लायर अंग्रेजी में बनाया गया था जिसका भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में अनुवाद किया गया।

v) **एपीवाई अभिदाताओं के लिए स्थानीय भाषाओं में एपीवाई प्रशिक्षण और अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए**— पीएफआरडीए ने एपीवाई अभिदाताओं को वीसी के माध्यम से एपीवाई पर जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करने के लिए एक प्रशिक्षण अभिकरण को सूचीबद्ध किया है। वर्ष के दौरान, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में एपीवाई अभिदाताओं के लिए 57 जागरूकता

कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 6,641 अभिदाताओं ने भाग लिया। प्रोटियन सीआरए एपीवाई एसपी के लिए एपीवाई प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करता है। कुल मिलाकर 40 प्रशिक्षण आयोजित किए गए जिनमें 6,114 बैंक अधिकारियों ने भाग लिया। इनके अतिरिक्त, बैंकों, एसएलबीसी, एलडीएम, एसआरएलएम आदि के लिए पीएफआरडीए के अधिकारी आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण भी आयोजित करते हैं।

vi) **बेहतर प्रचार और जागरूकता के लिए ज्यादातर टीवी, रेडियो, प्रिंट और सोशल मीडिया में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में मास-मीडिया अभियानों के माध्यम से योजना को बढ़ावा देना**— हिंदी में बनाए गए 30 सेकंड के विज्ञापन को अंग्रेजी और 14 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मैथिली में अनुवाद किया गया था। इसी तरह, रेडियो जिंगल्स को हिंदी और 10 अन्य क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, असमिया, बंगाली और मलयालम में प्रसारित किया गया। लिंकडइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएफआरडीए और एपीवाई के हजारों फॉलोवर्स हैं।

vii) **केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और अन्य वित्तीय क्षेत्र के संस्थानों को शामिल करना**— पीएफआरडीए ने अन्य केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों, एसआरएलएम, आरएसईटीआई, नाबार्ड, आरबीआई, एनसीएफई आदि के साथ योजना की पहुंच के लिए प्रयास शुरू किए। पीएफआरडीए ने आरबीआई और नाबार्ड के राज्य कार्यालयों से शहरी सहकारी बैंकों, राज्य और जिला सहकारी बैंकों को पीएफआरडीए में पंजीकृत करने और एपीवाई के तहत नामांकन शुरू करने के लिए संवेदनशील बनाने का भी अनुरोध किया।

viii) **विकसित भारत संकल्प यात्रा**— केंद्र सरकार ने रथ यात्रा के माध्यम से 'विकसित भारत संकल्प यात्रा' अभियान शुरू किया जिसमें 30 योजनाओं (एपीवाई भी अभियान का हिस्सा थी) के 9 वर्षों की उपलब्धि और सभी 2.7 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने वाली ऑन-स्पॉट सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। पीएफआरडीए ने अभियान अवधि के दौरान आउटरीच कार्यक्रमों, मीडिया गतिविधियों आदि का संचालन कर पहल का समर्थन किया और सभी एपीवाई एसपी को अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्य बातें:

वित्त वर्ष 23-24 में 1,22,93,490 भारतीय नागरिकों को अटल पेंशन योजना के दायरे में लाकर एक ही वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक नामांकन हासिल किया गया है। इसके अलावा, 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने संचयी रूप से 88,21,742 अभिदाताओं को नामित किया है और 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने संचयी रूप से 27,85,358 अभिदाताओं को नामित किया है जो स्थापना के बाद से एक वित्तीय वर्ष में अब तक का सबसे अधिक नामांकन है।

वित्त वर्ष 23-24 में, सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र नामक चार बैंकों ने अपने वार्षिक लक्ष्य हासिल किए।

33 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अर्थात् आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, आर्यावर्त बैंक, असम ग्रामीण विकास बैंक, बंगीय ग्रामीण विकास बैंक, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी. बैंक, चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक, ओडिशा ग्राम्य बैंक, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक, प्रथम यूपी ग्रामीण बैंक, पुदुच्ची भरथियार ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, सप्तगिरी ग्रामीण बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्राम बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और विदर्भ कोंकण ग्रामीण बैंक ने **100 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य** हासिल किया।

निजी बैंकों में तमिलनाडु मरचेंटाइल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, नैनीताल बैंक लिमिटेड और कर्णाटक बैंक ने 30 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया।

लघु वित्त बैंकों में एयू स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने 60 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया।

7 सहकारी बैंकों अर्थात् श्री महिला सेवा सहकारी बैंक लिमिटेड, अमरेली जिला मध्यम सहकारी बैंक लिमिटेड,

कालुपुर कमर्शियल सहकारी बैंक लिमिटेड, साउथ केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मिजोरम कोऑप एपेक्स बैंक लिमिटेड ने भी 20 एएपीबी का वार्षिक लक्ष्य हासिल किया।

आगामी वर्ष अर्थात् 2024-25 के लिए योजना

इसके अतिरिक्त, योजना के बारे में जागरूकता और कवरेज बढ़ाने तथा भारत सरकार के संतृप्ति अभियान का हिस्सा बनने के लिए पीएफआरडीए वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों का संचालन किया जा सकता है।

i. बैंकों और एसएलबीसी के माध्यम से जागरूकता सृजन हेतु संपूर्ण भारत में विभिन्न स्थानों पर एपीवाई आउटरीच कार्यक्रम।

ii. टीवी, रेडियो, प्रिंट और सोशल-मीडिया के उपयोग द्वारा बेहतर प्रचार और जागरूकता हेतु क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग करते हुए मास-मीडिया अभियान।

iii. पीएफआरडी के अधिकारियों, पीएफआरडी और सीआरए द्वारा नियुक्त प्रशिक्षण अभिकरणों के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम। बैंकों और एसएलबीसी के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

iv. नियमित आधार पर वार्षिक सम्मान कार्यक्रम, क्षेत्रीय एपीवाई सम्मान और कार्यनीति समीक्षा बैठकें, एपीवाई एसपी तथा एसएलबीसी/एलडीएम के साथ प्रदर्शन समीक्षा बैठकें।

v. एपीवाई के तहत ऑनबोर्डिंग के लिए ऑनलाइन वितरण चैनलों को व्यापक आधार प्रदान करना—

क. आधार-प्रमाणीकरण के उपयोग से ई-एपीवाई पोर्टल और सीआरए के एपीवाई ऐप द्वारा।

ख. बैंकों के माध्यम से (नेट-बैंकिंग, मोबाइल ऐप और स्वयं का वेब पोर्टल)

3.10 पेंशन निधि का प्रदर्शन

तालिका सं. 3.41 : 31 मार्च 2024 को योजनावार एनपीएस-वृद्धि की प्रबंधन के तहत परिसंपत्ति (एयूएम) का विवरण

				राशि करोड़ रुपये में			
योजना	मार्च-22	मार्च-23	मार्च-24	एयूएम में वृद्धि			
				वर्ष-दर-वर्ष मार्च 22 की तुलना में मार्च 23*		वर्ष-दर-वर्ष मार्च 23 की तुलना में मार्च 24**	
				राशि	%	राशि	%
इक्विटी टियर I	30,303.85	43,261.38	76,999.16	12,957.53	42.76%	33,737.78	77.99%
इक्विटी टियर II	1,424.50	1,681.16	2,573.34	256.66	18.02%	892.18	53.07%
कुल इक्विटी	31,728.35	44,942.54	79,572.50	13,214.19	41.65%	34,629.96	77.05%
टियर I&II के सकल एयूएम में हिस्सेदारी का %	41.20%	40.78%	44.81%	39.81%		51.40%	
बांड (सी) टियर I	15,509.97	22,329.81	34,012.00	6,819.84	43.97%	11,682.19	52.32%
बांड (सी) टियर II	762.55	864.87	1,035.34	102.32	13.42%	170.47	19.71%
बांड (सी) कुल	16,272.52	23,194.68	35,047.35	6,922.16	42.54%	11,852.67	51.10%
टियर I&II के सकल एयूएम में हिस्सेदारी का %	21.13%	21.05%	19.74%	20.85%		17.59%	
जी सेक (जी) कुल टियर I	27,630.39	40,375.85	60,750.97	12,745.46	46.13%	20,375.12	50.46%
जी सेक (जी) कुल टियर II	1,214.08	1,419.11	1,797.97	205.03	16.89%	378.86	26.70%
जी सेक (जी) कुल	28,844.47	41,794.96	62,548.94	12,950.49	44.90%	20,753.98	49.66%
टियर I&II के सकल एयूएम में हिस्सेदारी का %	37.46%	37.93%	35.22%	39.01%		30.80%	
योजना ए टियर I	162.65	271.69	411.39	109.04	67.04%	139.70	51.42%
योजना ए टियर II	-	-	-	-	0	-	0

योजना ए का सकल	162.65	271.69	411.39	109.04	67.04%	139.70	51.42%
टियर I&II के सकल एयूएम में हिस्सेदारी का %	0.21%	0.25%	0.23%	0.33%		0.21%	
उप योग टियर I	73,606.86	1,06,238.73	1,72,173.52	32,631.87	44.33%	65,934.79	62.06%
उप योग टियर II	3,401.13	3,965.14	5,406.65	564.01	16.58%	1,441.51	36.35%
टियर Tier I + टियर II	77,007.99	1,10,203.87	1,77,580.17	33,195.88	43.11%	67,376.30	61.14%
एनपीएस लाइट	4,686.74	4,914.52	5,559.69	227.78	4.86%	645.17	13.13%
एपीवाई	20,922.60	26,700.12	35,647.67	5,777.52	27.61%	8,947.55	33.51%
कॉरपोरेट सीजी	47,343.05	58,766.72	77,174.94	11,423.67	24.13%	18,408.22	31.32%
डप योग कुल (निजी क्षेत्र)	1,49,960.38	2,00,585.23	2,95,962.47	50,624.85	33.76%	95,377.24	47.55%
कुल एयूएम में हिस्सेदारी का %	20.36%	22.33%	25.24%	31.30%		34.77%	
केंद्र सरकार	2,16,883.09	2,50,631.18	3,03,144.54	33,748.09	15.56%	52,513.36	20.95%
कुल एयूएम में हिस्सेदारी का %	29.44%	27.90%	25.85%	20.86%		19.14%	
राज्य सरकार	3,69,743.33	4,47,114.39	5,73,527.20	77,371.06	20.93%	1,26,412.81	28.27%
कुल एयूएम में हिस्सेदारी का %	50.20%	49.77%	48.91%	47.83%		46.08%	
उप योग (सरकार)	5,86,626.42	6,97,745.57	8,76,671.74	1,11,119.15	18.94%	1,78,926.17	25.64%
कुल एयूएम में हिस्सेदारी का %	79.64%	77.67%	74.76%	68.70%		65.23%	
स्कीम टीटीएस	6.75	12.53	17.51	5.78	85.63%	4.98	39.74%
कुल एयूएम में हिस्सेदारी का %	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%	
सकल योग	7,36,593.55	8,98,343.33	11,72,651.72	1,61,749.78	1.38	2,74,308.39	1.13%
स्रोत : एसयूपी-पीएफ							

* इसके अतिरिक्त, एपीवाई गैप फंड स्कीम में 522 करोड़ रुपये का एयूएम है।

** एपीवाई गैप फंड स्कीम में 885.89 करोड़ रुपये हैं।

तालिका सं. 3.42 : पेंशन निधि प्रबंधकों के पास एयूएम की स्थिति

क्रम सं.	पेंशन फंड का नाम	(करोड़ में)		एयूएम में वृद्धि	
		मार्च-23	मार्च-24	राशि	% वृद्धि
1	एसबीआई पेंशन फंड प्रा. लिमिटेड	3,39,006.01	4,33,384.61	94,378.60	27.84%
2	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	2,53,248.85	3,22,161.92	68,913.07	27.21%
3	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	2,40,708.60	3,02,676.55	61,967.95	25.74%
4	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	45,397.36	76,954.78	31,557.42	69.51%
5	आईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	16,466.18	28,419.13	11,952.95	72.59%
6	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	2,855.81	4,705.99	1,850.18	64.79%
7	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	744.07	1,508.72	764.64	102.76%
8	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	105.27	834.71	729.44	692.89%
9	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	142.56	576.37	433.81	304.30%
10	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	191.33	2,197.45	2,006.12	1048.53%
11	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड .	-	115.66	115.66	-

तालिका सं. 3.43: स्थापना के समय से 31.03.2024 को योजनावार पेंशन फंड वार आय (%)

31.03.2024 को विभिन्न योजनाओं के तहत स्थापना के समय से आय												
		आदित्य बिरला	एक्सिस	एचडीएफसी	आईसीआईसीआई	कोटक	एलआईसी	मैक्स लाइफ	एसबीआई	टाटा	यूटीआई	डीएसपी
सीजी							9.49%		9.67%		9.45%	
एसजी							9.45%		9.37%		9.41%	
एपीवाई							9.23%		8.93%		9.17%	
एनपीएस स्वावलंबन/ लाइट						9.66%	9.81%		9.79%		9.76%	
कारपोरेट सीजी							9.51%		9.41%			
टियर I	ई	14.38%	19.21%	15.59%	13.30%	12.58%	13.81%	16.73%	11.64%	22.48%	13.10%	3.38%
	सी	8.34%	7.59%	9.30%	9.57%	9.27%	9.03%	7.10%	9.59%	6.73%	8.71%	2.24%
	जी	7.98%	9.13%	9.09%	8.53%	8.53%	9.85%	9.30%	9.10%	8.71%	8.29%	4.41%
	ए	6.35%	6.55%	8.42%	6.72%	6.91%	7.43%	-3.11%	8.71%	7.58%	6.06%	1.54%
टियर II	ई	14.41%	19.60%	14.03%	12.04%	12.11%	11.92%	20.96%	11.50%	22.28%	11.95%	-0.74%
	सी	7.79%	6.75%	8.61%	9.40%	8.61%	8.55%	6.73%	9.14%	7.21%	8.73%	1.62%
	जी	7.36%	8.17%	9.22%	8.58%	8.29%	10.06%	7.57%	9.08%	8.98%	8.82%	1.62%
योजना टीटीएस		8.41%	6.36%	6.55%	7.20%	8.00%	7.99%	6.35%	5.75%	10.13%	6.58%	1.18%

तालिका सं. 3.44 : 1,3,5,7 और 10 वर्ष के लिए योजनावार पेंशनवार निधि से प्राप्त आय (%).

ई-टियर 1	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	34.90%	17.30%	15.76%	लागू नहीं	लागू नहीं
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	34.02%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	33.84%	17.63%	16.17%	15.08%	14.61%
	आईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	38.90%	19.03%	16.47%	14.96%	14.40%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	35.19%	18.46%	16.32%	14.70%	14.33%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	33.86%	18.34%	15.62%	13.89%	13.47%
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	35.68%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	33.99%	17.20%	14.95%	14.01%	13.78%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	39.75%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	37.25%	18.50%	15.73%	14.67%	14.51%
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	31.03.2024 को बैचमार्क रिटर्न्स	38.54%	18.42%	16.47%	15.48%	14.68%

श्री टियर 1	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	8.70%	6.26%	8.06%	लागू नहीं	लागू नहीं
	ऐक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	8.27%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	8.76%	6.36%	8.24%	7.96%	9.21%
	आईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	8.64%	6.10%	7.77%	7.64%	9.12%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	8.39%	6.01%	7.29%	7.09%	8.63%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	8.16%	5.96%	7.97%	7.56%	8.91%
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	8.06%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	8.35%	6.03%	7.86%	7.67%	8.98%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	8.47%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	8.47%	5.89%	7.57%	7.30%	8.68%
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	31.03.2024 को बेंचमार्क रिटर्न्स	8.24%	6.21%	8.54%	7.91%	9.32%

क्र. 1	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	10.05%	6.49%	8.34%	लागू नहीं	लागू नहीं
	ऐक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	9.42%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	9.65%	6.12%	8.33%	7.93%	9.38%
	आईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	9.75%	6.20%	8.12%	7.78%	9.37%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	9.98%	6.40%	8.29%	7.88%	9.44%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	9.72%	6.28%	8.47%	8.39%	9.98%
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	9.96%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	9.96%	6.16%	8.15%	7.85%	9.46%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	9.75%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	9.91%	6.13%	8.08%	7.59%	9.15%
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	31.03.2024 को बैचमार्क रिटर्न्स	9.99%	6.05%	7.89%	7.29%	8.92%

ए टियर 1	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	8.36%	7.01%	6.05%	लागू नहीं	लागू नहीं
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	6.90%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	9.16%	8.66%	8.42%	8.58%	लागू नहीं
	आईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	6.95%	6.63%	6.28%	6.73%	लागू नहीं
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	10.05%	6.14%	7.34%	7.06%	लागू नहीं
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	7.18%	6.92%	7.09%	7.57%	लागू नहीं
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	7.07%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	10.61%	7.66%	8.99%	8.87%	लागू नहीं
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	8.55%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	5.12%	6.44%	5.59%	6.05%	लागू नहीं
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

इ टियर 2	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	35.47%	17.50%	15.96%	लागू नहीं	लागू नहीं
	ऐक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	34.49%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	34.14%	17.69%	16.17%	15.10%	14.16%
	आईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	38.65%	19.04%	16.55%	15.04%	14.45%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	35.20%	18.45%	16.14%	14.59%	14.23%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	32.66%	18.01%	15.48%	13.72%	12.87%
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	35.27%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	33.33%	17.06%	14.94%	14.03%	13.79%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	39.46%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	35.17%	17.73%	15.47%	14.56%	14.49%
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	31.03.2024 को बैचमार्क रिटर्न्स	38.54%	18.42%	16.47%	15.48%	14.68%

सी टियर 2	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	8.59%	6.34%	7.92%	NA	NA
	ऐक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	7.08%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	8.79%	6.22%	8.09%	7.86%	8.57%
	आईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	8.55%	6.02%	7.72%	7.55%	9.03%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	8.22%	5.77%	7.54%	7.27%	8.68%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	8.17%	5.94%	8.32%	7.70%	8.67%
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	7.20%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	8.13%	5.64%	7.38%	7.32%	8.68%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	8.34%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	8.37%	5.87%	7.56%	7.33%	8.66%
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	31.03.2024 को बैचमार्क रिटर्न्स	8.24%	6.21%	8.54%	7.91%	9.32%

क्र. 2 टियर	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	9.77%	6.48%	8.24%	लागू नहीं	लागू नहीं
	ऐक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	8.81%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	9.79%	6.15%	8.11%	7.80%	9.24%
	आईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	9.61%	6.20%	8.11%	7.76%	9.36%
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	9.61%	6.24%	8.01%	7.61%	9.26%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	9.68%	6.37%	8.53%	8.59%	9.99%
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	8.38%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	9.85%	6.10%	8.03%	7.69%	9.36%
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	9.80%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	9.63%	6.02%	7.99%	7.59%	9.20%
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	31.03.2024 को बेंचमार्क रिटर्न्स	9.99%	6.05%	7.89%	7.29%	8.92%

सीजी	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	12.56%	7.94%	9.12%	8.59%	9.78%
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	12.45%	7.80%	9.04%	8.60%	9.86%
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	12.54%	7.76%	9.03%	8.60%	9.82%
	31.03.2024 को बैचमार्क रिटर्न्स	13.09%	7.91%	9.49%	8.72%	9.90%

एसजी	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	12.47%	7.90%	9.06%	8.52%	9.77%
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	12.36%	7.74%	9.01%	8.54%	9.88%
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	12.54%	7.75%	9.02%	8.56%	9.81%
	31.03.2024 को बैचमार्क रिटर्न्स	13.09%	7.91%	9.49%	8.72%	9.90%

कॉर्पोरेट सीजी	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	12.49%	8.04%	9.20%	8.61%	9.88%
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	12.37%	7.76%	9.01%	8.58%	9.93%
	31.03.2024 को बैचमार्क रिटर्न्स	13.09%	7.91%	9.49%	8.72%	9.90%

एनपीएस लाइट	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	12.77%	8.04%	9.00%	8.48%	9.74%
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	12.07%	7.84%	9.16%	8.71%	9.92%
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	12.42%	7.78%	8.97%	8.56%	9.86%
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	12.37%	7.77%	8.98%	8.58%	9.81%
	31.03.2024 को बैचमार्क रिटर्न्स	13.09%	7.91%	9.49%	8.72%	9.90%

एपीवाई	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	12.64%	7.99%	9.34%	8.68%	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	12.31%	7.74%	9.13%	8.69%	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	12.49%	7.64%	9.04%	8.55%	लागू नहीं
	31.03.2024 को बैचमार्क रिटर्न्स	13.09%	7.91%	9.49%	8.72%	लागू नहीं

टीटीएस	पेंशन निधि	रिटर्न्स (प्रतिफल) एक वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) तीन वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) पांच वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) सात वर्ष	रिटर्न्स (प्रतिफल) दस वर्ष
	आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड	12.71%	9.18%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	6.91%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	11.08%	7.85%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	आईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	13.32%	7.99%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड	12.58%	8.45%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड	13.08%	8.77%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड	7.01%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	11.74%	6.23%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	टाटा पेंशन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	12.68%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड	12.93%	7.24%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	31.03.2024 को बैचमार्क रिटर्न्स	14.53%				

तालिका सं. 3.45: 31 मार्च 2024 को प्रबंधन के तहत पेंशन निधिवार और योजनावार परिसंपत्तियां

(राशि रुपये करोड़ में)												
पेंशन निधि/ योजनाएं	एसबीआई	एलआई सी	यूटीआई	एचडीएफसी	आईसी आई सीआई	कोटक	आदित्य बिरला	टाटा	मैक्स लाइफ	एक्सिस	डीएस पी	कुल
केंद्र सरकार	1,05,350.61	99,208.34	98,585.59									3,03,144.54
राज्य सरकार	1,96,243.24	1,91,513.25	1,85,770.71									5,73,527.20
लाइट	2,251.64	1,627.00	1,594.20			86.84			-	-		5,559.69
एपीवाई	12,101.61	12,027.43	11,518.63						-	-		35,647.67
एपीवाई निधि योजना	297.92	311.31	274.94									884.17
कुल कारपोरेट एसजी	73,294.01	3,880.93	-						-	-		77,174.94
कुल टियर I-ई	16,896.40	5,164.50	2,152.97	36,194.65	12,384.21	2,094.28	605.8	373.49	187.4	897.02	48.43	76,999.16
कुल टियर I -सी	8,342.29	2,762.10	906.44	14,330.02	5,708.43	833.9	295.24	164.38	116.11	527.16	25.92	34,012.00
कुल टियर I -जी	17,277.52	5,203.72	1,674.59	23,927.76	9,365.27	1,445.36	530.09	256.89	270.27	759.57	39.93	60,750.97
कुल टियर I -ए	77.38	18.39	9.93	235.29	50.5	12.39	3.72	2.15	0.2	1.31	0.13	411.39
कुल टियर II -ई	523.72	151.3	89.14	1,182.69	440.04	120.19	33.42	23.98	1.3	6.75	0.81	2,573.34
कुल टियर II -सी	240.64	78.35	33.83	434.02	187.04	41.12	13.04	4.65	0.26	2.15	0.22	1,035.34
कुल टियर II -जी	482.77	213.29	64.37	645.01	281.9	71.15	26.55	8.64	0.77	3.31	0.21	1,797.97
कुल टियर II -टीटीएस	4.87	2	1.21	5.33	1.74	0.74	0.86	0.53	0.06	0.17	0	17.51
कुल	4,33,384.61	3,22,161.92	3,02,676.55	76,954.78	28,419.13	4,705.99	1,508.72	834.71	576.37	2,197.45	115.66	11,73,535.89

3.11 विनियमित आस्तियाँ

विनियमित आस्तियों में सीआरए के संचालन के उद्देश्य से विशेष रूप से बनाई गई मूर्त और अमूर्त आस्तियां शामिल हैं जिसमें एप्लिकेशन को चलाने के लिए आवश्यक सभी घटकों के साथ बेस्पोक सॉफ्टवेयर, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और सीआरए एप्लिकेशन सिस्टम के लिए विशिष्ट शेल्फ से बाहर घटक, सभी प्रासंगिक सीआरए परियोजना डेटा, डेटा सेंटर और आपदा पुनर्प्राप्ति केंद्र के समर्पित विशिष्ट हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर घटक, नेटवर्क तथा भौतिक बुनियादी ढांचे को छोड़कर अन्य सभी सुविधाएं शामिल हैं।

पंजीकरण की अवधि समाप्त होने पर या सीआरए की समाप्ति की स्थिति में सीआरए द्वारा धारित सूचना और विनियमित आस्तियों को प्राधिकरण के साथ पंजीकृत किसी अन्य सीआरए को उस समयावधि के भीतर और उस तरीके से हस्तांतरित किया जाएगा जैसा पीएफआरडीए अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के तहत या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित किया जाए।

3.12 वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाए गए या संग्रहित शुल्क और अन्य प्रभार।

एनपीएस के अभिदाताओं पर विभिन्न चरणों में अभिदाताओं की सेवा करने वाले मध्यवर्तियों द्वारा शुल्क लगाया और वसूला जाता है। एनपीएस प्रणाली में प्रवेश करने पर

एनपीएस अर्थात् पीओपी में अभिदाताओं के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार मध्यस्थ अग्रिम शुल्क संग्रहित करते हैं। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) पंजीकरण का शुल्क सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अगले चरण में सीआरए रिकॉर्ड कीपिंग अभिकरण खाता खोलने और पीआरएएन बनाने, यूनिटों को रद्द करके खाते के रखरखाव के लिए शुल्क लगाती है। प्राधिकरण परिपत्र सं.

पीएफआरडीए/2020/22/आरईजी-सीआरए/3 दिनांक 15.06.2020 ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण) विनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत 2020 में शुरू की गई केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग अभिकरणों के चयन के एक अंतर-भाग के रूप में केंद्रीय रिकॉर्डकीपिंग अभिकरणों द्वारा उपस्करदाताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लगाए जाने वाले शुल्कों के लिए मूल्य खोज तंत्र हेतु दिशानिर्देश निर्धारित किया था।

इसके बाद, अभिदाताओं के अंशदान से संबंधित प्रत्येक लेनदेन के लिए सीआरए और पीओपी दोनों द्वारा शुल्क लिया जाता है। पेंशन कोष द्वारा अभिदाताओं के निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क लिया जाता है। अभिसंरक्षक आस्तियों की अभिरक्षा हेतु प्रतिभूति शुल्क और एनपीएस ट्रस्ट के खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए अभिदाताओं से शुल्क लेते हैं।

तालिका सं. 3.46 : विभिन्न चरणों पर अभिदाताओं से लिया जाने वाला शुल्क और प्रभार

मध्यवर्ती	शुल्क शीर्ष	सेवा शुल्क *			
		निजी / सरकारी			लाइट / एपीवाई (रु. में)
सीआरए	पीआरए खोलने का शुल्क		यदि अभिदाता भौतिक प्रान कार्ड का विकल्प चुनता है, तब खाता खोलने के लिए सीआरए शुल्क (रुपये में)	यदि अभिदाता ई-प्रान का विकल्प चुनता है तब खाता खोलने के लिए सीआरए शुल्क (रुपये में)	पीसीआरए :15 केसीआरए :15 सीएएमएस :15
				स्वागत किट का भौतिक प्रेषण	
				स्वागत किट का ईमेल द्वारा प्रेषण	
		पीसीआरए	40	35	18
	प्रति खाता वार्षिक पीआरए अनुरक्षण लागत	केसीआरए	39.36	39.36	4
		सीएएमएस	40	-	18
	प्रति लेनदेन शुल्क	नोट: शुल्क में कमी वर्तमान शुल्क संरचना पर आधारित होगी जिसमें लागू कर शामिल नहीं होंगे। भौतिक या ईप्रान कार्ड रखने के लिए एनपीएस अभिदाताओं के विकल्प हेतु सीआरए द्वारा कार्यक्षमताओं को जारी करने के बाद शुल्क लागू होंगे।			
पीओपी**	-	निजी	सरकारी	-	
	अभिदाता का पहला पंजीकरण	न्यूनतम रुपये 200 अधिकतम रुपये 400 (स्लैब की सीमा में विचारणीय)	लागू नहीं	लागू नहीं	
	पहला और उसके बाद के सभी अंशदान	अंशदान का 0.5% न्यूनतम 30 रुपये अधिकतम 25,000 रुपये	लागू नहीं	लागू नहीं	
	सर्व गैर-वित्तीय लेनदेन	30 रुपये (निश्चित / फ्लेट और अविचारणीय)			
	निरंतरता > 6 महीने और 1000 रुपये का अंशदान	1,000 से 2,999 रुपये के वार्षिक अंशदान के लिए 50 रु. प्रति वर्ष 3,000 से 6,000 रुपये के वार्षिक अंशदान के लिए 75 रु. प्रति वर्ष 6,000 से अधिक के वार्षिक अंशदान के लिए 100 रु. प्रति वर्ष	लागू नहीं	लागू नहीं	
	ईएनपीएस (बाद में अंशदान के लिए)	अंशदान का 0.20% न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये (केवल एनपीएस -सर्व नागरिक और टियर-2 खातों के लिए)	लागू नहीं	लागू नहीं	

	मुक्त अंशदान के लिए ट्रेल कृताकृत्य	अंशदान का 0.20% (न्यूनतम 15 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये)		
	निकासी / प्रत्याहरण संसाधित करना	जमा राशि का 0.125 प्रतिशत जिसकी न्यूनतम राशि 125 रुपये और अधिकतम राशि 500 रुपये है।		
	एनपीएस लाइट/स्वावलम्बन	एनपीएस लाइट/स्वावलम्बन के तहत किसी भी बाद के लेनदेन का शुल्क एक वित्तीय वर्ष में एनपीएस-लाइट/स्वावलम्बन में अभिदाता द्वारा जमा किए गए कुल अंशदान का 0.25 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 20 रुपये है। ऐसी कोई अन्य लेन.देन जिसमें अभिदाता का अंशदान 10 रुपये प्रति लेनदेन है, इसमें शामिल नहीं है।***		
न्यासी बैंक	-	शून्य		
अभिरक्षक	परिसंपत्ति सेवा शुल्क	अभिरक्षण के अधीन परिसंपत्ति का वार्षिक प्रतिशत : 0.000000001770		
पेंशन निधि शुल्क	निवेश प्रबंधन शुल्क	50,000 करोड़ रुपये से 1,50,000 करोड़ रुपये तक प्रबंधन के अधीन परिसंपत्ति का स्लेब (एयूएम)	आईएमएफ (%)	
		10,000 करोड़ रुपये तक	0.09% ¹	
		10,000 करोड़ रुपये से ,50,000 करोड़ रुपये तक	0.06%	
		50,000 करोड़ रुपये से 1,50,000 करोड़ रुपये तक	0.05%	
		1,50,000 रुपये और इससे अधिक	0.03%	
एनपीएस न्यास	खर्च की प्रतिपूर्ति	एयूएम का 0.003% प्रतिवर्ष		

- * सरकारी कर्मचारियों के मामले में संबंधित सरकारों द्वारा सीआरए शुल्क का भुगतान किया जा रहा है।
- * * निरंतरता शुल्क ऐसे पीओपी के लिए देय है जिससे अभिदाता एक वित्तीय वर्ष में छह महीने से अधिक समय से जुड़ा हुआ है। न्यूनतम प्रति लेनदेन अंशदान 500.00 रुपये और न्यूनतम वार्षिक अंशदान 1000.00 रुपये है। यथा लागू जीएसटी अथवा अन्य कर इसके अतिरिक्त होंगे।
- * * * वित्तीय वर्ष के अंत में सीआरए द्वारा इकाई कटौती के माध्यम से।
- ¹इस स्लेब में 0.07 प्रतिशत की दर से लिए गए पेंशन फंड शुल्क

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न मध्यवर्तियों से पीएफआरडीए द्वारा प्राप्त शुल्क नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका सं. 3.47: वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त शुल्क (अनंतिम)

क्रम सं.	मध्यवर्ती	प्राप्त फीस (लाख रुपये में)
1	ट्रस्टी बैंक-एक्सिस बैंक	5,064.57
2	पेंशन फंड	14,956.32
3	सीआरए-प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	1,272.69
4	सीआरए-केफिन टेक्नोलॉजीज प्रा. लिमिटेड	32.05
5	सीआरए-कंप्यूटर ऐज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	2.09
6	अभिरक्षक - ड्यूश बैंक	411.06
7	सेवानिवृत्ति सलाहकार / पीओपी/एग्रीगेटर/एसपी/ईएमडी /आरएफपी प्रोसेसिंग शुल्क	39.55
कुल		21,778.32
नोट: शुल्क और प्राप्ति वास्तविक आधार पर लेखांकित की जाती हैं।		

3.13 मध्यवर्तियों और अन्य संस्थाओं अथवा संगठनों की लेखापरीक्षा सहित अपेक्षित जानकारी, निरीक्षण, पूछताछ, जांच और पेंशन फंड से जुड़ी जानकारी।

3.13.1 पूछताछ और जांच

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्राधिकरण ने दो (2) मध्यवर्तियों के खिलाफ जांच के आदेश दिए जिसमें एक मध्यवर्ती के खिलाफ जांच पूरी हो गई है, जबकि दूसरे मध्यवर्ती के खिलाफ जांच चल रही है।

3.13.2 निरीक्षण और लेखापरीक्षाएं

पीएफआरडीए एनपीएस, एनपीएस-लाइट स्वावलंबन और एपीवाई तथा प्राधिकरण में पंजीकृत सेवानिवृत्ति सलाहकारों (आरए) के उपस्थिति अस्तित्वों (प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस) का पर्यवेक्षण करता है ताकि पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम 2018 (यथा संशोधित), पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 (यथा संशोधित) और इसके तहत जारी परिचालन दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। प्राधिकरण ऑफसाइट और ऑनसाइट निगरानी तंत्र के माध्यम से पीओपी की निगरानी और पर्यवेक्षण निम्नानुसार करता है—

i) **ऑफसाइट निगरानी**— ऑफसाइट पर्यवेक्षण में पीओपी द्वारा पीएफआरडीए को प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट/प्रमाण पत्र की समीक्षा निम्नानुसार शामिल है—

क) अनुपालन रिपोर्ट (पीओपी- एनपीएस के लिए तिमाही, पीओपी-एनपीएस-लाइट स्वावलंबन के लिए छमाही और पीओपी-एपीवाई के लिए वार्षिक) पीएफआरडीए अधिनियम, पीएफआरडीए (पीओपी) विनियम 2018 (संशोधित) और उसके तहत जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अधीन निर्धारित कार्यों से संबंधित पीओपी द्वारा अनुपालन प्रस्तुत/अपवाद रिपोर्टिंग को अनिवार्य करना, जिसमें निर्दिष्ट संग्रह खाता शेष विवरण जमा करना शामिल है।

ख) प्राधिकरण द्वारा मध्यवर्तियों के लिए जारी साइबर सुरक्षा नीति के अनुपालन हेतु साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र।

ग) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान एनपीएस, एनपीएस-लाइट-स्वावलंबन और एपीवाई के तहत पीओपी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त रिपोर्ट/प्रमाणपत्रों की समीक्षा कर उन्हें संसाधित किया गया।

ii) **ऑनसाइट मॉनिटरिंग**— ऑनसाइट पर्यवेक्षण में सीधे पीएफआरडीए अधिकारियों द्वारा ऑनसाइट निरीक्षण और अधिकृत प्रतिनिधियों की लेखापरीक्षा शामिल है—

क) पीओपी का ऑनसाइट निरीक्षण सीधे पीएफआरडीए अधिकारियों द्वारा पीएफआरडीए अधिनियम, पीएफआरडीए (पीओपी) विनियम 2018 (संशोधित) और उसके तहत जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित कार्यों से संबंधित पीओपी के अनुपालन हेतु किया जाता है।

ख) मुख्यतः निरीक्षण मापदंडों में पीओपी द्वारा अपनाई

गई प्रक्रियाएं और प्रदान की जाने वाली सेवाएं शामिल हैं, जिसमें अभिदाताओं की ऑनबोर्डिंग से लेकर निकास/आहरण तक की सभी गतिविधियाँ शामिल हैं।

ग) निरीक्षण के दौरान जिन अन्य उल्लेखनीय क्षेत्रों की निगरानी की जाती है, उनमें पीओपी द्वारा अपनाई गई अभिदाता हेतु समुचित सावधानी प्रक्रिया (पीएमएल अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार केवाईसी और सीकेवाईसीआर मानदंडों के अनुपालन सहित) ऑफसाइट अनुपालन के भाग के तौर पर प्रस्तुत रिपोर्ट के सही पाए जाने के प्रति सत्यापन, क्षतिपूर्ति, यदि कोई है, का भुगतान, संग्रह खातों में शेष शामिल है।

घ) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, देश के विभिन्न भागों में स्थित पीओपी के कुल 17 योजनावार (एनपीएसए एपीवाई और एनपीएस-लाइट स्वावलम्बन) ऑनसाइट निरीक्षण किए गए।

लेखापरीक्षा रिपोर्ट—

(क) पीओपी द्वारा नियुक्त बाह्य लेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित लेखापरीक्षा संरचना के अनुसार पीओपी की वार्षिक लेखापरीक्षा की जाती है।

ख) वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, निर्धारित लेखापरीक्षा संरचना के अनुसार एनपीएस, एनपीएस - लाइट - स्वावलम्बन और एपीवाई के तहत पीओपी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की समीक्षा कर संसाधित किया गया।

ग) पीओपी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के अनुपालन और इनका सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न मामलों पर अनुपालन रिपोर्ट, लेखापरीक्षा रिपोर्ट और निरीक्षणों की समीक्षा के दौरान अवलोकन किए गए विचलन/गैर-अनुपालन के अनुसार पीओपी को सलाह जारी करना। अनुपालन/लेखा परीक्षा/निरीक्षण रिपोर्टों को बंद करने की दिशा में अनुपालन के लिए पीओपी की अनुवर्ती कार्रवाई।

घ) मौजूदा विनियमों, परिपत्रों और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए पीओपी को चेतावनी/सजगता पत्र जारी करना। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 1 (एक) पीओपी को चेतावनी पत्र जारी किया गया था।

3. **प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना—** ऑनसाइट या ऑफसाइट पर्यवेक्षण के दौरान किसी भी कथित उल्लंघन का पता चलने की स्थिति में प्रथम दृष्टया अधिनियम की धारा 28 के तहत शामिल किसी भी चूक या कृत्याकृत के

कार्य का प्रकटन करने के संबंध में विभाग पीएफआरडीए (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच के लिए की प्रक्रिया) विनियम, 2015 के अनुसार प्रभारी सदस्य (जांच और निगरानी) को औपचारिक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग द्वारा 1 (एक) पीओपी के संबंध में प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।

4. **नीतिगत मामले—** प्रक्रियाओं और प्रणालियों में सुधार के लिए विभिन्न हितधारकों से प्राप्त मांग तथा सुझावों के आधार पर पर्यवेक्षण विभाग नीति तैयार करता है या अभिदाताओं और हितधारकों के सर्वोत्तम हित में सुधार हेतु संबंधित विभागों को नीति की सिफारिश करता है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग ने निम्नलिखित नीतिगत मामलों की समीक्षा की है—

i) पर्यवेक्षण की कठोरता को कम किए बिना, लेखापरीक्षक की नियुक्ति और पीओपी की बोर्ड/लेखापरीक्षा समिति के माध्यम से रिपोर्ट प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को मजबूत करते हुए, लेखापरीक्षा की नकल को दूर करने के साथ-साथ इसके अनुपालन की लागत को कम करने हेतु पीओपी के लिए लेखापरीक्षा अवसंरचना जारी करना।

ii) पीएफआरडीए (पीओपी) विनियमों के अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के भाग के तौर पर दिनांक 01 जुलाई 2023 से एनपीएस के तहत कार्यरत पीओपी के लिए संशोधित परिचालन दिशानिर्देश जारी करना।

iii) संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले सीसीपीडी, पीओपी, एनजीओ कार्यालयों के परामर्श से पीएफआरडीए द्वारा विनियमित मध्यवर्तियों द्वारा दिव्यांगों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए अभिगम्यता दिशानिर्देशों का मसौदा तैयार करना।

5. **एफएटीएफ पारस्परिक मूल्यांकन—** एफएटीएफ प्रकोष्ठ, पीएफआरडीए जिसमें प्रमुख रूप से पर्यवेक्षण-पीओपी विभाग के सदस्य शामिल हैं, ने अंतर्राष्ट्रीय एफएटीएफ मूल्यांकन दल द्वारा आयोजित भारत के पारस्परिक मूल्यांकन सत्र के दौरान पीएफआरडीए का प्रतिनिधित्व किया और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के साथ सक्रिय रूप से समन्वय किया।

3.13.3 अधिनियम

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, दो (2) मध्यवर्तियों के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही चल रही है।

3.13.4 आंतरिक लेखा परीक्षा और निगरानी

आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग ने वार्षिक लेखा परीक्षा योजना

वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार पीएफआरडीए विभागों की जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की। योजना के अनुसार दिनांक 01 अप्रैल 2023 से शुरू अवधि के लिए पीएफआरडीए के सभी विभागों को शामिल करते हुए 25 ऑडिट किए गए। लेखापरीक्षा के दायरे में सभी परिचालन गतिविधियों तथा अभिलेख रखने की समीक्षा शामिल थी। इसमें गुणात्मक मापदंडों का मूल्यांकन, गैर-अनुपालन का जोखिम और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान, यदि कोई हो, शामिल है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और कम, मध्यम और उच्च स्तर के जोखिम के लिए संकेतकों के व्यापक सेट के आधार पर सभी विभागों के लिए संशोधित जोखिम आधारित रैंकिंग शुरू की गई थी।

विभाग द्वारा संबंधित विभागों के परामर्श से कुछ परिचालन मापदंडों को लागू करके निगरानी तंत्र शुरू किया गया था। रिपोर्टों के विश्लेषण के आधार पर संबंधित विभागों को मुद्दों

से संबंधित कार्रवाई का सुझाव दिया गया था। पीएफआरडीए में निरंतर निगरानी तंत्र के परिणामस्वरूप एनपीएस अवसंरचना की मजबूत और कुशल निगरानी होने की आशा की गई है।

3.14 अन्य

3.14.1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली तथा अधिनियम के अंतर्गत शामिल अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाता (श्रेणीवार)

i) विगत वर्षों में एनपीएस तथा एपीवाई के अधीन अभिदाताओं की संख्या

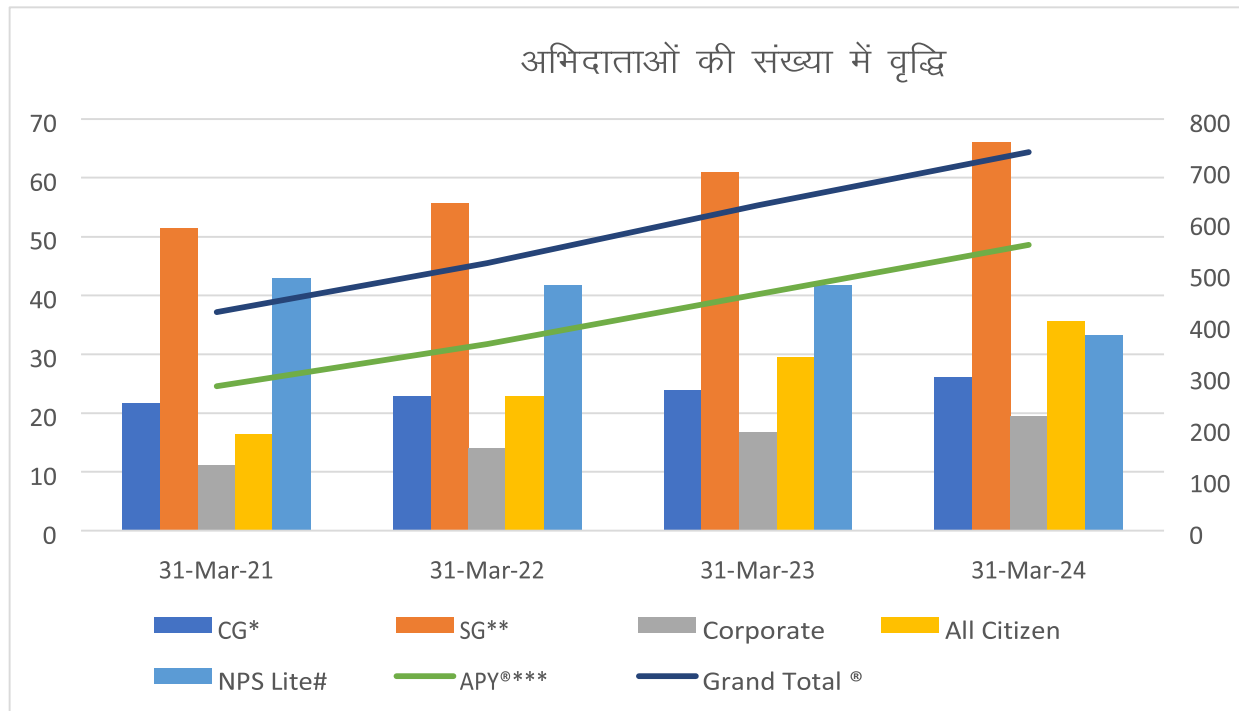
एनपीएस और एपीवाई में अभिदाताओं का नामांकन मार्च 2023 में 632.55 लाख से बढ़कर मार्च 2024 में 735.55 लाख हो गया। 2023-24 के दौरान अभिदाताओं की संख्या में 16.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अभिदाताओं की क्षेत्रवार संख्या नीचे तालिका में दी गई है।

तालिका सं. 3.48 : एनपीएस/एपीवाई के तहत अभिदाताओं की क्षेत्रवार संख्या:

क्षेत्र	मार्च 2023 (संख्या लाख में)	मार्च 2024 (संख्या लाख में)	एक वर्ष में वृद्धि	
			शुद्ध वृद्धि	प्रतिशत
			(संख्या लाख में)	
केंद्र सरकार	23.97	26.07	2.10	8.76
कुल का %	3.78	3.54	-	-
राज्य सरकार	60.96	65.96	5.00	8.20
कुल का %	9.63	8.97	-	-
कॉर्पोरेट	16.82	19.48	2.66	15.81
कुल का %	2.66	2.65	-	-
सर्व नागरिक/यूओएस	29.57	35.64	6.07	20.53
कुल का %	4.67	4.85	-	-
एनपीएस लाइट/स्वावलंबन*	41.76	33.28	-	-
कुल का %	6.60	4.52	-	-
* एपीवाई	459.47	555.12	95.65	20.82
कुल का %	72.64	75.47	-	-
कुल योग	632.55	735.55	103.00	16.28

*01 अप्रैल 2015 के बाद नए पंजीकरण की अनुमति नहीं दी गई

चार्ट 3.14.1 : एनपीएस और एपीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं की वर्षवार संख्या



ii) अभिदाताओं की क्षेत्रवार संख्या

सरकारी क्षेत्र

तालिका सं. 3.49 : सरकारी क्षेत्र में 31 मार्च 2024 को अभिदाताओं की संख्या, अंशदान और एयूएम

क्षेत्र	अभिदाता (लाख में)	अंशदान (करोड़ रुपये में)	एयूएम (करोड़ रुपये में)
केंद्र सरकार	26.07	2,19,498	3,22,215
राज्य सरकार	65.96	4,20,097	5,82,673
कुल	92.03	6,39,595	9,04,888

सरकारी अभिदाताओं की संख्या मार्च 2023 के अंत में 84.93 लाख से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 92.03 लाख हो गई जिसमें 7.10 लाख की वृद्धि दर्ज की गई (7.71 प्रतिशत)

iii) निजी क्षेत्र

तालिका सं. 3.50 : सरकारी क्षेत्र में 31 मार्च 2024 को अभिदाताओं की संख्या, अंशदान और एयूएम

विवरण	अभिदाता (लाख में)	अंशदान (करोड़ रुपये में)	एयूएम (करोड़ रुपये में)
कॉर्पोरेट क्षेत्र	19.48	1,16,071	1,66,729
सर्व नागरिक / यूओएस	35.64	61,048	59,826
कुल	55.12	1,77,120	2,26,555

निजी क्षेत्र में कॉर्पोरेट अभिदाताओं की संख्या मार्च 2023 में 16.82 लाख से बढ़कर मार्च 2024 में 19.48 लाख हो गई है, इसमें 2.66 लाख अभिदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई जो 15.81 प्रतिशत वृद्धि है। यूओएस/सर्व नागरिक के अंतर्गत अभिदाताओं की संख्या मार्च 2023 के अंत तक 29.57 लाख से बढ़कर मार्च 2024 के अंत तक 35.64 लाख हो गए हैं, इसमें 6.07 लाख अभिदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई जो 20.53 प्रतिशत वृद्धि है।

iv) असंगठित क्षेत्र

तालिका सं. 3.51 : 31 मार्च 2024 को अभिदाताओं की संख्या, अंशदान और एनपीएस लाइट तथा एपीवाई के अंतर्गत एयूएम

विवरण	अभिदाता (लाख में)	अंशदान (करोड़ रुपये में)	एयूएम (करोड़ रुपये में)
एनपीएस लाइट	33.28	3,359	5,560
अटल पेंशन योजना	555.12	31,098	35,647
एपीवाई फंड स्कीम	-	-	886
कुल	588.40	34,457	42,093

एनपीएस लाइट और एपीवाई के तहत अभिदाताओं की संख्या मार्च 2023 में 501.23 लाख से बढ़कर मार्च

2024 में 588.40 लाख हो गई है, जिसमें 87.17 लाख की वृद्धि हुई है (17.39 प्रतिशत वृद्धि)।

- एनपीएस लाइट योजना में नया प्रवेश दिनांक 01 अप्रैल 2015 से बंद कर दिया गया है और एपीवाई को 09 मई 2015 से शुरू किया गया था जिसने 01 जून 2015 से कार्य करना आरंभ कर दिया है। एपीवाई भारत के गरीबों और वंचित नागरिकों पर केंद्रित है। यह 60 वर्ष की आयु के बाद परिभाषित पेंशन प्रदान करती है।
- एपीवाई योजना का प्रबंधन तीन सार्वजनिक क्षेत्र की पेंशन निधियों – एलआईसी, एसबीआई और यूटीआई द्वारा किया जाता है। मार्च 2024 में इस योजना के प्रबंधन के तहत 35,647 करोड़ रु. की परिसंपत्ति थी।

3.14.2 उपस्थिति अस्तित्व

उपस्थिति अस्तित्व धारा 27 की उपधारा (3) के तहत प्राधिकरण में पंजीकृत एक मध्यस्थ है जो धन और निर्देशों को प्राप्त करने व प्रेषित करने और धन के भुगतान के उद्देश्य से केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण के साथ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी में सक्षम है। पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 20 के अनुसार अंशदान और निर्देशों का संग्रहण व संचरण केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को उपस्थिति अस्तित्वों के माध्यम से होगा। इसलिए पीओपी अभिदाता को एनपीएस अभिदाता के रूप में शामिल करते समय उससे चर्चा की जाती है तथा पंजीकरण, अपने अभिदाता को जानें (केवाईसी) सत्यापन, अभिदाताओं से अंशदान तथा निर्देश प्राप्त करने व धन शोधन निवारण (पीएमएल) अधिनियम, 2002 और इसके तहत निर्मित तथा समय-समय पर लागू नियमों के अनुपालन सहित उसके प्रसारण से संबंधित कार्य करते हैं।

दिनांक 10.01.2024 को अधिसूचित संशोधित विनियमों के अनुसार कोई आवेदक निम्नलिखित पेंशन योजनाओं में से किसी एक या अधिक के संबंध में उपस्थिति अस्तित्व के रूप में पंजीकरण की मांग कर सकता है:

क. राष्ट्रीय पेंशन योजना

ख. अटल पेंशन योजना, अथवा

ग. प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित या प्रबंधित कोई अन्य योजना

1. पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करना :

वित्तीय वर्ष के दौरान 32 संस्थाओं को उपस्थिति अस्तित्व की श्रेणी के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किए गए।

एनपीएस स्थापत्यके अधीन दिनांक 31.03.2024 तक प्राधिकरण में 363 उपस्थिति अस्तित्व (एनपीएस रेगुलर/एग्रीगेटर/एपीवाई-एसपी) पंजीकृत हैं।

II. उपस्थिति अस्तित्व के कर्तव्य और दायित्व :

(1) उपस्थिति अस्तित्व अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, निर्देशों और प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कार्यों के संबंध में कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा:

(क) भावी अभिदाताओं से चर्चा :

- (i) अधिनियम के तहत पेंशन योजनाओं से संबंधित प्रश्नों का उत्तर, और
- (ii) पेंशन योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार सूचना उपलब्ध कराना और उन्हें प्रदर्शित करना।

(ख) अभिदाताओं का पंजीकरण :

- (i) अपने अभिदाता को जाने (केवाईसी) रिकॉर्ड सहित अभिदाता पंजीकरण के अनुरोध स्वीकार करना।
- (ii) अभिदाता सावधानी प्रक्रिया का संचालन, और
- (iii) अनुरोध को केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण प्रणाली में या प्राधिकरण द्वारा निर्देशित पद्धति और तरीके से संसाधित करना।

(ग) अंशदान संसाधित करना :

- (i) प्रत्येक पेंशन योजना के लिए संग्रह खाता खोलना और परिचालन करना।
- (ii) अभिदाता अथवा उनके नियोक्ता से अंशदान प्राप्त करना।
- (iii) अंशदान विवरण अपलोड करना और केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण से अभिदाता अंशदान फाइल तैयार करना।
- (iv) न्यासी बैंक में खोले गए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास खाते में अंशदान जमा करना।

(घ.) अभिदाता के अनुरोधों पर सुनवाई :

- (i) अनुरोध अथवा अनुदेश प्राप्त करना, संसाधित करना और अनुमोदन प्रदान करना।

(च) अभिदाता शिकायत निवारण :

- (i) विनियमों के अनुसार शिकायत प्राप्त करना और उनका समाधान करना।

(छ) निकासी और प्रत्याहरण संबंधी अनुरोधों को संसाधित करना:

(i) निर्धारित दस्तावेजों और केवाईसी रिकॉर्ड सहित पेंशन योजनाओं से बाहर निकलने तथा निकास के लिए अनुरोध प्राप्त करना।

(ii) अभिदाता या नामिती या कानूनी उत्तराधिकारी को उचित परिश्रम प्रक्रिया का संचालन करना।

(iii) केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग अभिकरण में निकासी और प्रत्याहरण अनुरोधों को संसाधित व अनुमोदित करना।

(ज) दस्तावेजों का रखरखाव और केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को हस्तांतरण।

(i) प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विधि और तरीके से निर्दिष्ट दस्तावेजों और केवाईसी रिकॉर्ड सहित फॉर्म इत्यादि को केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को बनाए रखना और स्थानांतरित करना।

(झ) अनुपालन रिपोर्ट तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

(i) प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्रों, दिशानिर्देशों और निर्देशों के तहत निर्धारित अनुपालन रिपोर्ट और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।

III. परिपत्र जारी करना

1. ई-केवाईसी सेतु प्रणाली का उपयोग करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 11क की उपधारा (1) के तहत संस्था को सूचित कर पहचान का सत्यापन।

तर्क—

क. राजस्व विभाग (डीओआर); वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 06 दिसंबर 2022 की राजपत्र अधिसूचना एसओ 5683 (ई) में अधिसूचित किया गया कि ई-केवाईसी सेतु प्रणाली का उपयोग करते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 11क के प्रयोजनों के लिए आधार अधिनियम, 2016 के तहत प्रमाणीकरण करने के लिए नियंत्रित संस्थाओं को ऐसा करने की अनुमति इस बात की संतुष्टि होने के बाद दी जाएगी कि ई-केवाईसी सेतु प्रणाली आधार अधिनियम के तहत गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करती है।

ख. सुचारु रूप से ऑन-बोर्डिंग के लिए ई-केवाईसी सेतु प्रणाली का उपयोग करने वाली एनपीसीआई और रिपोर्टिंग संस्थाओं की सहायता के लिए परिपत्र में विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निश्चित की गई हैं।

2. अपने अभिदाता को जानें/धन शोधन रोधी/वित्तीय प्रतिरक्षा संबंधी दिशानिर्देश परिपत्र सं. पीएफआरडीए/2023 / 05 / आरईजी – पीओपी / 02 दिनांक 12.10.

2023 को पुनः परिचालित किए गए थे।

तर्क—

क. (पीओपी) के रूप में पंजीकृत संस्थाओं को पीएफआरडीए उपस्थिति अस्तित्व विनियम, 2018 के विनियमन 15 के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की अर्हताओं का पालन करना आवश्यक है।

ख. दिशानिर्देशों को एफएटीएफ की सिफारिशों के अनुरूप संशोधित किया गया है।

3. लेखा एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के तहत वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता:

तर्क—

क. पीएफआरडीए ने अपने परिपत्र सं. पीएफआरडी / 2022 / 26/एफटी एंड डीए/02 दिनांक 30 सितंबर 2022 के अंतर्गत एनपीएस अभिदाताओं को खाता एग्रीगेटर फ्रेमवर्क के माध्यम से अपने एनपीएस डेटा को पोर्ट करने के लिए सशक्त बनाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत पीएफआरडीए द्वारा नियुक्त केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग अभिकरणों (सीआरए) को वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में नामित किया गया है।

ख. वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईपी) का अर्थ किसी वित्तीय क्षेत्र के विनियामक में पंजीकृत और उसके द्वारा विनियमित संस्था से है। ऐसा उल्लेख किया गया है कि पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के तहत पंजीकृत उपस्थिति अस्तित्व वित्तीय सूचना उपयोगकर्ता (एफआईपी) के रूप में कार्य करेगा।

4. पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के तहत पीओपी-उप संस्था (पीओपी-एसई) को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) का लौटाना और इसके लिए किए गए संशोधन।

तर्क—

क. संशोधित विनियमों के प्रावधानों के तहत, पीओपी-उप संस्था (पीओपी-एसई) को अभिकरण मॉडल के तहत शामिल कर लिया गया है जिसमें उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) इन संस्थाओं (पीओपी-एसई) को पेंशन एजेंट के रूप में नियुक्त कर सकते हैं और पेंशन योजनाओं के वितरण के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

ख. तदनुसार, उपस्थिति अस्तित्वों को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार पंजीकरण रद्द करने के लिए प्राधिकरण को उपस्थिति उप-संस्थाओं से संबद्ध उपस्थिति

अस्तित्व का पंजीकरण प्रमाण पत्र लौटाना होगा।

5. पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियमन 5 के उप-विनियमन (ड.) के तहत न्यूनतम निवल मूल्य के पात्रता मानदंडों को पूरा करना और उसके संशोधन

तर्क—

क. संशोधित नियमों के अनुसार, तत्काल पूर्ववर्ती तिमाही के अंतिम दिन न्यूनतम निवल संपत्ति की मांग बढ़ाकर दो करोड़ रुपये (जिसमें पचास लाख रुपये की न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी शामिल होगी) कर दिया गया है।

ख. तदनुसार, उपस्थिति अस्तित्व (ओं) को प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समयसीमा के अनुसार निवल मूल्य की सीए प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

6. पूर्ववर्ती पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के विनियम 3 (1) (iii) के तहत जारी मौजूदा पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) का अभ्यर्पण।

तर्क—

क. संशोधित विनियमों के अनुसार, इन संशोधनों से पहले, भौतिक या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल अपने कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के वितरण एवं सेवा के लिए पहले से पंजीकृत यूनिट (ओं) अपना पंजीकरण प्रमाण पत्र सौंप देगी, और प्राधिकरण द्वारा निर्देशित तरीके से पंजीकरण या प्राधिकरण की मांग करेगी अथवा अपने कर्मचारियों के लिए, जो अभिदाता हैं, इस प्रकार निर्देशित समयावधि के भीतर उपस्थिति अस्तित्व से जुड़े रहेंगे।

ख. तदनुसार, संबंधित पीओपी (ओं) संशोधित नियमों के अनुसार अनुपालन करेंगे।

IV. एडवाईज़री जारी करना:

क. आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया गया है, उसके लिए निर्धारित प्राधिकरण को अपना आधार संख्या सूचित करना अनिवार्य है ताकि आधार और पैन को जोड़ा जा सके।

ख. तदनुसार, दिनांक 30 जून 2023 तक पैन और आधार को लिंक करने के लिए एडवाईज़री जारी की गई थी।

V विनियम और संशोधन:

1. यह अधिसूचना बैंकों और गैर-बैंकों को एनपीएस अभिदाताओं को शामिल करने के लिए पीओपी के रूप में काम करने में सक्षम बनाती है। विशेष रूप से, एनपीएस के लिए एकल पंजीकरण अब निर्धारित किया गया है, जिससे कई पंजीकरणों की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है और पीओपी एक मजबूत डिजिटल उपस्थिति बनाए रखते हुए केवल एक शाखा के साथ प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आवेदनों को संसाधित करने की समयसीमा 60 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है।

VI. अभिदाताओं/निगमों के लिए पीओपी का विकल्प— एनपीएस स्थापत्यके तहत अभिदाता/निगम (कर्मचारी-नियोक्ता संबंध) अपनी पसंद के अनुसार अपनी उपस्थिति अस्तित्व चुन सकते हैं। उपस्थिति अस्तित्वों की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाती है जिसे नियमित रूप से संशोधित किया जाता है।

3.14.3 प्रबंधन के अंतर्गत स्कीमवार आस्तियां

प्रबंधन के अंतर्गत योजनावार आस्तियों के विवरण नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

तालिका सं. 3.52 : योजनावार प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियां (एयूएम)

तालिका 1 प्रबंधन के अंतर्गत परिसंपत्तियों का विवरण (राशि करोड़ रुपये में)				
स्कीम	मार्च 23	मार्च 24	शुद्ध वृद्धि	% वृद्धि
केंद्र सरकार	2,50,631.18	3,03,144.54	1,78,926.17	25.64%
राज्य सरकार	4,47,114.39	5,73,527.20		
योग	6,97,745.57	8,76,671.74		
एनपीएस लाइट	4,914.52	5,559.69	95,743.68	47.61%
एपीवाई	26,700.12	35,647.67		
एपीवाई गोप फंड स्कीम	522.71	884.17		
कॉर्पोरेटी सीजी	58,766.72	77,174.94		
टियर I—ई	43,261.38	76,999.16		
टियर I—सी	22,329.81	34,012.00		
टियर I—जी	40,375.85	60,750.97		
टियर I—ए	271.69	411.39		
टियर II—ई	1,681.16	2,573.34		
टियर II—सी	864.87	1,035.34		
टियर II—जी	1,419.11	1,797.97		
टीटीएस	12.53	17.51		
योग	2,01,120.47	2,96,864.15		
कुल योग	8,98,866.04	11,73,535.89	2,74,669.85	30.56%

उक्त तालिका से संकेत मिलता है कि सरकारी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं (सीजी और एसजी) के लिए प्रबंधन के तहत आस्तियों में लगभग 25.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तथापि, इन दो योजनाओं के अतिरिक्त, अन्य योजनाओं के प्रबंधन के तहत आस्तियों में लगभग 47.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पूर्ण संख्या के संदर्भ में सरकारी क्षेत्र की योजनाओं में इस दौरान कुल 1,78,926.17 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सरकारी क्षेत्र की योजनाओं के अलावा अन्य योजनाओं में कुल 95,743.68 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।

3.14.4 केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण

केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण द्वारा एक ऐसी प्रणाली (पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 21 के तहत परिभाषित) गठित करने की आवश्यकता है जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की संरचना के अंतर्गत अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए आंतरिक संगठन और परिचालन आचरण के मानकों का अनुपालन

करती है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) पीएफआरडीए तथा अन्य एनपीएस मध्यवर्तियों जैसे पेंशन निधि, वार्षिकी सेवा प्रदाता, न्यासी बैंक, नोडल कार्यालय, उपस्थिति अस्तित्व आदि के लिए प्रचालन इंटरफेस का कार्य भी करती हो।

वर्तमान में निम्नलिखित तीन संस्थाओं को एनपीएस स्थापत्यके तहत केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरणों के रूप में पंजीकृत किया गया है:

(क) प्रोटियन ई-गोव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(ख) केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

(ग) कंप्यूटर ऐज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड

संपर्क विवरण

अभिदाताओं सहित सभी हितधारकों की व्यापक पहुंच तथा उन्हें लाभान्वित करने के लिए सीआरए के संपर्क विवरण पीएफआरडीए की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए हैं। इन्हें निम्नानुसार पुनः प्रदर्शित किया जा रहा है:

नाम	कंप्यूटर ऐज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
पंजीकरण सं.	सीआरए003
वैधता	30 मार्च 2021 — शाश्वत
वेबसाइट	www.camsnps.com
पंजीकृत पता	नं. 10 (पुराना नं. 178), एम.जी.आर. सलाई, नंगमबक्कम, चैन्नई-600034
संपर्क व्यक्ति	श्री श्रीवास्तव के
ई-मेल	cragro@camsonline.com
दूरभाष	044 _ 6602 4888
पत्राचार पता	नं. 158, रायला टावर्स, अन्ना सलाई, चैन्नई-600002
नाम	केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
पंजीकरण सं.	सीआरए002
वैधता	14 जून 2016 से 13 जून 2026
वेबसाइट	https://nps.kfintech.com/
संपर्क पता	सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31 और 32, फाइनेशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरीलिंगमपल्ली, हैदराबाद-500032
ई-मेल	सुश्री अनिथा चाटला
दूरभाष	cgro.cra@kfintech.com
कॉल सेंटर नं.	040 _ 67162222 1800 208 1516

नाम	प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
पंजीकरण सं.	सीआरए001
वैधता	25 जनवरी 2021 — शाश्वत
वेबसाइट	प्रथम मंजिल, टाइम्स टॉवर, कमला मिल्स कम्पाउंड,
पता	लोवर परेल, मुंबई-400013
संपर्क व्यक्ति	श्री मंदार कर्लेकर
ई-मेल	http://npscra.nsdl.co.in/ cgro@nsdl.co.in
दूरभाष	022 _ 4090 4788
कॉल सेंटर नं.	1800 2100 080 (एनपीएस अभिदाता) / 1800 2100 081 (एनपीएस नोडल
हेल्पडेस्क नंबर	अधिकारी) / 1800 889 1030 (एपीवाई)
क्षेत्रीय कार्यालय	022 _ 2499 3499
पता	1. अहमदाबाद के लिए — यूनिट नं. 407, 4वीं मंजिल, 3 आई वन कमर्शियल काम्पलेक्स कोआपरेटिव सोसायटी लिमि., विजय सेल्स स्टोर के ऊपर, सी.जी. रोड, निकट पंचवटी सर्किल, अहमदाबाद-380006
	2. चेन्नई के लिए — 6ए, 6वीं मंजिल, केनीज टॉवर, 1 रामकृष्णा स्ट्रीट, नार्थ उस्मान रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017
	3. दिल्ली के लिए — 409/410, अशोका एस्टेट बिल्डिंग, 4वीं मंजिल, बाराखंबा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
	4. कोलकाता के लिए — 5वीं मंजिल, द मिलेनियम, फ्लैट नं. 5डब्ल्यू, 235/2ए, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020

सीआरए की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

सीआरए की प्रमुख भूमिका और जिम्मेदारियाँ इस प्रकार हैं:

i. निरंतर वृद्धि और नई कार्यप्रणालियों का विकास— यह सीआरए की जिम्मेदारी है कि वह देश भर में सुविधा केंद्रों का नेटवर्क बनाए और स्थापित करे। उन्हें विभिन्न नई कार्यप्रणालियों/उपयोगिताओं को विकसित करते हुए विभिन्न हितधारकों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मॉड्यूल में निरंतर वृद्धि और विकास करना होगा।

ii. सभी क्षेत्रों के अभिदाताओं को सेवाएं— सीआरए की प्राथमिक भूमिका रिकॉर्ड कीपिंग, प्रबंधन, सभी एनपीएस अभिदाताओं के लिए अभिदाता सेवा, अभिदाताओं को अद्वितीय स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रान) और आईपिन/टीपिन जारी करना है। अभिदाताओं को विभिन्न सेवाओं में पंजीकरण के समय एसएमएस अलर्ट और ईमेल भेजना, यूनिटों का क्रेडिट/डेबिट, निकासी, प्रान में शेष राशि, अभिदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और सभी एनपीएस हितधारकों को वेबआधारित पहुंच प्रदान करना शामिल है। सीआरए अभिदाताओं और नोडल कार्यालयों को केंद्रीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली और कॉलसेंटर सुविधा भी प्रदान करती है। इनके अतिरिक्त, अभिदाता रखरखाव की समस्त सेवाएं जैसे योजना में परिवर्तन, जनसांख्यिकीय विवरण में परिवर्तन, शिकायत निवारण आदि कार्य भी सीआरए द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं।

iii. मध्यवर्ती सेवाएं पीएफ— यह सीआरए की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह पीएफ को धन की स्थिति के बारे में समय पर सूचित करे, समेकित निवेश वरीयता योजना की जानकारी तैयार करे और ट्रस्टी बैंक से प्राप्त निधि अंतरण रिपोर्ट की पुष्टि के आधार पर पीएफ को निवल निधि अंतरण रिपोर्ट भेजकर पीएफ द्वारा सीआरए को भेजे गए एनएवी का उपयोग करते हुए योजना के प्रदर्शन रिपोर्ट का आकलन करें।

टीबी — न्यासी बैंक खातों से प्राप्त पेंशन निधि रिपोर्ट को पेंशन निधि अंशदान सूचना रिपोर्ट के साथ मिलान करना और निधि मिलान पर त्रुटि/विसंगति रिपोर्ट तैयार करना, न्यासी बैंक को निकासी निधि से शेष खाते को अभिदाता के खाते में भेजने व वार्षिकी सेवा प्रदाताओं की वार्षिकी योजना में राशि भेजने का निर्देश देना।

- एसपी — अभिदाताओं से भौतिक आवेदन पत्र एकत्र कर उन्हें एसपी को अग्रेषित करना तथा एसपी को निधि वार्षिकी साझा करना। अभिदाता विवरण के संबंध

में एसपी को इलेक्ट्रॉनिक डेटा हस्तांतरण और वार्षिकी योजना पर निर्देश भेजना।

विनियम और संशोधन

- सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग अभिकरण (सीआरए) विनियमों में संशोधन कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप सीआरए प्रबंधन से संबंधित प्रावधानों को सरल और ठोस बनाते हैं तथा सीआरए द्वारा सूचना के प्रकटीकरण में वृद्धि करते हैं। अन्य उल्लेखनीय संशोधनों में शामिल हैं:

(क) अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए सीआरए द्वारा धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन नीति का कार्यान्वयन।

(ख) आंतरिक नियंत्रण, अनुपालन और लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट में सीईओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल करना।

(ग) सीआरए तथा इसके प्रमुख कार्मिकों के लिए 'योग्य और उपयुक्त व्यक्ति' का मापदंड लागू किया जा चुका है।

प्रमुख क्षेत्रों में संशोधनों का उद्देश्य सरलीकरण और अनुपालन को कम करना है।

प्रमुख परिपत्र जारी करना: विनियमों की व्यापक समीक्षा प्रक्रिया की शुरुआत के साथ (अनुपालन की लागत को सुगम, सरल और कम करने के उद्देश्य से) जारी परिपत्रों की समीक्षा भी की गई ताकि उन्हें मास्टर परिपत्रों से बदला जा सके। जारी किए गए मुख्य परिपत्र आत्मनिर्भर, प्रासंगिक, अद्यतन, पूर्ण, स्वतः स्पष्ट और विषय वस्तु पर एकल संदर्भ बिंदु हैं।

जारी किए गए प्रमुख परिपत्रों की सूची निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है:

तालिका संख्या 3.53 : प्रमुख परिपत्र जारी करने की सूची

क्रम सं.	प्रमुख परिपत्र सं.	दिनांक	विषय
1	पीएफआरडीए / मास्टर सर्कुलर / 2023 / 03 / सीआरए-01	17 नवंबर 2023	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित अथवा प्रबंधित किसी अन्य पेंशन योजना के लिए केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण के चयन का विकल्प।
2	पीएफआरडीए / मास्टर सर्कुलर / 2023 / 04 / सीआरए-02	23 नवंबर 2023	ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल के माध्यम से एनपीएस ऑन-बोर्डिंग (ओपीजीएम)
3	पीएफआरडीए / मास्टर सर्कुलर / 2023 / 05 / सीआरए-03	29 दिसंबर 2023	सरकारी क्षेत्र के लिए ईएनपीएस – यह अभिदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नई ऑन-बोर्डिंग सुविधा है।
4	पीएफआरडीए / मास्टर सर्कुलर / 2024 / 02 / सीआरए-02	31 जनवरी 2024	ईएपीवाई ऑनलाइन सुविधा एपीवाई अभिदाताओं के लिए आधार ऑनबोर्डिंग और सीडिंग को आसान बनाएगी।

3.14.5 पेंशन निधि

पेंशन निधि का अर्थ ऐसे मध्यवर्ती से है जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 27 की उपधारा (3) के तहत प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि के रूप में अंशदान प्राप्त करने, उसे जमा करने और अभिदाता को भुगतान करने के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है।

नियुक्त और पंजीकृत पेंशन निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या किसी अन्य योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेंशन कोष का प्रबंधन करते हैं। पेंशन निधि द्वारा एक्सेस कोड का उपयोग निवल आस्तियों की प्राप्ति की पुष्टि करने और निधि आवंटन के बारे में निर्देशों, धन आवंटन की पुष्टि करने तथा प्रत्येक योजना के एनएवी से सीआरए को सूचित करने एवं नियमित आधार पर प्रतिभूति अभिरक्षक को निपटान हेतु प्रतिभूतियों की लेनदेन के लिए किया जाता है।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन निधि) विनियम, 2015 दिनांक 14 मई, 2015 को अधिसूचित किया गया था तथा पेंशन निधियों को इसके तहत किसी भी संशोधन सहित इन विनियमों का पालन करना होगा।

पेंशन निधि के कार्य

पेंशन निधि के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं, किंतु निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं हैं:

क) पेंशन योजनाओं का प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी

योजनाओं के उद्देश्य, अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, और निर्देशों तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास विलेख के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाएगा।

ख) पेंशन योजनाओं का दैनिक प्रबंधन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा।

ग) पेंशन निधि, अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय हर समय निधि प्रबंधन सेवाओं के उच्च मानक प्रदान करेगी, उचित देखभाल, विवेक, व्यावसायिक कौशल, शीघ्रता, परिश्रम और सतर्कता का प्रयोग करेगी। पेंशन निधि सट्टा निवेश या लेनदेन से बचेगी।

घ) पेंशन निधि में योग्य, प्रशिक्षित पेशेवरों और कर्मचारियों को ईमानदारी के साथ नियुक्त किया जाएगा। पेंशन निधि अपने कर्मचारियों, एजेंटों या अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कृताकृत्य या चूक के कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी जिनकी सेवाएं प्राप्त की गई हैं और स्वतंत्र रूप से उनके कार्यों के लिए जवाबदेह और उत्तरदायी होगी। पेंशन निधि के पंजीकरण के प्रमाण पत्र के निलंबन या रद्द होने या अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली ऐसी कार्रवाई के बावजूद देयता बनी रहेगी।

ड) पेंशन निधि अन्य मध्यवर्तियों और अनुमत संस्थाओं के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय तथा अन्य बातों के

साथ समझौते करेगा, अपने कार्यात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए तकनीकी मंच होगा।

च) पेंशन निधि निवेश निर्णयों और पेंशन योजनाओं के संचालन से संबंधित लेखा पुस्तकों, अभिलेखों, रजिस्ट्रों और दस्तावेजों का रखरखाव करेगी ताकि प्राधिकरण द्वारा जारी नियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और अन्य निर्देशों के अनुपालन सहित लेनदेन के ऑडिट ट्रेल को सुविधाजनक बनाया जा सके और हर समय व्यवसाय की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके।

छ) पेंशन निधि इन विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के तहत प्राधिकरण अथवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा अपेक्षित आवधिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

ज) पेंशन निधि अभिदाताओं के लाभ के लिए सूचना का सार्वजनिक प्रकटीकरण अनुसूची अ में निर्दिष्ट तरीके से अथवा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से करेगी। पेंशन निधि निवेश और जोखिम प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को अपनाएगी जैसे निवेश समिति और जोखिम प्रबंधन समिति का गठन जिसकी संरचना, कार्य और कर्तव्य अनुसूची में निर्दिष्ट किए गए हैं तथा इसके अतिरिक्त लेखा परीक्षा समिति व नामांकन और पारिश्रमिक समिति का भी गठन करेगी।

झ) पेंशन निधि पेंशन निधि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय उत्पन्न होने वाले हितों के टकराव को रोकेंगी और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को ऐसी घटनाओं से अवगत कराएगी।

ञ) पेंशन निधि अपने प्रायोजकों की गतिविधियों से पेंशन निधि गतिविधियों की विशिष्टता और भेद सुनिश्चित करेगी।

ट) पेंशन निधि से संबंधित सूचना और गतिविधियाँ और उसके नियंत्रण में सभी सूचनाओं का संरक्षण और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अथवा किसी अन्य मध्यस्थ के साथ ऐसी जानकारी साझा करना या जो किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत आवश्यक हो।

ठ) पेंशन निधि ऐसे अभ्यावेदन और वारंटी प्रदान करेगी और उसी के अनुसार कार्य करेगी जो अभिदाता के हित में हों।

ड) पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित फीस, शुल्क, प्रभार और प्रतिभूति जमा का भुगतान करेगी।

ढ) पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा इसके संचालन और निष्पादन की समीक्षा के अधीन होगी।

ण) पेंशन निधि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा पेंशन योजनाओं के लेखापरीक्षा के अधीन होगी।

त) पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा अन्य लेखापरीक्षा और निरीक्षण के अधीन होगी।

द) पेंशन निधि जो उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) के रूप में पंजीकृत है, अपनी निधि प्रबंधन गतिविधियों से दूरी बनाए रखने के लिए राजस्व और व्यय के विवरण सहित अलग बुनियादी ढांचे, मानव शक्ति खातों को बनाए रखेगी।

ध) पेंशन निधि सर्वोत्तम शासन प्रथाओं को अपनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक सार्वजनिक कंपनी के लिए लागू प्रकटीकरण अर्हताओं का पालन करेगी और अनुपालन अधिकारी इस तरह के अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

न) अधिनियम की धारा (20) (2) (घ) (ख) के अधीन योजना प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए जाने पर पेंशन निधि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर ऐसी योजनाओं की पेशकश करेगी।

प) पेंशन निधि धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी और प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी की रोकथाम तथा शमन नीति का विकास और पालन करेगी।

फ) पेंशन निधि पालन किए जाने वाले आंतरिक नियंत्रणों को निर्धारित करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हों तथा प्रभावी ढंग से काम कर रहे हों (ब). पेंशन निधि की ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण किसी भी नुकसान के लिए स्थापित पेंशन निधि की ओर से अभिदाता को क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान करेगी।

सरकारी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं (स्वायत्त निकायों सहित केंद्र सरकार (सीजी) और राज्य सरकार (एसजी) तथा अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के लिए पेंशन फंड (पीएफ) प्रबंधन संयुक्त योजनाओं की सूची—

- i. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- ii. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
- iii. यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड

निजी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं के लिए पेंशन फंड (पीएफ) की सूची

- i. एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

- ii. आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल पेंशन मैनेजमेंट कंपनी
- iii. कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
- iv. आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
- v. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
- vi. एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड
- vii. यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड

- viii. टाटा पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड
- ix. मैक्स लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
- x. एक्सिस पेंशन फंड मैनेजमेंट लिमिटेड
- xi. डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड

डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड को निजी क्षेत्र की एनपीएस योजनाओं के प्रबंधन के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया है और इसने 26 दिसंबर 2023 को वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान अपना परिचालन शुरू किया है।

तालिका संख्या 3.54: पेंशन निधि को जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र/व्यवसाय शुरू करने का प्रमाणपत्र:

क्रम सं.	विषय	जारी करने की तिथि
1	पंजीकरण प्रमाणपत्र – डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	05.09.2023
2	व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र – : डीएसपी पेंशन फंड मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	19.12.2023

तालिका सं. 3.55 : निम्नलिखित परिपत्र/दिशानिर्देश जारी किए गए :

क्रम सं.	विषय	जारी करने की तिथि
1	मार्जिन आवश्यकताओं के लिए सीसीआईएल के साथ मार्जिन के रूप में प्रतिभूतियों को रखने की अनुमति पर परिपत्र	20.04.2023
2	एनपीएस/एपीवाई योजनाओं के लिए निवेश दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र : केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉर्पोरेट पेंशन योजना और एपीवाई फंड स्कीम	18.08.2023
3	एनपीएस टियर-1 और टियर-2 के लिए निवेश हेतु दिशानिर्देश पर मास्टर परिपत्र (केंद्र सरकार/राज्य सरकार, कॉर्पोरेट सीजी, एनपीएस लाइट और एपीवाई को छोड़कर)	22.09.2023
4	एनपीएस के अंतर्गत जमा प्रतिभूतियों के लिए मूल्यांकन दिशानिर्देशों में संवर्धन	16.11.2023
5	आस्ति वर्गों के अनुसार कई पेंशन निधियों के चयन के लिए एनपीएस सर्व नागरिक मॉडल (टियर-1), एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल (टियर-1) और एनपीएस टियर-2 (सभी अभिदाता) के तहत अभिदाताओं के लिए विकल्प पर परिपत्र (वैकल्पिक परिसंपत्ति श्रेणी अथवा योजना ए)	22.11.2023

3.14.6 न्यासी बैंक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 के प्रावधानों और उसके संशोधनों के अनुसार न्यासी बैंक का चयन और पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा जारी चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाता है। न्यासी बैंक खाते एनपीएस अभिदाताओं की ओर से बनाए जाते हैं और एनपीएस ट्रस्ट के नाम पर एनपीएस निधियों के पंजीकृत स्वामी होते हैं। यद्यपि, वैयक्तिक एनपीएस अभिदाता इन निधियों के लाभकारी स्वामी बने रहते हैं।

न्यासी बैंक सीआरए (एस) प्रणाली की विभिन्न संस्थाओं में निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करता है। नोडल कार्यालय, उपस्थिति केंद्र, एग्रीगेटर, पेंशन फंड, वार्षिकी सेवा प्रदाता और अभिदाता आदि प्रौद्योगिकी आधारित मंच के माध्यम से अपने कार्यों को पूरा करने और पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 के प्रावधानों के तहत निर्धारित भूमिकाओं और

जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।

एक्सिस बैंक लिमिटेड को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 के विनियम 9 और उसके संशोधन के अनुसार न्यासी बैंक 2020 के चयन हेतु प्रस्तावित अनुरोध के माध्यम से (न्यासी बैंक) के रूप में चुना गया था। एक्सिस बैंक लिमिटेड को प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.01.2021 को पंजीकरण संख्या टीबी001 के माध्यम से (न्यासी बैंक) के रूप में पंजीकृत किया गया है और पंजीकरण प्रमाण पत्र देने तथा उसकी वैधता की तारीख से पांच साल के लिए तब तक मान्य है जब तक प्राधिकरण द्वारा विनियम 13 के अनुसार इसे निलंबित या रद्द नहीं किया जाए।

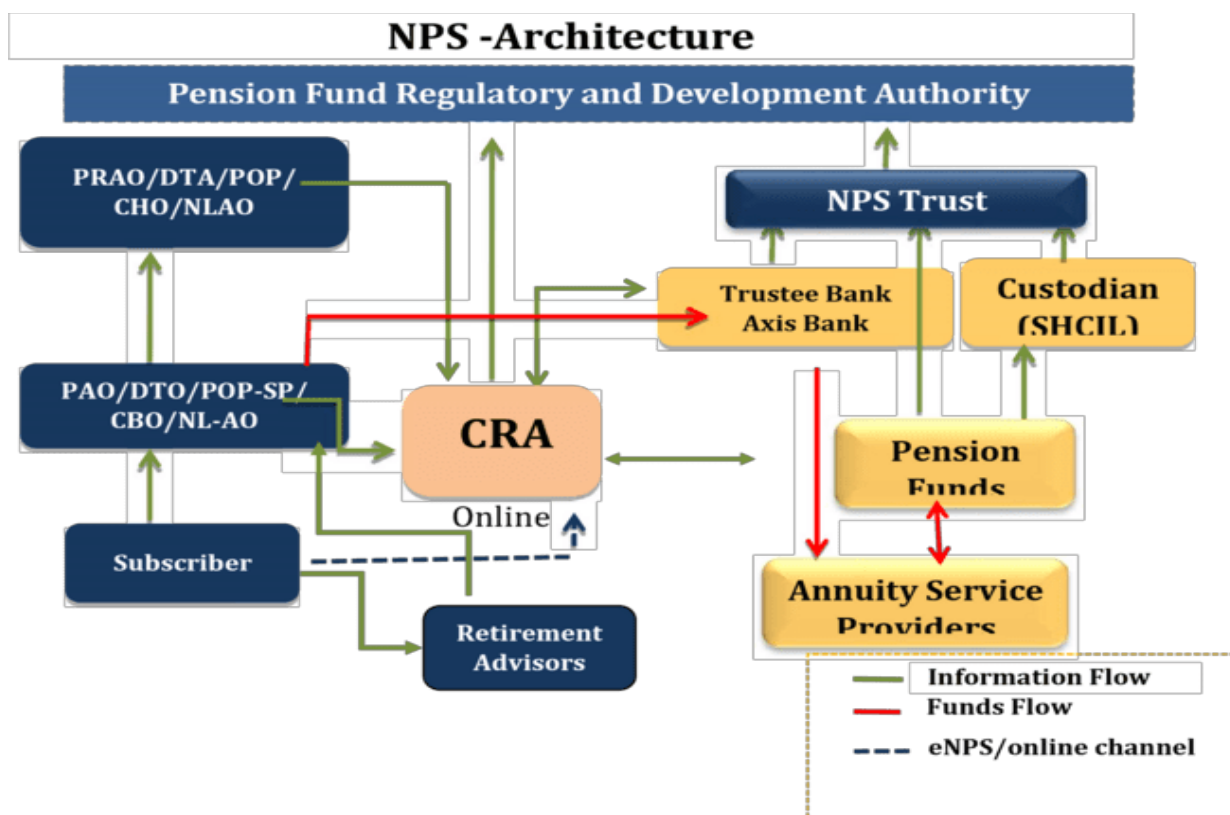
संपर्क विवरण

सभी अभिदाताओं और हितधारकों के कल्याण हेतु उनको व्यापक पहुंच प्रदान करने के लिए टीबी के संपर्क विवरण पीएफआरडीए की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। विवरण निम्नानुसार हैं:

नाम	एक्सिस बैंक लिमिटेड
पंजीकरण सं.	टीबी 001
वैधता	08 जनवरी 2021 — 07 जनवरी 2026 www.axisbank.com
वेबसाइट	त्रिशूल, तीसरा तल, समर्थेश्वर मंदिर, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006
पंजीकृत पता	मुख्य अधिकारी/अनुपालन अधिकारी
संपर्क व्यक्ति	npstrust@axisbank.com
ई-मेल	022 -71 315884, 022 -71315906
दूरभाष	एक्सिस बैंक लिमिटेड केंद्रीकृत
पत्राचार पता	संग्रहण और भुगतान एचयूबी, 5वीं मंजिल, गीगाप्लेक्स बिल्डिंग नं0 1, प्लॉट नं. आई.टी. 5, एमआईडीसीआई, ऐरोली नॉलेज पार्क 1 ऐरोली नवी मुंबई-400708

निम्नलिखित रेखाचित्र एनपीएस स्थापत्य में न्यासी बैंक की भूमिका का चित्रण करता है:

चार्ट 3.14.2 : एनपीएस अवसंरचना तथा मध्यवर्ती



न्यासी बैंक की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

1. न्यासी बैंक एनपीएस न्यास द्वारा निर्देशित नियमों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और प्राधिकरण के निर्देशों के तहत बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करता है।
2. न्यासी बैंक प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित योजनाओं के तहत न्यास की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अन्य मध्यवर्तियों के साथ जहां लागू हो, वहां आवश्यक सेवा स्तर समझौते और गैरप्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर करता है।
3. न्यासी बैंक एक इंटरफेस स्थापित करता है और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत नियुक्त अन्य मध्यवर्तियों के साथ पूर्ण सहयोग और समन्वय में काम करता है।
4. न्यासी बैंक सभी उचित कदम उठाता है और यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सावधानी सुनिश्चित करता है कि प्रदान की गई बैंकिंग सुविधाएं पीएफआरडीए/एनपीएस ट्रस्ट के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के विपरीत न हों और अभिदाताओं के अधिकारों तथा उनके हितों की रक्षा की जाए।

5. न्यासी बैंक खाते एनपीएस अभिदाताओं की ओर से होते हैं, जो एनपीएस ट्रस्ट के नाम से खोले जाते हैं। एनपीएस ट्रस्ट इन निधियों का पंजीकृत स्वामी हैं। यद्यपि, व्यक्तिगत एनपीएस अभिदाता इन निधियों के लाभकारी स्वामी बने रहेंगे। एनपीएस ट्रस्ट को आईटी अधिनियम, 1961 की धारा 10 (44) के अनुसार आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।
6. न्यासी बैंक पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं/निर्देशों और एनपीएस ट्रस्ट के साथ निष्पादित परिचालन सेवा स्तर समझौते व दिशानिर्देशों के आधार पर एनपीएस ट्रस्ट द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं के अनुसार एनपीएस के तहत धन के लिए बैंकिंग कार्य करता है।
7. न्यासी बैंक धन के दैनिक प्रवाह के लिए उत्तरदायी है।
8. न्यासी बैंक अपने पास उपलब्ध एनपीएस निधियों से संबंधित जानकारी और निर्देश नियमित रूप से सीआरए को प्रेषित करता है।

9. न्यासी बैंक एनपीएस ट्रस्ट, पीएफआरडीए, सीआरए व अन्य सेवाप्रदाताओं को वेब आधारित पहुंच प्रदान करता है।

10. न्यासी बैंक भावी परिवर्तनों के अनुकूल है जिसमें प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण बदलाव अभिदाताओं की संख्या, योजनाओं और सेवाओं की संख्या तथा पीएफआरडीए/एनपीएस ट्रस्ट द्वारा निर्धारित कार्यात्मक दायित्वों सहित प्रणाली विनिर्देशों में परिवर्तन शामिल हैं।

11. न्यासी बैंक एनपीएस न्यासी बैंक सीआरए (एस) अभिदाताओं, पेंशन निधि आदि के बीच धन प्रवाह और सूचना प्रवाह के बारे में बहियों एवं अभिलेखों का रखरखाव तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और अंतरालों पर निर्दिष्ट विधि से नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जैसा पीएफआरडीए/एनपीएस ट्रस्ट द्वारा आवश्यक या अपेक्षित हो।

12. न्यासी बैंक से समय-समय पर पीएफआरडीए / एनपीएस ट्रस्ट और अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों द्वारा निर्दिष्ट प्रकटीकरण आवश्यकताओं और आचार संहिता का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। ट्रस्ट खातों से संबंधित बहियों और रिकॉर्ड पीएफआरडीए, एनपीएस ट्रस्ट, आरबीआई के प्राधिकृत अधिकारियों या एजेंटों और उनके संबंधित लेखा परीक्षकों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।

13. न्यासी बैंक पीएफआरडीए, एनपीएस ट्रस्ट के साथ निम्नलिखित आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है:—

क) एनपीएस ट्रस्ट खातों, अनुपालन प्रमाणपत्रों और नियमित अंतराल पर अभिदाता शिकायत रिपोर्टों के संबंध में स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का निष्कर्ष।

ख) प्रत्येक तिमाही में प्रस्तुत समवर्ती लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

ग) न्यासी बैंक में सभी एनपीएस खातों की बाहरी लेखा

परीक्षा रिपोर्ट वार्षिक रूप से प्रस्तुत की जाती है।

14. न्यासी बैंक अपने कर्मचारियों या उन व्यक्तियों द्वारा कमीशन या चूक के कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा जिनकी सेवाएं एनपीएस न्यासी बैंक द्वारा प्राप्त की गई हैं।

15. न्यासी बैंक सीआरए प्रणाली की विभिन्न संस्थाओं अर्थात् नोडल कार्यालय (अपलोड करने वाले कार्यालय) पेंशन निधि प्रबंधक, वार्षिकी सेवा प्रदाता और अभिदाताओं को निधि अंतरण की सुविधा प्रदान करता है।।

16. न्यासी बैंक विभिन्न नोडल कार्यालयों से प्राप्त धन के विवरण वाली फाइल सीआरए प्रणाली में अपलोड करता है। इन विवरणों का मिलान नोडल कार्यालयों द्वारा सीआरए प्रणाली को प्रदान किए गए अंशदान विवरणों से किया जाता है।

17. न्यासी बैंक विभिन्न संस्थाओं को धन हस्तांतरित करने के लिए पे-इन प्रक्रिया के भाग के रूप में सीआरए प्रणाली से पीएफएम वार्षिकी प्रदाता, निकासी खाता में धन अंतरण संबंधी निर्देश प्राप्त करता है और पेंशन निधि प्रबंधक (कों) से भी धन प्राप्त कर सकते हैं।

18. संबंधित संस्था को अधूरी जानकारी वाले धन या अज्ञात धन की वापसी।

19. प्रत्येक निपटान दिवस के अंत में, न्यासी बैंक खातों में अंतशेष निधि का सीआरए प्रणाली से मिलान किया जाता है।

न्यासी बैंक के लिए समयसीमा

न्यासी बैंक की व्यावसायिक गतिविधियाँ सीआरए की अन्य प्रक्रियाओं से जुड़ी हुई हैं। इसलिए, बैंक यह सुनिश्चित करता है कि गतिविधियाँ निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पूरी हों। नीचे दिए गए चार्ट में मुख्य गतिविधियाँ और समय सीमा वर्णित है जिसके भीतर बैंक द्वारा इसे किया जाता है:

तालिका सं. 3.56 : समयसीमा सहित न्यासी बैंक की प्रमुख गतिविधियां

क्रम सं.	गतिविधि की प्रकृति	कट-ऑफ समय*	दिन*
1.	टीबी में धन प्राप्ति	दिन के अंत में	टी
2.	अज्ञात निधियों का लौटाना	दिन के अंत में	टी +1
3.	निधि प्राप्ति की पुष्टि फाइल को अपलोड करना	i) सामान्य एफआरसी के लिए: टी+1 दिन के लिए प्रातः 9.15 बजे (टी दिन को प्राप्त समाशोधित निधियों के लिए) ii) डी-रेमिट एफआरसी के लिए: टी दिन को प्रातः 10.30 बजे तक (टी दिन के लिए प्रातः 9:30:01 बजे और टी+1 दिन के लिए प्रातः 09:30:00 बजे), दैनिक	प्रतिदिन
4.	पे-इन अनुदेश फाइलों को डाउनलोड करना	प्रातः 11:30 बजे तक	प्रतिदिन
5.	पीएफ और निकासी खाता में निधियों के अंतरण की पुष्टि हेतु कट-ऑफ समय	i) पीएफ लेनदेन की प्रोसेसिंग- 1.30 बजे अपराह्न ii) डब्ल्यूएसी फाइल की प्रोसेसिंग: दिन के अंत में	प्रतिदिन
6.	पीएफ में एम एंड बी निधियों का अंतरण	पे-इन डाउनलोड करने से 25 मिनट के भीतर	टी +1
7	विवरणों तथा विभिन्न खातों के अंतशेष अपलोड करना	दिन के अंत में	प्रतिदिन

प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समयसीमा का पालन न करने पर समय-समय पर निर्दिष्ट दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं। समयसीमा में अनुपालन न करने के लिए दंडात्मक प्रावधान की वर्तमान लागू दर आरबीआई रेपो और मुआवजे के रूप में देय दो प्रतिशत प्रति वर्ष है।

यदि क्षतिपूर्ति राशि 50 रुपये से अधिक है तो यह अभिदाता के व्यक्तिगत प्रान में जमा की जाएगी और यदि यह 50 रुपये से कम है तो यह एसईपीएफ खाते में जमा की जाएगी।

विनियामक शुल्क— न्यासी बैंक तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर सभी एनपीएस न्यास खातों की समेकित शेष राशि पर प्रति वर्ष प्रतिशत के रूप में गणना की गई रेपो दर पर वार्षिक शुल्क जमा करेगा, यह पंजीकरण अवधि की संपूर्ण अवधि के लिए मान्य है और इसके लिए दिए गए किसी भी विस्तार का सीधे प्राधिकरण को तिमाही आधार पर भुगतान किया जाता है।

प्रत्यक्ष प्रेषण (डी-रेमिट)— अभिदाता की सुविधा के लिए कम लागत पर नियमित अंशदान करने के लिए पीएफआरडीए ने प्रत्यक्ष प्रेषण (डी-रेमिट) नामक योगदान का एक अतिरिक्त विकल्प/मोड पेश किया है जिसमें सरकारी/गैर- सरकारी / सभी नागरिक मॉडल के तहत मौजूदा एनपीएस अभिदाता अपने स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या से जुड़ी वर्चुअल आईडी बनाकर स्वेच्छा से अंशदान जमा कर सकेंगे। डी-रेमिट ने न केवल स्वैच्छिक अंशदान जमा करने के तरीके को आसान बनाया है, बल्कि ट्रस्टी बैंक द्वारा निर्धारित कट-ऑफ समय के भीतर योगदान प्राप्त होने पर निवेश पर उसी दिन एनएवी प्रदान करके निवेश रिटर्न को भी अनुकूलित किया है।

अभिदाता अब अपने नेटबैंकिंग खाते में स्थायी निर्देश दे सकते हैं जो सीधे उनके प्रान खातों में अंशदान भेजेगा। यह निवेश की समयसीमा को टी+2 से टी (एक सीमा समय से पहले किए गए योगदान के लिए) या टी 1 तक कम कर देगा। (डी रेमिट) के तहत अंशदान स्वीकार करने के लिए तत्काल भुगतान प्रणाली (आईएमपीएस) सुविधा।

इससे पहले, एनईएफटी और आरटीजीएस को अंशदान के साधनों के रूप में स्वीकार किया जाता था। अब यूपीआई सुविधा, आईएमपीएस सुविधा और क्यूआर कोड को भी डी-रेमिट के तहत सक्षम किया गया है, इससे अभिदाताओं को यूपीआई के तहत राशि अंतरित करने और उसी दिन एनएवी का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।

3.14.7 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अभिरक्षक

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत प्रतिभूति अभिरक्षक का अर्थ ऐसी इकाई से है जिसे प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं के लिए अभिरक्षा और डिपॉजिटरी प्रतिभागी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से प्रतिभूति के अभिरक्षक के रूप में प्राधिकरण द्वारा अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (3) के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

‘अभिरक्षा सेवाओं’ का अर्थ सेबी (अभिरक्षक) विनियम 1996

(यथा संशोधित) के तहत परिभाषित निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुमत सीमा के अधीन अभिरक्षा सेवाओं से है।

प्रतिभूति अभिरक्षक स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल) का कार्यकाल पूरा होने पर डॉयचे बैंक एजी (डीबीएजी) को आरएफपी की प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिभूति अभिरक्षक के रूप में चयनित किया गया था।

डॉयचे बैंक एजी (डीबीएजी) ने 01 अप्रैल 2022 से एनपीएस की योजनाओं के लिए अभिरक्षा सेवाएं शुरू की हैं।

प्रतिभूति अभिरक्षक के सामान्य दायित्व

पीएफआरडीए (प्रतिभूति अभिरक्षक) विनियमन, 2015 के विनियम 19 के अनुसार प्रतिभूति अभिरक्षक के सामान्य दायित्व निम्नानुसार सूचीबद्ध हैं:

1. प्रतिभूति अभिरक्षक अभिदाताओं के सर्वोत्तम हित में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का निर्वहन करते समय प्रतिपल उचित देखभाल, विवेक, व्यावसायिक कौशल और परिश्रम करेगा।
2. प्रतिभूति अभिरक्षक पर्याप्त अवसंरचना सूचना प्रौद्योगिकी, प्रणालियों और प्रक्रियाओं की सुविधा प्रदान करेगा जो इसे अन्य मध्यवर्तियों और संस्थाओं से समन्वय करने तथा प्रौद्योगिकी प्रगति के कारण परिवर्तन, प्रणाली विनिर्देशों और सेवाओं में बदलाव एवं प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कार्यात्मक दायित्वों को पूरा करते हुए भावी परिवर्तनों के अनुकूल सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं।
3. प्रतिभूति अभिरक्षक उसी के बैंकअप सहित रिकॉर्ड की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करेगा।
4. प्रतिभूति अभिरक्षक हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन योजनाओं के खातों में लेनदेन पेंशन निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ऐसे खातों में रखी गई प्रतिभूतियों का उपयोग केवल पेंशन निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा स्पष्ट रूप से अधिकृत लेनदेन के लिए किया जाता है। प्रतिभूति अभिरक्षक समय पर प्रतिभूतियों के जारीकर्ता को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को उपलब्ध करों से छूट के बारे में सूचित करेगा।
5. प्रतिभूति अभिरक्षक हर समय यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की ओर से धारित प्रतिभूतियां अलग हों और उनकी पुस्तकों में उनकी अपनी जमा अन्य अभिदाता खातों से अलग और अन्य सभी

गतिविधियों से अलग हों। प्रतिभूति अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजनाओं और प्रतिभूतियों के पंजीकरण के लिए निर्दिष्ट विधि के अनुसार एक अलग अभिरक्षा खाता खोलेगा।

6. प्रतिभूति अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन योजनाओं या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के लिए उसकी अभिरक्षा में रखी गई प्रतिभूतियों पर सभी अधिकार या हक समय पर और प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निर्दिष्ट तरीके से प्राप्त किए जाएं।

7. प्रतिभूति अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन योजना खातों में प्रतिभूतियों की व्यक्तिगत होल्डिंग्स का दिन के अंत में डिपॉजिटरी होल्डिंग्स और कांस्टीट्यूट सब्सिडियरी जनरल लेजर दिन के अंत में खाते के साथ मिलान किया जाए।

8. प्रतिभूति अभिरक्षक पेंशन योजना खातों के अंदर और बाहर प्रतिभूतियों की आवाजाही के लिए लगातार जवाबदेह होगा और जब भी प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा बुलाया जाएगा तो पूर्ण लेखा परीक्षा उपलब्ध कराएगा।

9. प्रतिभूति अभिरक्षक अपनी अभिरक्षा में रखी गई प्रतिभूतियों के अभिलेखों का निर्माण और रखरखाव इस तरह से करेगा कि किसी भी कारण से मूल अभिलेखों के नष्ट होने की स्थिति में प्रतिभूतियों का पता लगाने या दस्तावेजों की प्रतिकृत प्राप्त करने में सुविधा हो।

10. प्रतिभूति अभिरक्षक यह सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित किसी भी पेंशन योजना के तहत उसके द्वारा नियंत्रित प्रतिभूतियों का पर्याप्त रूप से बीमा किया गया है।

11. प्रतिभूति अभिरक्षक के पास रिकॉर्ड और दस्तावेजों के किसी भी हेरफेर को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण के लिए पर्याप्त प्रणाली होगी जिसमें प्रतिभूतियों के लिए ऑडिट और इस समझौते के तहत आयोजित प्रतिभूतियों से उत्पन्न होने वाले अधिकार या हक शामिल हैं। प्रतिभूतियों के अभिरक्षक के पास यह सुनिश्चित करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय होंगे कि ऐसी प्रतिभूतियां; संपत्ति या दस्तावेज चोरी या प्राकृतिक खतरे से सुरक्षित हों।

12. प्रतिभूति अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा विनियमित पेंशन योजना खातों में रखी गई प्रतिभूतियों को स्थापित करने या प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से लिखित पूर्व सहमति के बिना पेंशन निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से देय किसी भी राशि को आंशिक रूप से या पूरी तरह से समाप्त करने के लिए उनके साथ सौदा करने

का हकदार नहीं होगा।

13. प्रतिभूति अभिरक्षक प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा. निर्देशों के अनुसार और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के पूर्व अनुमोदन के अलावा उक्त प्रतिभूतियों पर गिरवी रखने, अनुमान लगाने या कोई शुल्क या ग्रहणाधिकार बनाने के कार्य सहित किसी भी तरह से प्रतिभूतियों को भारित नहीं करेगा।

14. प्रतिभूति अभिरक्षक ऐसी रिपोर्टें और विवरणों को पेंशन निधि या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास या प्राधिकरण या ऐसे अन्य मध्यस्थों को ऐसे आवधिक अंतरालों पर प्रेषित करेगा जो प्राधिकरण द्वारा समय.समय पर या समझौतों में निर्दिष्ट किए जाएं।

15. प्रतिभूति अभिरक्षक द्वारा खातों, रजिस्टर, अभिलेखों, दस्तावेजों की उचित पुस्तकों को बनाए रखना होगा और प्रणाली, प्रक्रियाओं तथा सुरक्षा उपायों के उद्देश्यों के लिए पर्याप्त तंत्र विकसित करेगा।

16. प्रतिभूति अभिरक्षक की लेखा पुस्तकों का आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा त्रैमासिक लेखापरीक्षण किया जाएगा और लेखापरीक्षण की तारीख से तीस दिनों के भीतर प्राधिकरण या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को पेंशन निधियों की आस्तियों या व्यवसाय से संबंधित उसका एक उद्धरण प्रस्तुत करेगा जैसा कि निर्दिष्ट किया गया है।

17. प्रतिभूति अभिरक्षक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को विभिन्न कार्यों या सेवाओं की पेशकश के लिए किसी भी विनियामक प्राधिकरण, समाशोधन निगम, विनियम या डिपॉजिटरी द्वारा अनिवार्य एवं अनुशंसित और निर्मित सभी लागू नियमों, विनियमों, परिपत्रों या दिशानिर्देशों का पालन करेगा।

18. प्रतिभूतियों का अभिरक्षक इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण द्वारा जारी मतदान नीति और साइबर सुरक्षा नीति का पालन करेगा।

19. धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा और प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा.निर्देशों के अनुसार धोखाधड़ी की रोकथाम और शमन नीति विकसित करेगा और उसे लागू करेगा, जिनमें शामिल हैं:—

i. आंतरिक नियंत्रणों का पालन करना और यह सुनिश्चित करना कि ऐसे नियंत्रण पर्याप्त हों और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हों और

ii. अभिरक्षक की ओर से धोखाधड़ी या लापरवाही के कारण किसी भी नुकसान के लिए अभिदाता को क्षतिपूर्ति करने का प्रावधान करना, जिसे पहले से गठित किया गया है।

अभिरक्षक शुल्क परिसंपत्ति सेवा शुल्कवित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, ड्यूश बैंक एजी द्वारा लगाया गया आस्ति सेवा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक खंड के लिए संपत्ति का 0.00000000177 प्रतिशत प्रति वर्ष था।

3.14.8 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास

“राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास” का अर्थ ऐसे न्यासी मंडल से है जो अभिदाताओं के हित के लिए अभिदाताओं की संपत्ति धारित करता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के रूप में एक न्यास स्थापित किया जाएगा और न्यास का लिखत पंजीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तहत विधिवत पंजीकृत न्यास विलेख के रूप में होगा जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसे विलेख में नामित न्यासियों के पक्ष में निष्पादित किया जाएगा। न्यासियों के पक्ष में निष्पादित न्यास विलेख, जिसमें प्राधिकरण के अनुमोदन से किए गए कोई भी संशोधन शामिल हैं, को अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के तहत एक मध्यस्थ के रूप में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को दिया गया पंजीकरण माना जाएगा।

एनपीएस न्यास के सामान्य दायित्व

पीएफआरडीए (एनपीएस न्यास) विनियमन 2015 के विनियम के अनुसार एनपीएस न्यास के सामान्य दायित्व नीचे सूचीबद्ध हैं:-

1. प्रणाली और प्रक्रियाएँ:- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास के पास

(क) अन्य मध्यस्थों से समन्वय को सक्षम बनाने के लिए आवश्यक सभी प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ होंगी।

(ख) अपने कर्मचारियों या उन व्यक्तियों के कार्यों या कृताकृत्य अथवा चूक के लिए जिम्मेदार होगा जिनकी सेवाएं ली गई हैं।

2. प्रणालियों और नियंत्रणों की निगरानी, समीक्षा और मूल्यांकन: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास:

(क) कार्यरत मध्यवर्तियों के संबंध में नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों की समीक्षा, निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएँ होंगी।

(ख) इलेक्ट्रॉनिक रूप रखे गए रिकॉर्ड के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। अभिलेखपालन में निरंतरता अथवा उपलब्धता बनाए रखने तथा रिकॉर्ड का पर्याप्त बैकअप सुनिश्चित करना चाहिए। इसकी प्रणालियों, प्रक्रियाओं और खाते का वार्षिक रूप से विशेषज्ञ द्वारा निरीक्षण किया जाए और विशेषज्ञ को निरीक्षण की तारीख से एक महीने के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट को

प्राधिकरण को अग्रेषित करना चाहिए।

(ग) अधिनियम, नियम, विनियमों तथा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन पेंशन निधि, अभिरक्षक, न्यासी बैंक या किसी अन्य मध्यस्थ के साथ समझौते के अनुसार अपनी भूमिका और दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम होने के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव करेगा जिसकी संचालन प्रक्रियाओं और प्रणालियों को पर्याप्त रूप से प्रलेखन तथा संचालन नियमावली द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

3. समनुदेशन का निषेध:- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास अपने कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति को तब तक नहीं सौंपेगा जब तक कि ऐसा व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा अधिकृत न हो।

4. गोपनीयता: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत प्राप्त सभी अभिलेखों, आंकड़ों और सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत प्राप्त सभी अभिलेखों, आंकड़ों और सूचनाओं के संबंध में गोपनीयता बनाए रखेगा। यह प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना कानूनी प्रक्रिया द्वारा अपेक्षित के अतिरिक्त, प्रमाण के रूप में या किसी अन्य उद्देश्य के लिए ऐसे डेटा या जानकारी का उत्पादन या साझा नहीं करेगा।

5. सहयोग और समर्थन:- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (क) अन्य मध्यस्थों को सभी संभावित सहयोग प्रदान करेगा जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक है, (ख) प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्राधिकरण या अन्य मध्यस्थों को रिकॉर्ड या डेटा का पूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करेगा।

6. अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति:

(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास एक अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करेगा जो अधिनियम के प्रावधानों और इसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों, और प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचनाओं, दिशानिर्देशों और निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से निकासी से संबंधित मामलों तथा अभिदाता शिकायतों के निवारण के लिए जिम्मेदार होगा।

(ख) अनुपालन अधिकारी द्वारा किसी भी गैर-अनुपालन की सूचना तुरंत और स्वतंत्र रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास और प्राधिकरण को दी जाएगी।

7. प्रत्यायोजन शक्ति: राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास का न्यासी मंडल, विशेष संकल्प पारित करके यह संकल्प ले

सकता है कि इन विनियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां ऐसे मामलों के संबंध में और ऐसी शर्तों, यदि कोई हो जो संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाएं, के अधीन रहते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी।

8. यथा संशोधित न्यास विलेख दिनांक 27 फरवरी, 2008, विनियम 3 में निर्दिष्ट न्यास विलेख माना जाएगा। इस तरह का न्यास विलेख इसकी वैधता अवधि तक पूर्णरूपेण प्रभावी रहेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2008 के न्यास विलेख के अधीन निर्दिष्ट सभी कदम व संशोधन वैध और बाध्यकारी रहेंगे।

9 नियुक्ति और कार्यकाल विस्तारण

पीएफआरडीए (एनपीएस ट्रस्ट), विनियम, 2015 के तहत न्यासियों की नियुक्ति और उसके तहत किए गए संशोधनों

के लिए दिनांक 12.01.2018 के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा दो ऐसे न्यासियों को इस प्रकार नामित किया जाए कि एनपीएस के तहत अधिकतम अभिदाता वाले राज्य को प्रारंभिक वरीयता दी जाए जिसके बाद एनपीएस प्रबंधन के तहत अधिकतम संपत्ति वाले राज्य को प्राथमिकता दी जाए। न्यासियों का कार्यकाल केवल 3 वर्ष का होता है और उसके बाद इसे राज्य सरकारों के बीच इस तरह प्रबंधित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कुछ समय के लिए हो। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा केंद्र सरकार के विभागों/सीएबी में से दो न्यासियों (एक डीएफएस के माध्यम से और एक डीओपीपीडब्ल्यू के माध्यम से) नामित किया जाए। वित्तीय वर्ष के दौरान न्यासी के मौजूदा कार्यकाल में नियुक्तियों/विस्तारण के बाद, एनपीएस ट्रस्ट बनाया गया था।

क्रम सं.	विषय *
1	02 न्यासियों का कार्यकाल विस्तारण: (i) दिनांक 22.12.2023 से श्री वेंकट राव यादगानी (ii) दिनांक 18.12.2023 से सुश्री चित्रा जयसिम्हा
2	कार्यकाल पूरा होने के कारण दिनांक 11.12.2023 से एनपीएस ट्रस्ट के न्यासी मंडल के अध्यक्ष के रूप में श्री सूरज भान द्वारा पद त्याग।
3	दिनांक 12.12.2023 से एनपीएस ट्रस्ट के न्यासी मंडल के अध्यक्ष के रूप में श्री वेंकट राव यादगानी की नियुक्ति
4	दिनांक 07.03.2024 से प्रभावी मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन के कारण एनपीएस ट्रस्ट के बोर्ड से श्री रुचिर मित्तल ट्रस्टी द्वारा पदत्याग।

एनपीएस न्यास द्वारा फीस/शुल्क की वसूली	
एनपीएस न्यास द्वारा फीस/शुल्क की वसूली	वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एनपीएस ट्रस्ट द्वारा ली जाने वाली फीस/शुल्क की समीक्षा की गई थी और इसे एनपीएस ट्रस्ट के व्यय को पूरा करने के लिए अभिदाताओं से दैनिक संचय के आधार पर एयूएम प्रति वर्ष के 0.005 प्रतिशत से घटाकर 0.003 प्रतिशत: कर दिया गया था।

31 मार्च 2024* के अनुसार एनपीएस न्यासी मंडल के न्यासियों के विवरण तालिका में दिए गए हैं।

तालिका सं. 3.57 : 31 मार्च 2024* को एनपीएस न्यासी मंडल के न्यासियों के विवरण

क्रम सं.	नाम	पदनाम
1	श्री सूरजभान (पदमुक्त)	अध्यक्ष एवं न्यासी
2	श्री वाई. वेंकट राव	अध्यक्ष एवं न्यासी
3	सुश्री चित्रा जयसिम्हा	न्यासी
4	डॉ. पी.सी. जाफर	न्यासी
5	श्री जे.के. शर्मा	न्यासी
6	श्री रुचिर मित्तल (पदमुक्त)	न्यासी
7	श्री मसील जेया मोहन	न्यासी
8.	डॉ. प्रसेनजीत मुखर्जी	न्यासी
9.	डॉ. संतोष कुमार मोहंती	न्यासी
10.	श्री देबाशीष मलिक	न्यासी

3.14.9 सेवानिवृत्ति सलाहकार

सेवानिवृत्ति सलाहकार पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 के तहत पीएफआरडीए में पंजीकृत मध्यस्थ है फिर भले ही वह कोई व्यक्ति या गैर-वैयक्तिक संस्था हो जो फीस अथवा शुल्क के लिए सेवानिवृत्ति सलाह देने की गतिविधि में शामिल है। यह परामर्श विशेष रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) या संबंधित विनियमन के तहत आने वाली किसी अन्य पेंशन योजना से जुड़ा है। यह परामर्शी पेंशन योजनाओं के विभिन्न पहलुओं को शामिल कर सकती है जिसमें निवेश कार्यनीतियाँ, अंशदान योजना और अन्य प्रासंगिक कारक शामिल हैं।

I. पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना

पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 और उसके बाद के संशोधनों में परिभाषित पात्रता मानदंडों के अनुसार आवेदनों के मूल्यांकन के बाद पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, एनपीएस स्थापत्य के तहत 15 व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति सलाहकार पंजीकृत किए गए थे। पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है जहां आवेदक पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

II. सेवानिवृत्ति सलाहकार कार्यक्षेत्र:

- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एवं प्राधिकरण द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करना।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित अन्य पेंशन योजना में संभावित अभिदाता को शामिल करने की सुविधा प्रदान करना।

3. वृद्धावस्था आय सुरक्षा, सेवानिवृत्ति योजना, उनके द्वारा किए जा सकने वाले अंशदान के स्तर की आवश्यकता पर संभावनाओं को सलाह देना।

4. सेवानिवृत्ति बचत की योजना बनाने में संभावित और अन्य अभिदाताओं की मदद करना।

5. सेवानिवृत्ति सलाहकार कॉर्पोरेट्स और सरकारी विभागों के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति योजना पर जागरूकता कार्यक्रम चलाने के लिए उनके साथ साझेदारी करेगा।

III. नियम और संशोधन:

- इसमें पंजीकरण प्रक्रियाओं में तेजी लाने और प्रतिभूति जमा की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए 30 दिवसीय समय सीमा शुरू करना शामिल है, जिससे व्यापार करने में आसानी होती है।

3.14.10 प्राधिकरण द्वारा किए गए अन्य कार्य

क्लाउड अनुकूलन नीति:

प्राधिकरण ने अपने संचालन के लिए पंजीकृत मध्यवर्तियों जैसे पेंशन निधि और केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरणों द्वारा क्लाउड सेवाओं को अपनाने की बढ़ती प्रवृत्ति को मान्यता दी है। संबंधित जोखिमों को दूर करने और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए ने व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार किया है। यह व्यवस्था व्यावसायिक कार्यनीति जोखिम के आधार पर मध्यवर्तियों को क्लाउड सेवा अपनाने का आकलन करने के लिए अनिवार्य बनाता है।

क्लाउड अपनाने के लिए अनुमोदन, प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पालन, व्यापक क्लाउड अपनाने की नीति का गठन तथा मध्यवर्तियों और क्लाउड सेवा प्रदाताओं में

परस्पर दायित्वों का स्पष्ट चित्रण (सीएसपी) इसके अतिरिक्त, नीति डेटा की संप्रभुताएँ सुरक्षा और गोपनीयता पर जोर देती हैं, जिसके लिए डेटा को भारत के भीतर संग्रहीत करने और प्रमाणित प्रदाताओं द्वारा प्रबंधित करने की आवश्यकता होती है। नियमित समीक्षाएँ घटना प्रबंधन और अनुपालन रिपोर्टिंग भी ढाँचे के अभिन्न अंग हैं, जो विकसित विनियामक मानकों और तकनीकी प्रगति के साथ निरंतर निरीक्षण और संरक्षण सुनिश्चित करते हैं।

नए परिसर में आधुनिक आईटी अवसंरचना:

प्राधिकरण का हाल ही में नए परिसर में आगमन हमारी तकनीकी क्षमताओं में प्रगति, नवाचार और परिचालन उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस परिवर्तन का केंद्र बिंदु आधुनिक आईटी और नेटवर्क स्थापत्य की स्थापना है, जो असाधारण प्रदर्शन और सुरक्षा के लिए सुविधा संपन्न बनाया गया है।

हमारे नेटवर्क बुनियादी ढाँचे में दो नेक्स्ट जनरेशन के फायरवॉल हैं जो उच्च उपलब्धता (एचए) मोड में काम करते हैं और साइबर खतरों से बेहतरीन रक्षा प्रदान करते हैं। घुसपैठ का पता लगाने और रोकथाम प्रणालियों से सुसज्जित ये उन्नत फायरवॉल सक्रिय खतरे को कम करना सुनिश्चित करते हैं। हमारे नेटवर्क की रीढ़ के पूरक दो कोर स्विच हैं जो उच्च गति कनेक्टिविटी और निर्बाध डेटा ट्रांसमिशन के लिए अनुकूलित हैं जो हमारे संगठन को विकसित व्यावसायिक जरूरतों के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाते हैं।

नवीनतम वाईफाई एक्सेस पॉइंट्स की उपलब्धता से अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापक कवरेज और हाईस्पीड वायरलेस कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाती है जिससे सहयोगी कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त, नव स्थापित उन्नत ईपीएबीएक्स प्रणाली निर्बाध व्हाइस कम्यूनिकेशन की सुविधा प्रदान करती है जिससे संगठन में सहयोग बढ़ता है।

कुशल एनएस भंडारण का समावेश सभी कर्मचारियों के

महत्वपूर्ण कार्य डेटा के लिए समर्पित भंडारण स्थान का प्रावधान करता है जिससे डेटा की अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित होती है। अत्याधुनिक आईटी बुनियादी संरचना में यह निवेश तकनीकी उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे डिजिटल युग में निरंतर सफलता का मार्ग प्रशस्त होता है।

चिंतन शिविर:

पीएफआरडीए और एनपीएस न्यास ने एनपीएस चिंतन शिविर का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य प्रमुख हितधारकों के संवाद को बढ़ावा देना था। इसका उद्देश्य पूरी तरह से पेंशन प्राप्त समाज की दिशा में आगे बढ़ने और संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में एनपीएस की स्वीकृति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए नीति निर्माण के लिए चर्चा और विचार-विमर्श करना था।

इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉ. विवेक जोशी ने की। डॉ. दीपक महान्ती, अध्यक्ष, पीएफआरडीए, सुश्री ममता शंकर, पूर्णकालिक सदस्य-अर्थशास्त्र, पीएफआरडीए, डॉ. मनोज आनंद, पूर्णकालिक सदस्य, वित्त, पीएफआरडीए, श्री सूरज भान, अध्यक्ष, एनपीएस ट्रस्ट और श्री एस. एम.पी. तांगिराला, वित्तीय सेवाएँ विभाग के अवर सचिव प्रमुख वक्ता थे।

शिविर के दौरान, प्रतिभागियों ने व्यापक चर्चा की और एक ऐसे समाज के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए रणनीतियों पर अंतर्दृष्टि का आदान-प्रदान किया जहां प्रत्येक व्यक्ति को पेंशन योजनाओं द्वारा पर्याप्त रूप से कवर किया जाता है। जनसांख्यिकी और रोजगार क्षेत्रों की विविध श्रृंखला के लिए इसकी पहुंच और आकर्षण सुनिश्चित करते हुए एनपीएस की पहुंच का विस्तार करने के लिए कार्यवाई योग्य योजनाएं तैयार करने पर बल दिया गया था। सहयोगात्मक प्रयासों और विशेषज्ञता के पूलिंग के माध्यम से इस आयोजन ने समाज के सभी वर्गों के लिए पेंशन कवरेज और वित्तीय सुरक्षा की उभरती जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन समाधान और सिफारिशें सृजनता हेतु उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया।



भाग IV

4.1 पेंशन सलाहकार समिति का कार्यप्रणाली

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 45में कर्मचारियों, संघों, अभिदाताओं, वाणिज्य और उद्योग, मध्यस्थों और पेंशन अनुसंधान में लगे संगठनों के अभ्यावेदन के साथ एक पेंशन सलाहकार समिति (पीएसी) के गठन का प्रावधान है जो प्राधिकरण को विनियम बनाने या अन्य संबंधित मामलों पर सलाह देगी। प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19.05.2022 के माध्यम से पीएसी का पुनर्गठन द्वारा किया गया था जिसका विवरण अनुलग्नक में है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, उन्नीसवीं (19वीं), बीसवीं (20वीं) और इक्कीसवीं (21वीं) पीएसी बैठकें क्रमशः— 31 अगस्त 2023, 29 नवंबर 2023 और 11 मार्च 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गईं।

31 अगस्त, 2023 को आयोजित पीएसी की उन्नीसवीं बैठक में चर्चा के लिए निम्नलिखित बिन्दु लिए गए-

तालिका संख्या 4.1 पीएसी की बैठकें

1.	18वीं पीएसी बैठक का कार्यवृत्त
2.	पीएसी की 18वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट
3.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 में प्रस्तावित संशोधन
4.	पेंशन निधि विनियमों की समीक्षा और प्रस्तावित संशोधन
5.	पीएफआरडीए (पहचान, आय मान्यता और एनपीए का प्रावधान) मार्गदर्शन नोट 2013 और दिनांक 21 नवम्बर 2019 के मूल्यांकन दिशानिर्देशों के परिशिष्ट का प्रतिस्थापन

29 नवंबर 2023 को आयोजित पीएसी की बीसवीं बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई

1.	19वीं पीएसी बैठक का कार्यवृत्त
2.	19वीं पीएसी बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट
3.	एनपीएस ट्रस्ट विनियमों की समीक्षा और प्रस्तावित संशोधन
4.	अभिरक्षक विनियमों की समीक्षा और प्रस्तावित संशोधन
5.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण एजेंसी) विनियम, 2015 और प्रस्तावित संशोधन
6.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यासी बैंक) विनियम, 2015 और प्रस्तावित संशोधन
7.	पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायत का निवारण) विनियम में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव
8.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016 में प्रस्तावित संशोधन
9.	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियम, 2023 में प्रस्तावित संशोधन

11 मार्च 2024 को आयोजित पीएसी की इक्कीसवीं बैठक में निम्नलिखित मदों पर चर्चा की गई -

1.	20वीं पीएसी बैठक का कार्यवृत्त
2.	पीएसी की 20वीं बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट
3.	केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉर्पोरेट सीजी, एनपीएस लाइट, अटल पेंशन योजना और एपीवाई फंड योजना पर लागू निवेश दिशानिर्देशों में इक्विटी आवंटन के अनुपात को बढ़ाने का प्रस्ताव
4.	मसौदा पीएफआरडीए (विनियम बनाने और समीक्षा करने के लिए तंत्र) विनियम, 2024 को रखना
5.	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत जीवन चक्र निवेश दृष्टिकोण पर अध्ययन

4.2 बनाए गए या संशोधित किए गए विनियम

प्राधिकरण को पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अंतर्गत पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं की शिकायतों के निवारण हेतु विनियमों, न्यायनिर्णयन के संचालन, प्राधिकरण और पेंशन सलाहकार समिति की बैठकों के संचालन के तरीके के अलावा अन्य बातों के साथ-साथ मध्यवर्तियों के पंजीकरण, उनके कर्तव्य और उत्तरदायित्वों, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा, पंजीकरण के निलंबन और निरस्तीकरण को शामिल करते हुए विनियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। उपभोक्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि की स्थापना एवं उसका उपयोग। प्राधिकरण ने अब तक 16 विनियम अधिसूचित किए हैं जिनमें से 14 प्रभावी हैं और ये विनियम आवधिक समीक्षा के अधधीन हैं। वर्ष के दौरान, माननीय वित्त मंत्री द्वारा पैरा 99 और 100 में निहित बजट घोषणा के सम्मान में, सभी मध्यस्थ विशिष्ट विनियमों की व्यापक समीक्षा की गई, जो मुख्य रूप से व्यवसाय करने में आसानी, सरलता, अनुपालन भार को कम करने, पारदर्शिता आदि के मापदंडों पर थे। विनियमों की समीक्षा पहले स्तर पर कार्य समूहों द्वारा की गई थी, उसके बाद एक आंतरिक विनियमन समीक्षा समिति थी, जिसने बाहरी समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं, जो विनियमन सलाहकार समिति थी, जिसमें डोमेन विशेषज्ञ और शिक्षाविदों के सदस्य शामिल थे। नियमों में प्रस्तावित परिवर्तनों पर सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया और सार्वजनिक परामर्श के लिए होस्ट किया गया। अधिनियम की धारा 45 के अंतर्गत गठित पेंशन सलाहकार समिति की सलाह लेने और प्राधिकरण के बोर्ड के अनुमोदन से मध्यस्थों को शासित करने वाले नौ बाजारमुखी विनियमों के संबंध में संशोधन और साथ ही उपभोक्ता शिकायतों से निपटने के लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। ये इस प्रकार हैं—

1. पीएफआरडीए (सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी) विनियम, 2015

एनपीएस संरचना में सीआरए की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन ढांचे और

शासन मानदंडों को मजबूत करने के लिए परिवर्तन पेश किए गए हैं जैसे सीआरए और मध्यस्थों के बीच अनुमेय क्रॉस होल्डिंग में 20% से कम होना, सीआरए द्वारा ऑडिट रिपोर्ट के साथ वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना और आंतरिक नियंत्रण को प्रमाणित करने वाले सीईओ का कार्यक्षेत्र, प्रमुख कर्मियों के दायरे का विस्तार करना, अनुपालन एवं आचार संहिता, धोखाधड़ी निवारण एवं न्यूनीकरण नीति का कार्यान्वयन, विवेकपूर्ण उपयुक्त एवं उचित मानदंड लागू करना तथा प्रणाली लेखा परीक्षक आदि को शामिल करना। पंजीकरण के अभ्यर्पण/ऐसे समर्पण के प्रभाव संबंधी विनियम को भी पुनः तैयार किया गया है ताकि और अधिक स्पष्टता लाई जा सके।

2. पीएफआरडीए (प्रतिभूतियों का अभिरक्षक) विनियम, 2015

कस्टोडियन ऑफ सिक्क्योरिटीज रेगुलेशंस में संशोधन पात्रता मानदंड से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाता है, जबकि अभिरक्षक में पीएफ/इसके प्रायोजक/सीआरए/टीबी द्वारा अनुमेय क्रॉसहोल्डिंग को मौजूदा 50% से घटाकर 20% से कम करके शासन को मजबूत करता है। संशोधन धोखाधड़ी की निगरानी और क्षतिपूर्ति के संबंध में नीतियों और आंतरिक नियंत्रणों के साथ-साथ 'फिट और उचित व्यक्ति मानदंड' से संबंधित अनुपालन को भी निर्दिष्ट करते हैं। इसके अलावा, कस्टोडियन को प्राधिकरण द्वारा जारी मतदान नीति और साइबर सुरक्षा नीति का पालन करना आवश्यक होगा।

3. पीएफआरडीए (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट) विनियम, 2015

एनपीएस न्यास विनियमों में संशोधन न्यासियों की नियुक्ति, उनके निबंधन और शर्तों, न्यासी बोर्ड की बैठकें आयोजित करने और सीईओ-एनपीएस न्यास की नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाते हैं। इसके अलावा, शासन मानदंडों को मजबूत करने के लिए, "लेखा परीक्षक" और "अनुपालन अधिकारी" की परिभाषाएं जोड़ी गई हैं। साथ

ही, यह अनिवार्य किया गया है कि न्यासी बोर्ड हर तीन कैलेंडर महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगा। आंतरिक लेखा परीक्षा करने की आवृत्ति और प्राधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय-सीमा विनिर्दिष्ट की गई है।

4. पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018

एक महत्वपूर्ण परिवर्तन शुरू किया गया है जो वितरण-वार पंजीकरण के मौजूदा तरीके को योजना-वार पंजीकरण में समेकित करके आवेदन श्रेणियों का पुनर्गठन कर रहा है। परिचालन में आसानी के लिए कुछ उपायों में पेंशन एजेंटों (पूर्व में पीओपी-एसई) के पंजीकरण में छूट, एनपीएस के तहत ग्राहक की यात्रा के प्रत्येक चरण के साथ पीओपी के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित करना, स्थिति या संविधान में बदलाव के लिए पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता में छूट, लाभ मानदंडों को पूरा करने से छूट प्राप्त करने का प्रावधान मौजूदा पीओपी पर विस्तारित किया गया है। प्रमुख कर्मियों के साथ-साथ आवेदक की पात्रता के हिस्से के रूप में मजबूत "उपयुक्त और उचित" मानदंडों की शुरुआत और निवल मूल्य की आवश्यकता में वृद्धि, शासन मानदंडों को मजबूत करेगी।

5. पीएफआरडीए (पेंशन फंड) विनियम, 2015

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप शासन से संबंधित प्रावधानों को सरल बनाने के लिए संशोधन किए गए हैं। कुछ उल्लेखनीय संशोधनों में 'फिट और उचित व्यक्ति' मानदंडों के अनुपालन के साथ पेंशन फंड और पेंशन फंड के प्रायोजक की भूमिकाओं की स्पष्टता लाना, पेंशन फंड द्वारा अतिरिक्त बोर्ड समितियों का गठन जैसे लेखा परीक्षा समिति और नामांकन और पारिश्रमिक समिति, नाम खंड में पेंशन फंड नाम शामिल करना और 12 महीने की अवधि के भीतर प्रावधानों का पालन करने के लिए मौजूदा पेंशन फंड (ओं) की आवश्यकता शामिल है। पेंशन निधि द्वारा प्रबंधित योजनाओं की वार्षिक रिपोर्ट में निदेशकों की जिम्मेदारी विवरण शामिल है।

6. पीएफआरडीए (अभिदाता शिकायत का निवारण) विनियम, 2015

इन संशोधन विनियमों द्वारा पेश किया गया एक बड़ा बदलाव "मध्यस्थ" शब्द के दायरे को स्पष्ट करना है ताकि गैर-सरकारी क्षेत्रों में नियोक्ताओं को भी शामिल किया जा सके, जिनके कर्मचारी एनपीएस के तहत कवर किए गए हैं। एनपीएस ट्रस्ट द्वारा मध्यस्थों पर निगरानी की भूमिका को भी मजबूत किया गया है। इसके अलावा, अंशदाताओं के लाभ के लिए मध्यस्थ स्तर पर निवारण की समय-सीमा भी 30 दिन से घटाकर 21 दिन कर दी गई है। नियुक्ति के लिए लोकपाल की सिफारिश करने हेतु चयन समिति का विस्तार किया गया है ताकि पेंशन के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्तियों को शामिल किया जा सके।

7. पीएफआरडीए (सेवानिवृत्ति सलाहकार) विनियम, 2016

"संचालन में आसानी" को सक्षम करने के लिए इन विनियमों में किया गया एक बड़ा बदलाव आवेदक द्वारा सुरक्षा जमा प्रस्तुत करना बंद करना है। अन्य परिवर्तनों में आवेदन के निपटान के लिए समय-सीमा का विनिर्देश, मानकीकृत उपयुक्त और उचित मानदंड लागू करना, अर्हता पश्चात अनुभव की आवश्यकता, वकीलों, सीए, सीएस, सीएमए आदि के लिए प्रमाणन अपेक्षाओं में छूट और गैर-वैयक्तिक भर्ती आस्तियों के संबंध में मुख्य कामकों की अवधारणा को लागू करना, अन्य विनियामकों के साथ पंजीकरण, निवल मूल्य को समाप्त करना आदि शामिल हैं।

8. पीएफआरडीए (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियम, 2015

निधि में जमा को स्पष्ट करने के लिए परिवर्तन किए गए हैं, ताकि अधिनियम की धारा 41 के अनुरूप हो। इसके अलावा, एसईपीएफ समिति की संरचना और समिति के सदस्यों के कार्यालय की अवधि बढ़ा दी गई है। डिजिटल मोड के माध्यम से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए गतिविधियों का सुझाव देने के लिए समिति के कार्यों को भी संशोधित किया गया है।

9. पीएफआरडीए (ट्रस्टी बैंक) विनियम, 2015

शासन मानदंडों को मजबूत करने के लिए, "लेखा परीक्षक" और "अनुपालन अधिकारी" की परिभाषाएं जोड़ी गई हैं। इसके अलावा, टीबी की ओर से होने वाली हानि/असुविधा के मामले में उपभोक्ता के मुआवजे से संबंधित प्रावधान, धोखाधड़ी रोकथाम और शमन नीति के कार्यान्वयन को शामिल किया गया है। पंजीकरण प्रमाण पत्र के आत्मसमर्पण / प्रभाव पर विनियमन को भी अधिक स्पष्टता लाने के लिए फिर से तैयार किया गया है।

इसके अलावा भविष्य के लिए प्राधिकरण में नियमों की समीक्षा प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए, और समीक्षा के लिए एक रूपरेखा निर्धारित करने के लिए एफएसडीसी से प्राप्त सुझावों के अनुरूप, प्राधिकरण ने 26 अप्रैल, 2024 को "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (विनियम बनाने और समीक्षा करने के लिए तंत्र) विनियम, 2024" को अधिसूचित किया है।

परिपत्र-

31 मार्च, 2024 तक, प्राधिकरण द्वारा सात मास्टर परिपत्र भी जारी किए गए हैं, जिनके माध्यम से कई पुराने, निरर्थक परिपत्रों को चरणबद्ध और संग्रहीत किया गया है, और जो पुराने लागू हैं, उन्हें समेकित किया गया है।

(इसका विवरण यहां मौजूद है:

<https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=72>)

4.3 उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के उपयोग के लिए समिति का गठन।

पीएफआरडीए (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि), विनियम, 2015 के विनियम 6 (1) के अनुसार, प्राधिकरण अभिदाता शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा गतिविधियों की सिफारिश करने और फंड के उपयोग के लिए एक समिति का गठन करेगा।

इसके अलावा, विनियम 6 (2) के अनुसार समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्

(क) प्राधिकरण का कार्यपालक निदेशक जो समिति का संयोजक होगा;

(ख) प्राधिकरण के दो अन्य अधिकारी;

(ग) चार अन्य सदस्य होंगे-

- वित्तीय बाज़ार संचालन में एक विशेषज्ञ;
- कानून, अर्थशास्त्र, वित्त या पेंशन के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ
- केंद्र सरकार के प्रतिनिधि
- राज्य सरकार के प्रतिनिधि

उपरोक्त गठन दिनांक 29 जनवरी 2024 को अधिसूचित एसईपीएफ विनियम (संशोधन) के अनुसार है। हालांकि, इसे जल्द ही एसईपीएफ समिति के गठन में शामिल किया जाएगा। समिति की वर्तमान संरचना नीचे दी गई है

तालिका संख्या 4.2 समिति की वर्तमान संरचना

क्र० सं०	नाम एवं पदनाम	संगठन
आंतरिक सदस्य		
1.	श्री ए. जी. दास, कार्यकारी निदेशक, पीएफआरडीए	समिति के संयोजक
2.	श्री वेंकटेश्वरलू पेरी, कार्यकारी निदेशक, पीएफआरडीए	सदस्य
3.	श्री सचिन जोनेजा, महाप्रबंधक, पीएफआरडीए	सदस्य
बाहरी सदस्य (पदेन)		
4.	डॉ अरुंधति चंद्रशेखर आईएएस, राजकोष विभाग	कर्नाटक सरकार
5.	श्री सुशील पाल, मुख्य लेखा नियंत्रक	गृह मंत्रालय
6.	प्रोफेसर पार्थ रे, निदेशक	एनआईबीएम
7.	श्री आलोक चंद्र जेना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	एनसीएफई
8.	सुश्री सुपर्णा टंडन, मुख्य महाप्रबंधक	नाबार्ड

वित्त वर्ष 2023-24 में एसईपीएफ समिति की बैठक की 3 बैठकें आयोजित की गईं, जिसमें समिति के सदस्यों ने एसईपीएफ फंड राशियों के इष्टतम उपयोग और एनपीएस/एपीवाई अभिदाताओं के बीच वित्तीय साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देने के विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा की। मार्च 2024 को समाप्त तिमाही के दौरान, ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से पेंशन साक्षरता पर जागरूकता पैदा करने के लिए एसईपीएफ राशि से 50 लाख रुपये खर्च किया गया था।

भाग V

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले

5.1 प्राधिकरण के बोर्ड का गठन

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 4 में प्राधिकरण की संरचना का प्रावधान है जिसमें केन्द्र सरकार द्वारा एक अध्यक्ष, तीन पूर्णकालिक सदस्य तथा तीन अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। प्राधिकरण की संरचना निम्नानुसार है:

(i) अध्यक्ष

डॉ. दीपक महान्ती प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और उन्होंने 20 मार्च 2023 को पीएफआरडीए में अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। डॉ. दीपक महान्ती एक अर्थशास्त्री हैं, जिनके पास विशेष नीतिगत अनुभव है। इससे पहले, वे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और कुछ कंपनियों के बोर्डों में एक स्वतंत्र निदेशक थे। इससे पहले, डॉ. महान्ती 01.09.2020 से 31.05.2022 तक पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र).पीएफआरडीए थे। उन्होंने पीएफआरडीए में पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) के रूप में शामिल होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्य किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में काम किया, और वे आर्थिक अनुसंधान में विभिन्न पदों पर और आरबीआई में मौद्रिक नीति विभाग के प्रमुख थे।

(ii) पूर्णकालिक सदस्य

1. डॉ. मनोज आनंद, (पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) 01.10.2020 से अब तक।
2. सुश्री ममता शंकर, पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) 10.04.2023 से अब तक।

(iii) अंशकालिक सदस्य

1. सुश्री एनी जॉर्ज मैथ्यू (आईए और एस 1988), विशेष सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग 12.12.2014 से 31.11.2023 तक।
2. सुश्री परमा सेन (आईए और एस 1994), अतिरिक्त सचिव (कार्मिक), व्यय विभाग 11.12.2023 से अब तक।
3. श्री राहुल सिंह (आईएस 1996), अतिरिक्त सचिव (एस एंड वी), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) 15.07.2022 से 26.03.2024 तक।
4. श्री पंकज शर्मा (आईसीएस 2000), संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय 27.05.2022 से अब तक।

5.2 प्राधिकरण की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्राधिकरण की सात (07) बैठकें आयोजित की गईं, जो निम्नलिखित हैं

तालिका संख्या 5-1 प्राधिकरण की बैठकें

क्र.सं.	प्राधिकरण की बैठक	बैठक की तिथि
1-	प्राधिकरण की 111वीं बैठक	26-05-2023 (शुक्रवार)
2-	प्राधिकरण की 112वीं बैठक	परिसंचरण द्वारा 29-05-2023 (सोमवार)
3-	प्राधिकरण की 113वीं बैठक	19-07-2023 (बुधवार)
4-	प्राधिकरण की 114वीं बैठक	12-10-2023 (गुरुवार)
5-	प्राधिकरण की 115वीं बैठक	14-12-2023 (गुरुवार)
6-	प्राधिकरण की 116वीं बैठक	परिसंचरण द्वारा 04-01-2024 (गुरुवार)
7-	प्राधिकरण की 117वीं बैठक	21-03-2024 (गुरुवार)

बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त के अंश प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, लिंक इस प्रकार है:

<https://www.pfrda.org.in/index1.cshtml?lsid=1113>

5.3 पीएफआरडीए में कर्मचारियों की संख्या

(89) 31 मार्च, 2024 तक, पीएफआरडीए की नियमित कर्मचारियों की संख्या इक्यानवे (91) है, जिसमें से नवासी अधिकारी संवर्ग में, एक (01) कनिष्ठ सहायक और एक (01) स्टाफ कार चालक हैं।

5.4 पीएफआरडीए में एससी/एसटी सेल और ओबीसी सेल का कामकाज

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/निशक्त/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी के कल्याण के संबंध में सरकारी अनुदेशों को कार्यान्वित करने के लिए पीएफआरडीए में एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति / पीडब्ल्यूडी /

भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी / ईडब्ल्यूएस के लिए मुख्य महाप्रबंधक ग्रेड अधिकारी को संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के कल्याण के लिए एक पृथक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। एक महाप्रबंधक ग्रेड अधिकारी को अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। दोनों प्रकोष्ठों के सदस्य अपने संबंधित संपर्क अधिकारियों के साथ त्रैमासिक आधार पर उनसे संबंधित कल्याणकारी उपायों पर चर्चा करते हैं और मानव संसाधन विभाग त्रैमासिक बैठक की सुविधा प्रदान करता है। 31-03-2024 तक आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों का समूह वार प्रतिनिधित्व तालिका 5-2 में है।

तालिका संख्या 5-2 . 31-03-2024 तक आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों का समूह वार प्रतिनिधित्व

क्र. सं.	समूह	ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ईडब्ल्यूएस का समूहवार प्रतिनिधित्व					31.03.2024 तक कर्मचारियों की कुल संख्या
		एससी	एसटी	ओबीसी	पीडब्ल्यूडी	ईडब्ल्यूएस	
1	कार्यकारी निदेशक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6
2	मुख्य महाप्रबंधक (ग्रेड एफ)	1	शून्य	3	शून्य	शून्य	8
3	महाप्रबंधक (ग्रेड एई)	शून्य	शून्य	1	शून्य	शून्य	7
4	उप महाप्रबंधक (ग्रेड डी)	1	शून्य	2	शून्य	शून्य	6
5	सहायक महाप्रबंधक (ग्रेड सी)	1	शून्य	3	1	शून्य	14
6	प्रबंधक (ग्रेड बी)	3	1	5	1	शून्य	13
7	सहायक प्रबंधक (ग्रेड ए)	5	2	10	2	2	35
8	कनिष्ठ सहायक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1
9	स्टाफ कार चालक	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1
कुल		12	3	24	4	2	91

5.5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन शिकायतें प्राप्त करने, जांच करने आदि के लिए किया गया है और इसकी तिमाही आधार पर बैठक आयोजित होती है।

5.6 कर्मचारी कल्याण समिति

विभिन्न कर्मचारी कल्याण कार्यक्रमों की पहचान करने और उन्हें आयोजित करने के लिए पीएफआरडीए में एक कर्मचारी कल्याण समिति गठित की गई है। समिति कर्मचारियों के बीच और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के उपायों को विकसित करने में मदद करती है। एक मुख्य महाप्रबंधक ग्रेड अधिकारी को कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

5.7 कर्मचारियों के हित में की गयी पहल

पीएफआरडीए हमेशा पीएफआरडीए में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सर्वोत्तम कार्य वातावरण प्रदान करने का प्रयास करता है। कार्यस्थल पर स्वस्थ वातावरण बनाने और सकारात्मक कर्मचारी अनुभव बनाने के लिए विभिन्न पहल की गईं। इन उद्देश्यों के साथ, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए

- 14 जून 2023 को एक आभासी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अधिकारियों ने रक्तदाता दिवस के लिए उनके समर्थन की प्रतिज्ञा करने के लिए एक साथ शपथ ली।

- 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया।
- 15 अगस्त 2023 को स्वतंत्रता दिवस समारोह।
- स्वच्छ भारत मिशन.ग्रामीण और शहरी (डीडीडब्ल्यूएस और एमओएचयूए द्वारा) द्वारा 15 सितंबर 2023 से 02 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता ही सेवा (एसएचएस) पखवाड़े का आयोजन किया गया था।

30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 का आयोजन

पीएफआरडीए कर्मचारियों के लिए 4 और 5 नवंबर 2023 को एम्स जिमखाना, अंसारी नगर, नई दिल्ली में राष्ट्रीय आवास बैंक के समन्वय से बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया।

- दिसंबर 2024 के महीने में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर जागरूकता सप्ताह मनाया गया। लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न को रोकने पर एक जागरूकता सत्र/कार्यशाला 11 दिसंबर 2023 को आयोजित की गई थी।
- 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया।
- 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान नए भर्ती हुए सहायक प्रबंधकों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम और मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।
- नए कार्यालय परिसर में 12 मार्च 2024 को नए परिसर का उद्घाटन और 15 मार्च, 2024 को हवन समारोह का आयोजन किया गया।

उपर्युक्त कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें निम्नानुसार है :



1. 14 जून 2023 को रक्तदाता दिवस पर उनके समर्थन की प्रतिज्ञा करने की शपथ के दौरान और स्वतंत्रता दिवस का आयोजन



2. पीएफआरडीए में नए भर्ती सहायक प्रबंधकों के लिए IIM लखनऊ में प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया



3. 15 सितंबर 2023 से 02 अक्टूबर 2023 तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया



4. पीएफआरडीए परिसर में लिंग संवेदनशीलता और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक जागरूकता सत्र/कार्यशाला और गणतंत्र दिवस समारोह



5. डीजीएम और उससे ऊपर के लिए कानूनी मॉड्यूल पर प्रशिक्षण कार्यक्रम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में और एजीएम और प्रबंधकों के लिए पीएफआरडीए में आयोजित किया गया।



6. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह 8 मार्च 2024 को आयोजित किया गया।



7. पीएफआरडीए के नए कार्यालय भवन का उद्घाटन 12 मार्च 2024 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में किया गया।

5.8 पीएफआरडीए में कर्मचारियों का प्रशिक्षण

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, पीएफआरडीए द्वारा विभिन्न विषय क्षेत्रों में प्रशिक्षण/कार्यशालाओं के लिए विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों को नामित किया गया था। जैसे—

- सार्वजनिक खरीद पर एमडीपी कार्यक्रम।
- एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (सीएफटी)।
- निर्माण अनुबंध और मध्यस्थता संबंधी मुद्दों और संभावित उपायों में विवाद का निपटान।
- संपर्क अधिकारी एससी/एसटी के लिए कार्यशाला।
- सेवाओं में आरक्षण पर प्रशिक्षण।
- नेतृत्व क्षमता को विकास पर प्रशिक्षण।
- सरकारी खरीद का बदलता चेहरा : जीईएम का प्रभाव, नीतिगत पहल और उभरती सर्वोत्तम प्रथाएं।
- बीएफएसआई टीमों के लिए वित्तीय मॉडलिंग पर आर का उपयोग करते हुए डेटा एनालिटिक्स।
- लैंगिक संवेदनशीलता और यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर कार्यशाला।
- जोखिम प्रबंधन के लिए सांख्यिकीय तकनीकों को उद्घाटित करना।
- जाँचकर्ता अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों से सम्बंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- निवारक सतर्कता से सम्बंधित विषयों पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।
- खरीद से सम्बंधित विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत सरकारी प्रतिष्ठानों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर कार्यशाला।
- नेतृत्व क्षमता का विकास : प्रशिक्षक के रूप में नेता।
- सीपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारियों के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम।
- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में कानूनी मॉड्यूल पर डीजीएम से सीजीएम के लिए सत्र और पीएफआरडीए परिसर में प्रबंधकों और एजीएम के लिए कानूनी मॉड्यूल पर सत्र।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में कुल 65 कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसमें ऊपर यथा

विनिदष्ट प्रशिक्षण और संस्थान के समन्वय से पीएफआरडीए द्वारा आयोजित प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विभाग के माध्यम से पीएफआरडीए में प्रख्यात विद्वानों द्वारा व्याख्यान देना शामिल है।

उपरोक्त के अलावा, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ग्रेड ए (सहायक प्रबंधक) में भर्ती 21 अधिकारियों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था।

5.9 राजभाषा का प्रचार

राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा राजभाषा नियम, 1976 एवं भारत सरकार की राजभाषा नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए नियमित रूप से राजभाषा हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रयासरत है। राजभाषा नीति का उद्देश्य है कि सरकारी कामकाज में सामान्यतः राजभाषा हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग किया जाए। इसी उद्देश्य से पीएफआरडीए, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों के अनुसार अपने सभी शासकीय संचार में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। इस क्रम में, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा नीति की विभिन्न आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए और राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए इनका विवरण निम्नलिखित है। .

- प्राधिकरण में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में पूर्णकालिक सदस्य महोदय के दिशानिर्देशन में कार्यकारी निदेशक के निर्देशन द्वारा महाप्रबन्धक (राजभाषा) की निगरानी में, सहायक प्रबन्धक (राजभाषा) की सहायता से कार्य किया जाता है।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुपालन में तिमाही 3 तथा तिमाही 2 के जो पत्र द्विभाषी नहीं हैं, उन्हें द्विभाषी बनाया जा रहा है। विनियमों की समीक्षा के दौरान सभी संशोधित विनियमों को द्विभाषी रूप में प्रकाशित किया गया।
- राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अनुपालन में, हिन्दी में प्राप्त पत्रों, आरटीआई, संसदीय प्रश्नों और विधायी प्रश्नों का उत्तर हिन्दी में दिया जा रहा है।
- 'क' और 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में भी दिया जा रहा है। इसे पूर्णतः द्विभाषी बनाने की ओर प्राधिकरण प्रयासरत है।
- मंत्रालय से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में, ऐसे सभी प्राप्त पत्र जिनके उत्तर दिए जाना अपेक्षित नहीं है,

उनकी पावती देना जरूरी है। इसे हिन्दी में पावती देने हेतु विभागों को निर्देश दिया गया है।

- प्राधिकरण के विभागों द्वारा प्रेषित सभी मूल पत्रों को द्विभाषी बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। इसमें ईमेल द्वारा किया गया संचार भी शामिल है।
- ई-ऑफिस में कंठस्थ सॉफ्टवेयर को सक्षम किया गया है। इसकी सहायता से सभी टिप्पणियां और मसौदे द्विभाषी बनाए जा सकते हैं। अधिकारियों को कंठस्थ आधारित सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है।
- प्राधिकरण के सभी कम्प्यूटरों को हिन्दी टाइपिंग हेतु सुगम बनाया गया है। इसी क्रम में, इनमें यूनिकोड फॉन्ट और गूगल इनपुट जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।
- रजिस्ट्रारों और फाइलों के नाम, शीर्षक और प्रविष्टियां हिन्दी में भी दर्ज करवाई जा रही हैं। साथ ही, सभी नामपट को भी द्विभाषी बनाया गया है। प्राधिकरण पुस्तकालय में हिन्दी भाषा में पुस्तकों को बढ़ावा देने हेतु प्रयासरत है।
- भारत सरकार की प्रतिष्ठित पेंशन योजनाओं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने हेतु उनका हिन्दी में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

5.9.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

पीएफआरडीए में कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। सभी विभागाध्यक्ष इसके सदस्य हैं तथा राजभाषा विभाग द्वारा सचिवीय दायित्वों का निर्वहन किया जाता है। वित्तीय 2023-24 के दौरान प्रत्येक तिमाही में समिति की बैठकें आयोजित की गई हैं और उनके कार्यवृत्त हिन्दी में जारी किए गए हैं। वर्ष की अंतिम तिमाही में बैठक की अध्यक्षता पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) द्वारा की गयी थी। प्रत्येक बैठक में पिछली बैठक के दौरान राजभाषा की प्रगति की समीक्षा की जाती है और अगली तिमाही हेतु कार्य योजनाओं की सूची बनाई जाती है। विभागों में हिन्दी में कामकाज को बढ़ावा देने के लिए विभागीय राजभाषा नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। साथ ही, राजभाषा में कामकाज को प्रोत्साहित करने हेतु प्रत्येक माह में एक कार्यदिवस (14 तारीख) का निर्धारण किया गया है।

5.9.2 नराकास (नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति)

पीएफआरडीए द्वारा उचित प्रयासों के बाद वित्त वर्ष

2022-23 की पहली तिमाही में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति दक्षिण दिल्ली – 03 की सदस्यता ग्रहण की गयी है। नराकास द्वारा आयोजित छमाही बैठकों में प्राधिकरण ने भाग लिया। प्राधिकरण द्वारा नराकास की सभी बैठकों एवं राजभाषा सम्मेलन में सहभागिता सुनिश्चित की गयी। राजभाषा विमर्श (पत्रिका) की सदस्यता भी ली गयी है।

5.9.3 सूचना प्रबंधन प्रणाली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय

प्राधिकरण द्वारा गृह मंत्रालय के सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) पोर्टल पर पंजीकरण किया गया है। वर्ष 2023-24 में प्रत्येक तिमाही हेतु प्रगति रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

5.9.4 अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण

- प्राधिकरण में अधिकारियों के हिन्दी ज्ञान सम्बन्धी रोस्टर का निर्माण किया गया है। रोस्टर के आधार पर अधिकारियों हेतु लक्षित प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।
- प्राधिकरण में नवनियुक्त सहायक प्रबन्धकों हेतु हिन्दी में कामकाज पर आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में प्रशिक्षण देने के लिए नराकास से विशेषज्ञ को आमंत्रित किया गया।
- अधिकारियों के लिए कंठस्थ सॉफ्टवेयर पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- इस वित्तीय वर्ष के प्रत्येक तिमाही में प्राधिकरण के अधिकारियों हेतु बाहरी हिन्दी प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी।
- राजभाषा प्रोत्साहन के लिए अधिकारियों हेतु प्रवीण, प्रबोध, प्राज्ञ और पारंगत परीक्षाओं को लागू किए जाने की योजना है।

5.9.5 पीएफआरडीए वेबसाइट

- पीएफआरडीए द्वारा अपनी वेबसाइट www.pfrda.org.in के हिंदी संस्करण को अद्यतन किया जा रहा है।
- साथ ही, पीएफआरडीए द्वारा वित्तीय साक्षरता पहल हेतु शुरू किए गए पेंशन संचय वेबसाइट को भी द्विभाषी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है।

5.9.6 हिंदी दिवस समारोह और राजभाषा पखवाड़ा

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान सितम्बर माह में (14 से 28 सितम्बर के बीच) राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को हिन्दी में कार्य

करने हेतु प्रोत्साहित करना था। कार्यक्रम में निबंध लेखन, स्लोगन, लघुभाषण और क्विज़ प्रतियोगिताएं आयोजित की गयी थीं, जिनमें अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

भव्य कार्यक्रम में विजेताओं को पुरस्कार राशि और प्रमाणपत्र भी प्रदान किए गए। पखवाड़ा के दौरान ही नवनियुक्त अधिकारियों हेतु पुस्तकों की खरीद की गयी तथा उनका वितरण किया गया। प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी ने अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, पुणे में भाग लिया।



5.9.7 समाचारपत्र एवं पत्रिकाएँ

प्राधिकरण में दैनिक हिन्दी समाचारपत्रों और पत्रिकाओं (इण्डिया टुडे, आउटलुक) की व्यवस्था भी की गयी है। वित्त वर्ष में नराकास दक्षिण दिल्ली की पत्रिका राजभाषा विमर्श की सदस्यता ली गयी है।

5.9.8 अन्य निकायों से संवाद

नराकास के अधिकारियों द्वारा राजभाषा और सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। भारत की राजभाषा नीति के अनुसरण में 29 फरवरी, 2024 को वित्तीय सेवा विभाग द्वारा एक निरीक्षण किया गया था। विभागाध्यक्ष और हिंदी नोडल अधिकारियों के साथ निरीक्षण टीम की एक बैठक भी आयोजित की गई। निरीक्षण दल ने अधिकारियों के साथ चर्चा की और कर्मचारियों की तिमाही रिपोर्ट और प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्पणियों को उठाया।

5.10 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आरटीआई)

अधिनियम) को लागू करने के लिए पीएफआरडीए में एक समर्पित प्रकोष्ठ है। प्रकोष्ठ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करता है और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के अधीन कार्य करता है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के अनुसार, पीएफआरडीए ने एक अधिकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया है, जिसके पास सीपीआईओ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है।

आरटीआई अधिनियम के अनुसार, कोई भी नागरिक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, ई.500, टॉवर ई, 5 वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, दिल्ली - 110029 को निर्धारित शुल्क के साथ लिखित रूप में एक उपयुक्त आवेदन करके आरटीआई के तहत जानकारी मांग सकता है और / या आरटीआई अधिनियम के तहत (www.pfrda.org.in) में उपलब्ध ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल के लिंक पर आरटीआई

आवेदन भी कर सकता है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल 740 आरटीआई आवेदन (ऑनलाइन मोड में 663 और ऑफलाइन मोड में 77) और 95 प्रथम अपील अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अंशदान, व्यक्तिगत पेंशन खाता खोलने, एनपीएस, एपीवाई योजना के तहत स्थानांतरण, निकासी और प्रत्याहरण के संबंध में प्राप्त हुई। सभी आवेदनों और अपीलों का सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यथा निर्धारित निर्धारित समय के भीतर उत्तर दे दिए गए/उनका निपटान कर दिया गया।

आरटीआई अधिनियम की धारा 4 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपनी वेबसाइट पर कुछ स्वप्रेरित प्रकटन करने के लिए बाध्य करती है। पीएफआरडीए ने अपनी वेबसाइट पर भी इस तरह के प्रकटन किए हैं। इस प्रकटीकरण का केन्द्र बिन्दु पीएफआरडीए के कार्यकरण और क्रियाकलाप में पारदर्शिता के स्तर में सुधार करना है। इस संबंध में, पीएफआरडीए और उसके अधिकारियों के विभिन्न कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी परिपत्रों पर प्रदान की गई है, और पीएफआरडीए द्वारा जारी अधिनियम, नियम, विनियम, परिपत्र और मैनुअल भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण इस प्रकार हैं

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पीएफआरडीए द्वारा नामित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

डॉ. पूर्णिमा शर्मा, महाप्रबंधक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई 500ए टॉवर . ई, 5 वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एनबीसीसी, नौरोजी नगर, नई दिल्ली . 110029

फोन 011.40717900

ई मेल purnima.s@pfrda.org.in

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पीएफआरडीए द्वारा नामित वैकल्पिक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी

श्री सचिन जोनेजा, महाप्रबंधक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई 500ए टॉवर . ई, 5 वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एनबीसीसी, नौरोजी नगर, नई दिल्ली . 110029

फोन 011-40717900

ई.मेल sachin.joneja@pfrda.org.in

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पीएफआरडीए द्वारा नामित केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी

सुश्री खुशबू परमानंद शुक्ला, प्रबंधक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई 500ए टॉवर . ई, 5 वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एनबीसीसी, नौरोजी नगर, नई दिल्ली . 110029

फोन नंबर 011-40717900

ई.मेल khushbu.shukla92@pfrda.org.in

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पीएफआरडीए द्वारा नामित वैकल्पिक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी

सुश्री प्राची जैन, प्रबंधक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई 500ए टॉवर . ई, 5 वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एनबीसीसी, नौरोजी नगर,

नई दिल्ली 110029

फोन नंबर 011-40717900

ई.मेल prachi.jain@pfrda.org.in

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पीएफआरडीए द्वारा नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री सुमित कुमार, मुख्य महाप्रबंधक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई 500, टॉवर . ई, 5 वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एनबीसीसी, नौरोजी नगर,

नई दिल्ली 110029

फोन 011-40717900

ई मेल k.sumit@pfrda.org.in

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत पीएफआरडीए द्वारा नामित वैकल्पिक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी

श्री विकास कुमार सिंह, मुख्य महाप्रबंधक

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

ई 500ए टॉवर . ई, 5 वीं मंजिल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एनबीसीसी, नौरोजी नगर,

नई दिल्ली 110029

फोन 011-40717900

ई.मेल vikas.s@pfrda.org.in

5.11 संसदीय प्रश्न

2023-24 के दौरान, पीएफआरडीए को वृद्धावस्था आय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संदर्भित 31 संसदीय प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें एनपीएस और एपीवाई पर प्रश्न शामिल हैं। पीएफआरडीए ने संसद को इसका उत्तर देने की सुविधा के लिए समयबद्ध तरीके से सूचना और सामग्री प्रस्तुत की है।

5.12 पीएफआरडीए के खाते

“वित्त-वर्ष 2023-24 के दौरान, पीएफआरडीए ने अपने सभी प्रशासनिक और स्थापना व्ययों को अपने स्वयं के संसाधनों से पूरा किया है। पीएफआरडीए को भारत सरकार से अटल पेंशन योजना के लिए अनुदान और गैप फंड प्राप्त हुआ। अटल पेंशन योजना (एपीवाई) की घोषणा वित्त वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में की गई थी। यह पेंशन योजना 18-40 वर्ष के आयु वर्ग के सभी नागरिकों के लिए है, जिसमें असंगठित क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एनपीएस लाइट/स्वावलंबन के अंतर्गत 18-40 वर्ष की आयु के सभी अभिदाता अटल पेंशन योजना में शिफ्ट होने के लिए पात्र हैं। वित्त-वर्ष 2023-24 के दौरान, पीएफआरडीए को एपीवाई के अंतर्गत एपीवाई सेवा प्रदाताओं और अन्य

प्रचार गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 210 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है।

दिनांक 31.03.2023 तक बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर एपीवाई के अंतर्गत पेंशन देनदारियों और पेंशन आस्तियों के बीच के अंतर को कम करने के लिए “अटल पेंशन योजना के अंतर्गत गैप फंड अनुदान” के रूप में भारत सरकार से 271 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। रिपोर्ट के आधार पर, भारत सरकार ने 271 करोड़ रुपये के अनुदान को मंजूरी दी है और यह वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान प्राप्त हुआ था। इन प्राप्त निधियों को मौजूदा एपीवाई निवेश दिशानिर्देशों और आस्ति आवंटन नीति के अनुसार “एनपीएस ट्रस्ट ए/सी एपीवाई फंड स्कीम” में निवेश किया गया था।

दिनांक 31.03.2024 को बैलेंस शीट, 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि के लिए आय और व्यय खाता और प्राप्ति और भुगतान खाते से युक्त प्राधिकरण के खातों के वार्षिक विवरण को, अनुसूची के साथ पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (बहीखाते और अभिलेखों के वार्षिक विवरणों का प्रारूप) संशोधन नियम 2022 के आधार पर अंतिम रूप प्रदान किया गया है।”

भाग VI

अभिदाताओं के हित को प्रभावित करने वाला कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र

6. अभिदाताओं के हित को प्रभावित करने वाले कुछ क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

6.1 सक्षम विनियमों का अभाव सरकारी नोडल अधिकारियों के लिए बाधा है

- केंद्र सरकार के नोडल कार्यालयों द्वारा एनपीएस के तहत विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने की समयसीमा एनपीएस सीसीएस नियम 2021 के तहत निर्धारित की गई है, जो राज्य सरकार और स्वायत्त निकायों के मामले में सांकेतिक समयसीमा हो सकती है। निर्धारित उपर्युक्त समयसीमा के आधार पर और नोडल कार्यालयों द्वारा लिए गए समय के आंकड़ों के अनुसार, यह देखा गया है कि प्रान सृजन में देरी, और अंशदान का देरी से और अनियमित प्रेषण चिंता के प्रमुख क्षेत्र हैं, क्योंकि यह एनपीएस कॉर्पस संचय पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और इसके परिणामस्वरूप कर्मचारी अभिदाताओं द्वारा सेवानिवृत्ति पर प्राप्य पेंशन प्रभावित होती है।
- प्राधिकरण, समीक्षा बैठकों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों के दौरान, उन्हें लगातार संबंधित सरकारी नोडल कार्यालयों को भेजता रहा है और उनसे कर्मचारियों अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए अपने अंतर्निहित कार्यालयों में एनपीएस के कार्यान्वयन में अनुशासन लाने के लिए कुछ नीतिगत के साथ-साथ परिचालन उपाय करने का आग्रह करता रहा है।
- उल्लेखनीय है कि डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा दिनांक 30.03.2021 की अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित सीसीएस (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 एनपीएस के कार्यान्वयन की सामान्य शर्तों को निर्धारित करता है, जो केवल केंद्र सरकार पर लागू होती है। इस संबंध में, राज्य सरकारें (त्रिपुरा को छोड़कर, जो पहले से ही एनपीएस नियमों को अधिसूचित कर चुकी हैं) एनपीएस के कार्यान्वयन के संबंध में नियमों को भी परिभाषित कर सकती हैं।

6.2 सांविधिक दायित्व जिनका प्राधिकरण ने अनुपालन नहीं किया है।

न्यूनतम आश्वासित रिटर्न योजना

पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा 2 (घ) (ख) के तहत, न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न चाहने वाले अभिदाता के पास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित न्यूनतम

सुनिश्चित रिटर्न प्रदान करने वाली ऐसी योजनाओं में अपने धन का निवेश करने का विकल्प होगा। हालांकि, धारा 20 की उप-धारा 2 (घ) में कहा गया है कि अभिदाताओं द्वारा खरीदे जाने वाले बाजार आधारित गारंटी तंत्र को छोड़कर लाभों का कोई निहित या स्पष्ट आश्वासन नहीं होगा। प्रस्तुत प्रारंभिक MARS डिजाइन, पर बोर्ड के अवलोकन के बाद 13 सितंबर 2023 को एक नई समिति का गठन किया गया है जो एक ऐसी योजना तैयार करती है जो बोर्ड की टिप्पणियों और ईवाई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए जोखिम और वापसी को संतुलित करती है। समिति ने चालू वित्तीय वर्ष में छह बैठकें आयोजित की हैं जिनमें हितधारकों के साथ बैठक और प्राधिकरण के शीर्ष प्रबंधन के साथ बैठक शामिल है। समिति पेंशन निधियों की व्यवहार्यता, अभिदाताओं के लिए आकर्षण के संदर्भ में डिजाइन तत्वों के विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है और एक ऐसा डिजाइन तैयार करने का प्रयास कर रही है जो पूरी तरह से सुरक्षा, लागत प्रभावी और आकर्षक गारंटी दर प्रदान करता है।

6.3 कर्मचारी के वेतन के 10% से अधिक नियोक्ता योगदान पर कराधान

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी नियोक्ता एनपीएस अंशदान को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया था। तदनंतर, विभिन्न राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और पीएसबी/पीएसयू ने भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान अपने कर्मचारियों के लिए नियोक्ता एनपीएस अंशदान में वृद्धि की है।

- नियोक्ता एनपीएस अंशदान में वृद्धि को 80 सीसीडी (2) के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए छूट दी गई थी। केंद्रीय बजट 2022-2023 में यह छूट राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी दी गई थी।
- हालांकि, केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए, वेतन के 10% से अधिक नियोक्ता योगदान कर्मचारियों के हाथों में कर योग्य है जो वर्तमान में पीएसबी/पीएसयू के कर्मचारियों को प्रभावित करता है जो 7 लाख से अधिक एनपीएस अभिदाताओं का गठन करते हैं।
- इसके अलावा, कर्मचारी के एनपीएस खाते में नियोक्ता द्वारा किए गए अंशदान को कर्मचारी के वेतन (बेसिक+डीए) के 10% तक कर 1961 अधिनियम, की धारा 36(i)(iva) के तहत नियोक्ता को व्यावसायिक व्यय में अनुमति दी जाती है। हलाकि अपने

कर्मचारियों के लिए एनपीएस अपनाते हुए नियोक्ता एक कर्मचारी/अभिदाता के सृजन के कॉर्पस लिए कर्मचारी के वेतन का 10% से अधिक अंशदान करने के प्रति उत्साहित नहीं हैं।

6.4 नई कर व्यवस्था के तहत एनपीएस में कर्मचारी के अंशदान की कर योग्यता

वित्त अधिनियम, 2023 के माध्यम से पेश किए गए परिवर्तनों ने भारत में अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं के लिए नई कर व्यवस्था को बहुत आकर्षक बना दिया है। चूंकि एनपीएस में निवेश के लिए नई कर व्यवस्था में कोई आयकर लाभ नहीं है, इसलिए एनपीएस के तहत नए नामांकन में पिछले साल की तुलना में लगभग 5% की कमी दिखाई दी है, जबकि POPs और पीएफआरडीए द्वारा एनपीएस और सेवानिवृत्ति योजना में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने में विभिन्न प्रयास किए गए हैं।

अधिकांश विकसित देशों में, पेंशन योजनाओं में अंशदान को किसी भी अन्य वित्तीय क्षेत्र के उत्पादों के विपरीत कर प्रोत्साहन प्रदान किया गया है ताकि व्यक्तियों को

सेवानिवृत्ति के बाद कामकाजी उम्र की जीवन शैली को बनाए रखने और वृद्धावस्था गरीबी से बचने के लिए लंबी अवधि के लिए अपनी बचत को लॉक.इन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इस तरह की आवश्यकता है क्योंकि बाज़ार में उचित सेवानिवृत्ति सलाह के अभाव में, वित्तीय जागरूकता की कमी वाले व्यक्ति अन्य अल्पकालिक/तत्काल जरूरतों के पक्ष में दीर्घकालिक जरूरतों को अनदेखा/स्थगित करते हैं।

6.5 साइबर खतरे

एनपीएस, किसी भी अन्य वित्तीय प्रणाली की तरह, साइबर खतरों के लिए संभावित रूप से सुभेद्य है। यद्यपि पीएफआरडीए और एनपीएस के मध्यवर्ती साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपाय कर रहे हैं, फिर भी अभिदाताओं से जुड़े गोपनीय डेटा की एक महत्वपूर्ण मात्रा है जो साइबर हमलावरों द्वारा अनधिकृत पहुंच के अधीन हो सकती है। यह सबसे बड़े जोखिमों में से एक को दर्शाता है जो एनपीएस अभिदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

भाग VII

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अधिनियम के अंतर्गत अन्य पेंशन योजनाओं के अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा किये गये अन्य उपाय

7.1 पिछले अध्यायों में उल्लिखित कदमों के अलावा, अभिदाताओं के हितों की रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा की गई कुछ पहलें नीचे दी गई हैं :-

- **पीएफआरडीए के विनियमों की समीक्षा**—बजट भाषण 2023-24 में पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 के उद्देश्यों को बनाए रखते हुए प्रक्रियाओं को सरल बनाने, व्यवसाय करने में आसानी बढ़ाने और अनुपालन लागत को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। नतीजतन, पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत मध्यवर्तियों को नियंत्रित करने वाले नौ विनियमों की आंतरिक और बाहरी समितियों की मदद से समीक्षा की। इन विनियमों में पीएफ, पीओपी, सीआरए, अभिदाता शिकायत निवारण, ट्रस्टी बैंक, संरक्षक, एसईपीएफ और सेवानिवृत्ति सलाहकार से संबंधित विनियम शामिल हैं। पेंशन सलाहकार समिति द्वारा विचार किए जाने और बाद में पीएफआरडीए बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने से पहले प्रस्तावित संशोधनों पर सार्वजनिक परामर्श और स्टैकहोल्डर से इनपुट प्राप्त किया गया था। सभी नौ विनियमों में संशोधन भारत के राजपत्र में अधिसूचित किए गए थे। इसके अलावा, प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2024 तक सात मास्टर परिपत्र जारी किए, जिसमें कुल 68 परिपत्र समेकित हैं।
- **निम्नलिखित विषयों पर मास्टर परिपत्र उनसे संबंधित अलग अलग दिशानिर्देशों को रद्द करता है और उन सभी को एक स्थान पर समेकित करता है**
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कॉर्पोरेट सीजी, एनपीएस लाइट, अटल पेंशन योजना और एपीवाई फंड योजना के लिए एनपीएस/एपीवाई योजनाओं के लिए निवेश दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र।
- एनपीएस टियर I और टियर II (केंद्र/राज्य सरकार, कॉर्पोरेट सीजी, एनपीएस लाइट और एपीवाई के अलावा) के लिए निवेश दिशानिर्देशों पर मास्टर परिपत्र।
- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या प्राधिकरण द्वारा विनियमित या प्रशासित किसी अन्य पेंशन योजना के लिए केंद्रीय अभिलेख रखने वाली एजेंसी के चयन का विकल्प।
- ऑनलाइन प्रान जनरेशन मॉड्यूल (ओपीजीएम) के माध्यम से एनपीएस ऑन.बोर्डिंग।
- सरकारी क्षेत्र के लिए ई-एनपीएस
- एनपीएस के अंतर्गत संचित पेंशन राशि का आंशिक प्रत्याहरण
- ई एपीवाई-एपीवाई अभिदाताओं के लिए आधार की सीडिंग और ऑन बोर्डिंग की सरलता के लिए ऑनलाइन सुविधा
- एनपीएस के अंतर्गत धारित प्रतिभूतियों के लिए **मूल्यांकन दिशानिर्देशों का परिशिष्ट**, हानि की पहचान और उपचार, पेंशन निधियों द्वारा उनके मासिक पोर्टफोलियो ब्यौरों में प्रकटीकरण, ऋण प्रतिभूतियों के वर्गीकरण आदि के संदर्भ में जारी किया गया है।
- **मार्जिन अपेक्षाओं के लिए प्रतिभूतियों को सीसीआईएल के पास मार्जिन के रूप में रखने की अनुमति** - पेंशन निधियों को सरकारी प्रतिभूतियों और टीआरईपीएस में निवेश के लिए मार्जिन अपेक्षाओं हेतु प्रतिभूतियों को सीसीआईएल के पास मार्जिन के रूप में रखने की अनुमति दी गई है।
- **एनपीएस ऑल सिटीजन मॉडल (टियर प्द, एनपीएस कॉरपोरेट मॉडल (टियर I) और एनपीएस टियर II (सभी अभिदाता) के तहत अभिदाताओं के लिए विकल्प एसेट क्लास (अल्टरनेट एसेट क्लास या स्कीम ए को छोड़कर) के अनुसार अनेक पेंशन फंड्स के चयन का विकल्प:** आस्ति वर्गों के अनुसार मल्टीपल पेंशन फंड्स के चयन की सुविधा मौजूदा अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है।
- खाता समूहक ढांचे के अंतर्गत वित्तीय सूचना प्रयोक्ता पीएफआरडीए ने एनपीएस अभिदाताओं के लिए अपने एनपीएस डाटा को खाता समूहक ढांचे के माध्यम से पोर्ट करने के लिए दिशा.निर्देश जारी किए हैं, जिसमें केंद्रीय अभिलेख पालन एजेंसियां (सीआरए) वित्तीय सूचना प्रदाता (एफआईपी) के रूप में नामित हैं। इसके अलावा, मध्यवर्तियों की विशिष्ट श्रेणियों को वित्तीय सूचना उपयोगकर्ताओं (एफआईयू) के रूप में जाना जाता है
- **पीएफआरडीए (एनपीएस आर्किटेक्चर के तहत**

धोखाधड़ी की रोकथाम और रिपोर्टिंग के लिए फ्रेमवर्क) दिशानिर्देश- 2023 . संस्था, एजेंसियों और प्राधिकरण के बोर्ड कानून प्रवर्तन को धोखाधड़ी की रोकथाम और रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देशों और उपायों का एक सेट सुझाना ताकि धोखाधड़ी का पता लगाने, और नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को विकसित किया जा सके।

- **सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत सीआरए प्रणाली की आधार-** आधारित पहुंच के माध्यम से एनपीएस लेनदेनों को सुरक्षित करना:- केन्द्र और राज्य सरकारों के नोडल कार्यालय और उनके स्वायत्त निकाय एनपीएस लेनदेनों के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण कार्यान्वित कर रहे हैं। यह सुरक्षा उपायों को बढ़ाएगा और अभिदाताओं और हितधारकों की सुरक्षा करेगा। यह प्रणाली 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से सुलभ होगी, जो वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड आधारित प्रक्रिया के साथ एकीकृत होगी जिसे सीआरए द्वारा विकसित किया जा रहा है।
- **एनपीएस संरचना के तहत सीआरए के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचा -** यह परिपत्र CRA के लिए एक जोखिम प्रबंधन ढांचे की रूपरेखा तैयार करता है ताकि उच्च सेवा मानकों, उचित परिश्रम और अभिदाताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह सीआरए सिस्टम में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रक्रियाओं और सुरक्षा उपायों के महत्व पर जोर देता है। फ्रेमवर्क को 120 दिनों के भीतर प्राधिकरण को प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अपवादस्वरूप देरी होने पर पूर्व अनुमोदन और ठोस कारणों की आवश्यकता होगी।
- **पीएफआरडीए (एनपीएस आर्किटेक्चर के तहत सरकारी नोडल कार्यालयों के लिए डिजिटल सुरक्षा अभ्यास) परामर्श, 2024 -** इसका उद्देश्य एक व्यापक रणनीति स्थापित करना है जो केन्द्र/राज्य सरकार के नोडल कार्यालयों द्वारा एनपीएस से संबंधित गतिविधियों का संचालन करने के लिए सीआरए द्वारा बनाए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के दौरान संभावित खतरों को दूर करने, गोपनीय डेटा की सुरक्षा करने और डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इष्टतम पद्धतियों, निर्देशात्मक पहलों और पूर्वव्यापी कार्रवाइयों को एकीकृत करती है।
- **एकाधिक वार्षिकियों के माध्यम से सेवानिवृत्ति आय अनुकूलन -** अभिदाताओं की सेवानिवृत्ति आय

अनुकूलन के हित में और उन्हें वार्षिकी विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए, एक ही वार्षिकी सेवा प्रदाता से कई वार्षिकी का विकल्प उपलब्ध कराया गया है। मल्टीपल वार्षिकी का विकल्प उन अभिदाताओं के लिए प्रदान किया गया है जो 10 लाख रुपये से अधिक वार्षिकी कॉर्पस निर्धारित करते हैं, जिसमें प्रत्येक वार्षिकी स्कीम को खरीदने के लिए कम से कम 5 लाख रुपये का उपयोग किया जाता है।

- एनपीएस संरचना के तहत केंद्रीय अभिलेखपाल एजेंसियों (सीआरए) द्वारा प्रदान किए गए तकनीकी प्लेटफॉर्म/प्रणाली तक पहुंचने के लिए सरकारी नोडल कार्यालयों द्वारा अपनाई जाने वाली डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं पर सलाह का परिशिष्ट :- इस बात पर जोर दिया गया है कि नोडल कार्यालयों को संबंधित कार्यालय/सरकारी विभाग में विभिन्न पदानुक्रम के कर्मचारियों/अधिकारियों को चेकर और मेकर की कार्यक्षमता के लिए आईडी आवंटित करनी चाहिए।
- पीएफआरडीए द्वारा विनियमित मध्यस्थों द्वारा क्लाउड सेवाओं को अपनाने पर नीति: यह परिपत्र मध्यवर्तियों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए मध्यवर्तियों द्वारा क्लाउड सेवा को अपनाने पर नीतिगत ढांचे के साथ मध्यवर्तियों को सक्षम और सुसज्जित करने के लिए जारी किया जा रहा है।
- **डी.रेमिट के व्यक्तिगत क्यूआर कोड के माध्यम से एनपीएस अंशदान की सुविधा:-** पीएफआरडीए ने एनपीएस अभिदाताओं के लिए अंशदान का एक नया डिजिटल मोड पेश किया है, जिससे वे डी.रेमिट का उपयोग करके सीधे अपने बैंक खातों से योगदान कर सकते हैं। इस सुविधा के परिणामस्वरूप सभी क्षेत्रों में लगभग 10 लाख डी.रेमिट आईडी बनाए गए हैं। एनपीएस अभिदाता अब डी.रेमिट.आधारित क्विक रिस्पांस (क्यूआर) कोड का उपयोग करके अंशदान कर सकते हैं, जिसे ऑफलाइन भुगतान के लिए ऑफलाइन सहेजा जा सकता है।
- यह सुविधा केवल उन अभिदाताओं के लिए उपलब्ध है जिन्होंने डी.रेमिट आईडी सक्षम किया है।
- पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 के तहत पीओपी.सब एंटीटी (पीओपीएसई) को जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) का समर्पण और उसके संशोधन: व्यापार करने में आसानी की सुविधा के लिए, पीओपी.एसई को एजेंसी मॉडल के तहत

शामिल किया गया है, जिसमें POP पीओपी.एसई को पेंशन एजेंटों के रूप में संलग्न कर सकते हैं और पेंशन योजनाओं के वितरण के लिए उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।

- पूर्ववर्ती पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के विनियमन 3 (i) (iii) के तहत जारी मौजूदा पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) का सरेंडर : केवल अपने कर्मचारियों और अन्य कर्मियों के लिए वितरण और सर्विसिंग। ऐसे पीओपी को सलाह दी गई है कि वे नए पंजीकरण की मांग करें अथवा किसी अन्य पात्र उपस्थिति केंद्र (पीओपी) से संबद्ध हों, जैसा भी मामला हो। लेकिन वे उपरोक्त के पूरा होने तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना जारी रखेंगे।
- **एनपीएस अभिदाताओं के लिए व्यवस्थित एकमुश्त निकासी (एसएलडब्ल्यू) की सुविधा** - पीएफआरडीए ने एसएलडब्ल्यू सुविधा के माध्यम से एकमुश्त राशि के चरणबद्ध आहरण का विकल्प प्रदान किया है। अभिदाताओं को एसएलडब्ल्यू के माध्यम से आवधिक आधार पर मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक रूप से 75 वर्ष की आयु तक की अवधि के लिए उनके सामान्य निकास के समय विकल्प के अनुसार अपने पेंशन कोष का 60% तक निकालने की अनुमति है।
- **अनिवार्य पेनी ड्रॉप सत्यापन** - निकास/प्रत्याहरण अनुरोधों के संबंध में संचालित उचित तत्परता के लिए तत्काल बैंक खाता सत्यापन और अभिदाता के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए पीएफआरडीए ने दिशानिर्देश जारी किए हैं कि निकास/प्रत्याहरण अनुरोधों को संसाधित करने के लिए, और अभिदाता के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए नाम मिलान के साथ पेनी ड्रॉप सत्यापन आवश्यक रूप से सफल होना चाहिए। सीआरए द्वारा पेनी ड्रॉप सत्यापन की विफलता के मामले में निकास / निकासी के लिए और या

अभिदाता के बैंक खाते के विवरण को संशोधित करने के लिए कोई अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- **समेकित खाता विवरण के माध्यम से एनपीएस निवेशों पर सूचित रहने का सरलीकृत और सुरक्षित तरीका** - पीएफआरडीए ने एनपीएस अभिदाताओं के सीएएस में एनपीएस लेनदेन को शामिल करने का विकल्प प्रदान करने के लिए सेबी के साथ पंजीकृत डिपॉजिटरी के साथ एकीकृत करने में सीआरए को सक्षम बनाया है।
- **ई.केवाईसी सेतु** - पहचान के सत्यापन के लिए ई.केवाईसी सेतु के उपयोग के लिए आरई को दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।
- डिजिलॉकर के माध्यम से लेनदेन के एनपीएस स्टेटमेंट तक पहुंचने में आसानी और सुविधा: एनपीएस अभिदाता आसान पहुंच के लिए अपने एनपीएस खाता लेनदेन विवरण को डिजिलॉकर में डाउनलोड कर सकेंगे और अपनी पेंशन बचत देख सकेंगे। स्टेटमेंट टियर I और टियर II दोनों के लिए डाउनलोड किया जा सकता है।

अनुलग्नक की सूची

अनुलग्नक I

पेंशन सलाहकार समिति (पीएसी) की संरचना

अनुलग्नक II

सक्रिय पीओपी.एसपी की राज्यवार कुल संख्या

अनुलग्नक I

पेंशन सलाहकार समिति (पीएसी) की संरचना

1. उप सचिव (स्थापना II), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
2. उप लेखा महानियंत्रक (तकनीकी सलाह), व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय
3. निदेशक (ए / सी), डाक विभाग, नई दिल्ली
4. निदेशक (वित्त/बजट), रक्षा वित्त रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
5. श्री गौरव शर्मा, उप कमांडेंट सीमा सुरक्षा बल गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
6. श्री रमेश चंद्र पांडेय, अनुभाग अधिकारी, वित्त प्रतिष्ठान (एफई) निदेशालय रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में
7. मुख्य कार्यकारी - भारतीय बैंक एसोसिएशन
8. निदेशक, बजट, वित्त विभाग, भोपाल, मध्य प्रदेश शासन
9. अध्यक्ष, एनपीएस ट्रस्ट
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
11. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कोटक पेंशन फंड लिमिटेड
12. प्रबंध निदेशक और सीईओ, प्रोटीयन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (पूर्व में एनएसडीएल ई.गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) प्रबंधन, पुणे
13. निदेशक, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान, पुणे
14. अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्जुअरीज ऑफ इंडिया
15. डॉ. केपी कृष्णन, मानद अनुसंधान प्रोफेसर, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर)
16. श्री धीरेंद्र कुमार, संस्थापक और सीईओ, वैल्यू रिसर्च
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फिक्स्ड इनकम, मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया
18. अध्यक्ष सीआईआई.बीमा और पेंशन संबंधी राष्ट्रीय समिति निदेशक

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य पेंशन सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होंगे।

तत्संबंधी अधिसूचना इस लिंक पर उपलब्ध है -

<https://www.pfrda.org.in/myauth/admin/showimg.cshtml?ID=2180>

अनुलग्नक II
सक्रिय पीओपी.एसपी की राज्यवार कुल संख्या

क्रम सं.	राज्य का नाम	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	128
2	आंध्र प्रदेश	14,954
3	अरुणाचल प्रदेश	405
4	असम	3,204
5	बिहार,	9,621
6	चंडीगढ़	460
7	छत्तीसगढ़	4,936
8	छादरा, नगर हवेली, दमन और दीव	109
9	दिल्ली	4,044
10	गोवा	827
11	गुजरात	13,559
12	हरियाणा	6,147
13	हिमाचल प्रदेश	3,153
14	जम्मू और कश्मीर	2,151
15	झारखंड	4,237
16	कर्नाटक	14,319
17	केरल	10,493
18	लद्दाख	20
19	लक्षद्वीप	12
20	मध्य प्रदेश	13,289

21	महाराष्ट्र	21,373
22	मणिपुर	273
23	मेघालय	536
24	मिजोरम	255
25	नागालैंड	247
26	ओडिशा	6,849
27	पुडुचेरी	307
28	पंजाब	9,453
29	राजस्थान	11,065
30	सिक्किम	140
31	तमिलनाडु	15,683
32	तेलंगाना	5,672
33	त्रिपुरा	669
34	उत्तर प्रदेश	24,108
35	उत्तराखंड	2,910
36	पश्चिम बंगाल	10,236
	कुल (संपूर्ण भारत)	2,15,844

नोट सूची में सीआरए-एनएसडीएल और केफिनटेक-सीआरए और सीएएमएस सीआरए के तहत पंजीकृत अन्य पीओपी-एसपी के डेटा शामिल हैं।

अनुलग्नक III

31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), नई दिल्ली के बहीखातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

1. हमने, 31 मार्च, 2024 तक के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की धारा 19 (2) तथा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अंतर्गत पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के उस वर्ष के लिए आय और व्यय खाते एवं प्राप्तियां और भुगतान खाते पर संलग्न तुलनपत्र (बैलेंस शीट) की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व पीएफआरडीए प्रबन्धन पर है। हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपने विचार व्यक्त करना है।
2. पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं, जो कि सर्वोत्तम लेखाप्रथाओं के वर्गीकरण, अनुरूपता, लेखांकन मानकों और प्रकटन मानकों आदि के साथ लेखांकन उपचार पर आधारित है। विधियों, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ, यदि कोई हों, तो वे निरीक्षण रिपोर्ट/नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में पृथक रूप से वर्णित किए गए हैं।
3. हमने, भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रिया सम्पन्न की है। इन मानकों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और संपन्न करें ताकि वित्तीय विवरणियों के त्रुटिमुक्त होने का उचित आश्वासन दिया जा सके। लेखापरीक्षा में, राशियों और वित्तीय विवरणियों के प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले साक्ष्यों का परीक्षण के आधार पर जांच करना भी शामिल है। लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा, हमारे दृष्टिकोण को समुचित आधार प्रदान करती है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हमने यह रिपोर्ट किया है कि :
 - (i) हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु आवश्यक हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार, हमने रिपोर्ट में टिप्पणियों के अधीन सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं।
 - (ii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटान किए गए तुलनपत्र, आय और व्यय बहीखाते तथा प्राप्तियों एवं भुगतान खाते को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखा एवं अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप) नियम, 2015 एवं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखा एवं अभिलेखों की वार्षिक विवरणी का प्रारूप) यथासंशोधित नियम, 2022 में निर्धारित प्रारूप में तैयार किया गया है।
 - (iii) हमारे विचार से, हमारी लेखापरीक्षा में जहां तक ऐसी खाताबहियों से प्रकट होता है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की खाताबहियों को समुचित रूप से प्रबंधित किया गया है।
 - (iv) हम आगे विवरण देते हैं कि
- क. प्राप्तियां और भुगतान : ₹7,53,69,24,265

अभिलेखों की जांच करने पर, लेखापरीक्षा में पाया गया कि 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2022 तक की अवधि से संबंधित ₹71.51 करोड़ की जीएसटी देयता दिनांक 31 जुलाई 2022 तक लंबित थी। इस राशि में से, पीएफआरडीए

ने मध्यवर्तियों से ₹46.23 करोड़ रुपए प्राप्त किए और उसे वर्ष 2023-24 के दौरान जीएसटी परिषद को भुगतान किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्ति और भुगतान खाते के किसी भी पक्ष में इस राशि को नहीं दर्शाया गया है।

इसी तरह, इसने चालू वर्ष के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए वर्ष 2023-24 के दौरान मध्यवर्तियों से ली गई फीस पर जीएसटी के रूप में ₹38,73,86,592 एकत्र किए और इसमें से इसने वर्ष 2023-24 के दौरान जीएसटी परिषद को ₹38,73,80,172 का भुगतान किया। हालांकि, वर्ष 2023-24 के लिए प्राप्तियों और भुगतान खाते के किसी भी पक्ष में इन आंकड़ों को नहीं दर्शाया गया है।

प्राप्ति एवं भुगतान खाता, कैश बुक की प्रतिकृति है। इस खाते में सभी नकद राशियों को रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वे पिछले वर्ष, चालू वर्ष या आगामी वर्ष से संबंधित हों, जो लेखा अवधि के दौरान प्राप्त या भुगतान की गई हों। इसके अलावा, खातों के एकसमान प्रारूप में प्राप्ति एवं भुगतान खाते के बिंदु संख्या 7 के अंतर्गत किसी भी अन्य प्राप्ति और किसी भी अन्य भुगतान को निर्दिष्ट करने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

इस प्रकार, वर्ष 2023-24 के दौरान मध्यवर्तियों से प्राप्त और परिषद को भुगतान किए गए 84.97 करोड़ रुपये के जीएसटी को वर्ष 2023-24 के प्राप्ति और भुगतान खाते में नहीं दर्शाया गया और इसलिए, यह उस सीमा तक अपर्याप्त था।

ख. सहायता अनुदान

दिनांक 1 अप्रैल 2023 को प्रारंभिक राशि ₹13.56 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2023-24 के दौरान भारत सरकार से 481 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। वर्ष के दौरान, सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज ₹1.12 करोड़ था, स्वावलंबन खाते के तहत प्राप्त राशि ₹4.68 करोड़ रुपये और एपीवाई खाते के तहत ₹19.50 करोड़ रुपये थी। 2023-24 के दौरान उपलब्ध कुल राशि ₹519.86 करोड़ रुपये में से पीएफआरडीए ने ₹489.55 करोड़ (जिसमें ₹0.92 करोड़ सरकारी अनुदान पर अर्जित ब्याज शामिल है) का उपयोग किया और ₹30.31 करोड़ रुपये की राशि शेष है।

- ग. लेखापरीक्षा रिपोर्ट में जिन कमियों को शामिल नहीं किया गया है, उन्हें उपचारात्मक / सुधारात्मक कार्रवाई के लिए अलग से जारी किए गए प्रबंधन पत्र के माध्यम से प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया है।
5. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अध्यक्षीन, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि, इस रिपोर्ट द्वारा निपटान किए गए तुलनपत्र तथा आय एवं व्यय खाते / प्राप्ति और भुगतान खाते, खाताबहियों के अनुरूप हैं।
6. हमारे विचार और हमारी संपूर्ण जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, लेखा नीतियों और खाताबहियों पर टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणी और ऊपर उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-1 में वर्णित अन्य मामलों के अध्यक्षीन, यह भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं
- क. यहाँ तक यह दिनांक 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार पीएफआरडीए के तुलन-पत्र से संबंधित है और
- ख. यहाँ तक यह 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय बहीखाते में व्यय की तुलना में आय की अधिकता (सकारात्मकता) से संबंधित है।

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 20 सितम्बर 2024



(एस.आहलादिनी पंडा)

महानिदेशक – लेखापरीक्षा
उद्योग एवं कॉर्पोरेट मामले, नई दिल्ली

अनुलग्नक ।

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

क. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

पीएफआरडीए के आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 के लिए नहीं, बल्कि दिनांक 31.12.2023 को समाप्त तीसरी तिमाही तक के लिए पीएफआरडीए के सभी विभागों की लेखापरीक्षा पूर्ण की है।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2023-24 के लिए पीएफआरडीए के वर्तमान बहीखातों का लेखापरीक्षा, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म UCC & ASSOCIATES LLP तथा आंतरिक लेखापरीक्षा GRAND MARK फर्म द्वारा समवर्ती की गई थी। इनके निष्कर्षों की सूचना पीएफआरडीए प्रबंधन को रिपोर्ट कर दी गई थी और आंतरिक लेखापरीक्षा फर्म की टिप्पणियों पर पीएफआरडीए द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः पीएफआरडीए में आंतरिक लेखापरीक्षा संतोषजनक है।

ख. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता

विशिष्ट कारणों से प्राप्त अनुदानों की बुकिंग के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और वाउचर का रखरखाव, विभिन्न नियंत्रण रजिस्टर, सहायता अनुदान और स्वीकृति से संबंधित अभिलेख और व्यय अनुमोदन में नियमितता संतोषजनक थी।

ग. अचल आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

पीएफआरडीए द्वारा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अचल संपत्तियों का विभागवार भौतिक सत्यापन किया गया था, जिसमें प्रशासन, आईटी, वित्त और लेखा के विभागाध्यक्षों द्वारा उनके पास मौजूद अचल संपत्तियों का सत्यापन किया गया। यद्यपि, यह विचारणीय है कि अचल संपत्ति का भौतिक सत्यापन धारकों की उपस्थिति में एक अलग टीम द्वारा किया जाना चाहिए।

घ. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वस्तुसूची को 'शून्य' दर्शाया गया था।

ङ. वैधानिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, 31-03-2024 की स्थिति के अनुसार छह माह से अधिक की कोई सांविधिक देय राशि बकाया नहीं थी।



निदेशक (एमजी-II)

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के बिंदु 'क' हेतु :

एनपीएस स्थापत्य में शामिल मध्यवर्तियों की जीएसटी प्राप्तियां और पीएफआरडीए की जीएसटी भुगतान देयता, जो जीएसटी से सम्बन्धित प्राधिकरणों को प्रदत्त होती है, को प्राधिकरण की लेखा.बहियों में उचित रूप से दर्ज किया जाता है।

यद्यपि, इसे प्राप्ति एवं भुगतान खाते में प्रस्तुत नहीं किया गया था।

एस-3 के अनुच्छेद 22 के अनुसार, परिचालन, निवेश या वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को निवल आधार पर रिपोर्ट किया जा सकता है, यदि वे ग्राहक संबंधी गतिविधियों को दर्शाते हों या उनमें त्वरित कारोबार, बड़ी राशियां और न्यून परिपक्वताएं शामिल हों। मध्यवर्तियों की जीएसटी प्राप्तियां, जो पीएफआरडीए द्वारा एकत्र की जाती हैं, का भुगतान को तुरंत किया जाता है और वे इन मानकों के अंतर्गत निवल रिपोर्टिंग के योग्य होती हैं।

परिणामस्वरूप, प्राप्ति और भुगतान खाते में पृथक प्रस्तुतीकरण पर विचार नहीं किया गया है। जैसा कि सीएजी ऑडिट द्वारा सुझाव दिया गया है, जीएसटी प्राप्तियों और भुगतान को वित्तीय वर्ष 2024-25 से वार्षिक खाताबही में प्राप्ति और भुगतान खाते में दर्शाया जाएगा।

पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक के बिंदु 'ग' के लिए :

मौजूदा प्रथा के अनुसार, संबंधित विभागों ने अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया। यद्यपि, बाद में इस प्रयोजन के लिए एक पृथक समिति का गठन किया गया है।

प्रपत्र क [नियम 3 (क) देखें]] पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण 31 मार्च 2024 को तुलन पत्र (इकाई-भारतीय रुपया)							
देनदारियां	सूची	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	संपत्तियां	सूची	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. कोष / पूंजी भंडार	1	4,15,25,26,194	2,97,43,84,095	1. अचल संपत्तियां सकल ब्लॉक	8	2,03,29,41,398	1,40,71,55,918
2. आरक्षित अधिशेष	2	-	-	घटाएं : मूल्यहास कुल ब्लॉक		3,13,90,201	2,86,09,927
3. निर्धारित धर्मादा निधि	3	33,42,09,489	16,94,58,907	2. निर्धारित / बंदोबस्ती कोष से निवेश	9	3,14,89,135	2,91,51,498
4. सुरक्षित ऋण और उधारी	4	-	-	3. निवेश –अन्य	10	2,63,01,00,001	1,22,99,98,001
5. असुरक्षित ऋण और उधारी	5	-	-	4. मौजूदा परिसंपत्ति, ऋण, अग्रिम राशि आदि।	11	1,03,98,93,004	65,51,96,285
6. आस्थगित ऋण और देनदारियां	6	-	-	5. विविध व्यय (कुछ सीमा तक नहीं लिखे गए या समायोजित किए गए)		-	-
7. मौजूदा ऋण और प्रावधान	7	1,21,62,97,654	14,90,48,773				
कुल		5,70,30,33,337	3,29,28,91,775	कुल		5,70,30,33,337	3,29,28,91,775
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24						
आकस्मिक देनदारियां और खातों पर टिप्पणियां	25						
नोट:- तुलन पत्र में सभी अनुसूचियां खाते का हिस्सा हैं। स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024 ममता शंकर सदस्य डॉ. मनोज आनंद सदस्य मंजू भल्ला मुख्य लेखा अधिकारी डॉ. दीपक महान्ती अध्यक्ष							

प्रपत्र ख [नियम 3 (ख) देखें]] पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता (इकाई—भारतीय रुपया)							
व्यय	सूची	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	आय	सूची	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. स्थापना व्यय	20	47,27,68,095	38,04,70,823	1. बिक्री/सेवाओं से आय	12	-	-
2. अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	27,88,32,145	27,09,43,283	2. अनुदान/अनवृत्ति	13	-	-
3. अनुदान, सस्मिडी पर व्यय आदि	22	-	-	3. शुल्क/सदस्यता	14	2,17,78,33,623	1,68,73,00,953
4. ब्याज	23	41,79,97,862	10,044	4. निवेशों से आय (निर्धारित/बंदोबस्ती निधि के हस्तांतरण से निवेश पर आय)	15	-	-
5. मूल्यहास (वर्ष के अंत में कुल—अनुसूची 8 के तदनुसार)		1,00,59,819	55,54,677	5. रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-
				6. अर्जित ब्याज	17	17,95,73,164	6,83,42,542
				7. अन्य आय	18	3,93,233	47,00,630
				8. तैयार माल और कार्य में प्रगति के शेष में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
कुल		1,17,96,57,921	65,69,78,827	कुल		2,35,78,00,020	1,76,03,44,124
आय का शेष व्यय से अधिक		1,17,81,42,099	1,10,33,65,297				
विशेष आरक्षित को अंतरित (प्रत्येक निर्दिष्ट करें)		-	-				
सामान्य आरक्षित को/से अंतरित		-	-				
ोष को अधिशेष /घाटा के रूप में कोष/पूँजी निधि में सुरक्षित		1,17,81,42,099	1,10,33,65,297				
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	24						
आकस्मिक देनदारियां और खातों पर टिप्पणियां	25						
नोट:— सभी अनुसूचियां आय और व्यय खाते का हिस्सा हैं। स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024 ममता शंकर सदस्य डॉ. मनोज आनंद सदस्य मंजू भल्ला मुख्य लेखा अधिकारी डॉ. दीपक महान्ती अध्यक्ष							

प्रपत्र ग [नियम 3(ग) देखें] पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्त और भुगतान खाता (इकाई-भारतीय रुपया)							
क्रम सं.	आवृत्ति	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	क्रम सं.	भुगतान	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1	प्रारंभिक शेष राशि			1.	व्यय		
(क)	नकद	40,000	12,291	(क)	स्थापना व्यय	44,47,57,602	35,65,94,981
(ख)	बैंक बैलेंस			(ख)	प्रशासनिक व्यय	24,06,29,707	30,41,16,960
(i)	चालू खातों में	-	-	2	उपयोग किए गए अनुदान		
(ii)	आवधिक जमा खातों में	27,00,00,000	-	(क)	स्वावलंबन अंशदान (शुद्ध)	1,16,09,848	(15,49,343)
(iii)	बचत बैंक जमा खातों में	17,69,03,444	59,31,07,928	(ख)	स्वावलंबन प्रचार	2,44,300	90,52,700
2.	प्राप्त अनुदान			(ग)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को अनुदान	-	-
(i)	भारत सरकार से			(घ)	एपीवाई अंशदान (शुद्ध)	1,31,133	(15,03,14,665)
(क)	अनुदान सहायता वेतन	-	-	(ङ)	एपीवाई संवर्धन एवं विकस	1,92,25,00,708	2,21,43,11,676
(ख)	अनुदान सहायता सामान्य	-	-	(च)	अनुदान की वापसी	-	15,16,00,000
(ग)	अनुदान सहायता स्वावलंबन अंशदान	-	1,31,00,000	(छ)	ब्याज की वापसी	92,31,086	78,26,865
(घ)	अनुदान सहायता स्वावलंबन और विकास गतिविधियाँ	-	-	(ज)	अन्य एपीवाई गैप निधि	2,71,00,00,000	5,42,00,00,000
(ङ)	अनुदान सहायता एपीवाई अंशदान	-	-	3.	निवेश और जमा राशि		
(च)	अनुदान सहायता एपीवाई और विकास गतिविधियाँ	2,10,00,00,000	1,83,00,00,000	(क)	निर्धारित/धर्मादा निधि से बाहर	2,00,000	36,00,000
(छ)	अन्य (एपीवाई के तहत गैप फंड अनुदान)	2,71,00,00,000	5,42,00,00,000	(ख)	स्वयं के धन से बाहर (निवेश-अन्य)	1,40,16,02,000	46,05,42,000
(ii)	राज्य सरकार से			4.	अचल संपत्तियों और चालू पूंजीगत प्रगतिशील कार्य पर व्यय		
(क)	अनुदान सहायता वेतन	-	-	(क)	अचल संपत्तियों की खरीद	62,98,919	11,92,062
(ख)	अनुदान सहायता सामान्य	-	-	(ख)	पूँजीगत कार्य प्रगति पर व्यय	32,71,77,343	32,01,29,640
(ग)	अनुदान सहायता स्वावलंबन अंशदान	-	-	5.	अधिशेष/धन की वापसी		
(घ)	अनुदान सहायता स्वावलंबन और विकास गतिविधियाँ	-	-	(क)	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से वसूली	4,10,757	-
(ङ)	अन्य	-	-	(ख)	राज्य सरकार को	-	-
(iii)	अन्य स्रोतों से	-	-	(ग)	धन के अन्य प्रदाताओं को	-	-
3.	निवेश पर आय			6.	वित्त शुल्क		
(क)	निर्धारित/धर्मादा निधि	5,656	5,592	(क)	बैंक शुल्क	19,433	9,540
(ख)	स्व-निधि (अन्य निवेश)	-	-	(ख)	अन्य	-	-
4.	प्राप्त ब्याज			7.	अन्य भुगतान (निर्दिष्ट करें)		
(क)	बैंक जमा राशियों पर	13,33,82,679	7,00,28,129	(क)	पूर्वप्रदत्त	3,40,58,917	38,54,019
(ख)	ऋण, उधार आदि	-	-	(ख)	कर्मचारियों को ऋण/उधार (शुद्ध)	-	7,87,000
(ग)	अन्य (ऋण पर ब्याज)	-	-	(ग)	खर्चों के लिए अग्रिम राशि	88,45,120	47,21,304
5.	अन्य आय (निर्दिष्ट करें)			(घ)	सुरक्षा जमा	15,50,000	-
(क)	वार्षिक शुल्क	2,14,17,10,845	1,59,95,83,336	8.	अंतः शेष		
(ख)	विविध सेवाओं से प्राप्त आय	39,62,638	67,14,002	(क)	नकद	40,000	40,000
(ग)	विविध आय	1,41,778	55,20,592	(ख)	बैंक बैलेंस		
6	उधार ली गई राशि	-	-	(i)	चालू खातों में	-	-
7	कोई अन्य आय			(ii)	सामयिक जमा खातों में	-	27,00,00,000
(क)	सुरक्षा जमा राशि/घरोहर राशि	5,24,957	30,500	(iii)	बचत बैंक जमा खातों में	41,76,17,392	17,69,03,444
(ख)	उधार की वसूली	-	75,20,196				
(ग)	संपत्ति के हस्तांतरण	1,11,675	-				
(ङ)	अभिदाता शिक्षा और संरक्षण	64,788	37,83,167				
(च)	कर्मचारियों को ऋण/उधार (शुद्ध)	40,000	-				
(छ)	अन्य	35,805	40,12,450				
	कुल	7,53,69,24,265	9,55,34,18,184		कुल	7,53,69,24,265	9,55,34,18,184
स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024 ममता शंकर सदस्य डॉ. मनोज आनंद सदस्य मंजू भल्ला मुख्य लेखा अधिकारी डॉ. दीपक महान्ती अध्यक्ष							

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 1 31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना <u>कोष / पूंजी भंडार</u> (इकाई—भारतीय रुपया)		
विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
वर्ष के आरंभ में शेष	2,97,43,84,095	1,87,10,18,798
जोड़ें : अप्रयुक्त कोष निधि का प्रारंभिक शेष	-	-
घटाएं : अप्रयुक्त कोष निधि का समापन शेष	-	-
जोड़ें/घटाएं : आय—व्यय से स्थानांतरित निवल आय/व्यय का शेष	1,17,81,42,099	1,10,33,65,297
जोड़ें : आय—व्यय खाते से प्राप्ति योग्य/स्थानांतरित सरकारी अनुदान	-	-
वर्ष की समाप्ति पर शेष	4,15,25,26,194	2,97,43,84,095
स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024 मंजू भल्ला मुख्य लेखा अधिकारी ममता शंकर सदस्य डॉ. मनोज आनंद सदस्य डॉ. दीपक महान्ती अध्यक्ष		

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 2

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना

भंडार और अधिशेष _____

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. पूंजी कोष		
क) वर्ष के आरंभ में	-	-
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि/जोड़ना	-	-
ग) कमी : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2. पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
क) वर्ष के आरंभ में	-	-
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि/जोड़ना	-	-
ग) कमी : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3. विशेष आरक्षित		
क) वर्ष के आरंभ में	-	-
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि/जोड़ना	-	-
ग) कमी : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4. सामान्य आरक्षित		
क) वर्ष के आरंभ में	-	-
ख) वर्ष के दौरान वृद्धि/जोड़ना	-	-
ग) कमी : वर्ष के दौरान कटौती	-	-
कुल	-	-

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 04 जून 2024

मंजू भल्ला
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 3 31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनने हेतु धर्मादा/निधारित निधि										(इकाई-भारतीय रुपया)
विवरण	निधिवार विवरण								31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2024 को
	अटल पेंशन योजना	अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि	स्वावलंबन	अभिदाता पेंशन अनुदान संरक्षण खाता	अटल पेंशन योजना के तहत जीएपी फंड अनुदान					
1. धन की प्रारंभिक शेष राशि	11,85,20,655	3,02,06,688	1,67,45,366	35,61,598	4,24,600				53,95,98,993	
2. धन में जोड़										
क) दान/अनुदान	2,10,00,00,000	-	-	-	2,71,00,00,000				7,26,31,00,000	
ख) धन के खाते में किए निवेश पर आय	-	21,04,336	-	-	-				14,04,662	
ग) वर्ष के दौरान आवृत्ति	20,52,29,874	64,788	4,77,72,729	1,35,226	31,497				16,81,57,492	
घ) अन्य जोड़ (प्रकृति का उल्लेख करें)	-	-	-	-	-				-	
कुल (1+2)	2,42,37,50,529	3,23,75,812	6,45,18,095	36,96,824	2,71,04,56,097				7,97,22,61,147	
3. निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोग/व्यय										
क) पूंजीगत व्यय										
i) अवल संपत्तियां	-	-	-	-	-				-	
ii) अन्य	-	-	-	-	-				-	
कुल	-	-	-	-	-				-	
ख) राजस्व व्यय										
i) वेतन, मजदूरी और भत्ता आदि	-	-	-	-	-				-	
ii) किराया	-	-	-	-	-				-	
iii) अन्य प्रशासनिक व्यय *	-	50,00,000	-	-	-				50,00,000	
iv) अन्य *	2,12,57,43,782	-	5,93,87,989	-	2,71,04,56,097				4,89,55,87,868	7,80,28,02,241
कुल	2,12,57,43,782	50,00,000	5,93,87,989	-	2,71,04,56,097				4,90,05,87,868	7,80,28,02,241
कुल (3)	2,12,57,43,782	50,00,000	5,93,87,989	-	2,71,04,56,097				4,90,05,87,868	7,80,28,02,241
वर्ष के अंत में कुल शेष (1+2-3)	29,80,06,747	2,73,75,812	51,30,106	36,96,824	-				33,42,09,489	16,94,58,907
* अनुसूची 25 की टिप्पणी 4 देखें।										
स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024										
ममता शंकर सदस्य			डॉ. मनोज आनंद सदस्य			मंजू भल्ला मुख्य लेखा अधिकारी			डॉ. दीपक महाप्ती अध्यक्ष	

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 4

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना

सुरक्षित ऋण और उधारी

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) आर्जित देय ब्याज	-	-
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	-
— आर्जित देय ब्याज		
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
— आर्जित देय ब्याज		
5. अन्य संस्थाएं	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. अन्य	-	-
कुल	-	-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू भल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 5

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना

असुरक्षित ऋण तथा उधारी

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार	-	-
3. वित्तीय संस्थाएं	-	-
4. बैंक		
क) सावधि ऋण	-	-
ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
5. अन्य संस्थान	-	-
6. डिबेंचर और बांड	-	-
7. सावधि जमा	-	-
8. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू भल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 6 31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना आस्थगित क्रेडिट देनदारियां (इकाई—भारतीय रुपया)		
विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. पूंजी उपकरणों और अन्य आस्तियों की उपप्राधीयन द्वारा सुरक्षित स्वीकृतियां	-	-
2. अन्य	-	-
कुल	-	-
स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024 ममता शंकर सदस्य डॉ. मनोज आनंद सदस्य मंजू भल्ला मुख्य लेखा अधिकारी डॉ. दीपक महान्ती अध्यक्ष		

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 7 31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना मौजूदा देयताएं और प्रावधान (इकाई-भारतीय रुपया)		
विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
<u>मौजूदा देयताएं</u>		
1. स्वीकृतियां	-	-
2. फुटकर लेनदार और देनदारियां	31,71,86,962	13,41,78,585
3. उधार प्राप्त	-	23,200
4. अर्जित ब्याज पर देय नहीं है		
क) सुरक्षित ऋण/उधारी	-	-
ख) असुरक्षित ऋण/उधारी	-	-
5. वैधानिक देनदारियां		
क) अतिदेय	-	-
ख) अन्य - स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस)	63,46,863	14,41,073
वस्तु और सेवाकर (जीएसटी) के तहत जीएसटी	3,91,997	14,254
वस्तु और सेवाकर #	18,56,74,855	39,023
01 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2022* तक वस्तु और सेवाकर की देनदारियां	25,28,59,606	-
01 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2022* तक वस्तु और सेवाकर की देनदारियों पर ब्याज	41,79,78,429	-
6. अन्य वर्तमान देनदारियां		
क) अन्य i) सुरक्षा जमा	57,74,257	56,47,500
ii) एमएएफ कोष : ₹70,89,000 रुपये (विगत वर्ष: ₹63,10,763)	5,89,000	13,10,763
घटाव : एमएएफ कोष से निवेश : ₹65,00,000 रुपये (विगत वर्ष: ₹50,00,000 रुपये)		
कुल	1,18,68,01,969	14,26,54,397
<u>प्रावधान</u>		
1. कराधान के लिए	-	-
2. ऐच्छिक दान	(32,83,709)	(48,43,223)
3. व्यापार वारंटियां/दावे	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	3,20,40,914	1,04,99,118
5. पेंशन अंशदान देय	-	-
6. छुट्टी नकदीकरण देय	-	-
7. सीएजी लेखापरीक्षा देय	7,38,480	7,38,480
कुल	2,94,95,685	63,94,375
योग	1,21,62,97,654	14,90,48,773
* सूची 25 की टिप्पणी 3(ख)(ii) का संदर्भ करें। # सूची 25 की टिप्पणी 6 (iii) का संदर्भ करें। स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024 ममता शंकर सदस्य डॉ. मनोज आनंद सदस्य मंजू भल्ला मुख्य लेखा अधिकारी डॉ. दीपक महान्ती अध्यक्ष		

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण											
अनुसूची 8											
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना											
अचल संपत्ति											
विवरण	कुल संपत्तियां					मूल्यहास					कुल ब्लॉक
	वर्ष के आरंभ में लागू/मूल्यांकन के रूप में	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान कटौती	वर्ष के अंत में लागू/मूल्यांकन के रूप में	वर्ष के आरंभ में	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौती पर	कुल वर्ष के अंत तक	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को	
अचल संपत्तियां—											
1. भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टेदारी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. भवन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क) फ्रीहोल्ड जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ख) पट्टेदारी जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग) स्वामित्व प्लेट / परिसर जमीन पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
घ) सुपरस्ट्रक्चर जो किसी इकाई से संबंधित नहीं है।	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. संचयन मशीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. वाहन	31,43,636	-	6,29,280	25,14,356	12,36,218	6,92,371	5,97,816	13,30,773	11,83,583	19,07,418	
5. फर्नीचर तथा अलमारियां	53,41,911	1,80,992	2,87,449	52,35,453	28,90,571	15,73,548	2,87,449	41,76,670	10,58,783	24,51,340	
6. कार्यालय उपकरण	1,14,22,274	9,58,418	18,50,113	1,05,30,579	56,34,164	26,31,133	10,78,040	71,87,257	33,43,322	57,88,110	
7. कम्प्यूटर / सहायक उपकरण	2,50,98,278	47,50,084	50,76,888	2,47,71,475	1,81,79,709	46,85,194	50,31,413	1,78,33,490	69,37,985	69,18,569	
8. विद्युत प्रतिष्ठान	1,63,960	10,932	1,03,100	71,792	1,40,409	10,496	1,03,100	47,805	23,987	23,551	
9. पुस्तकालय की पुस्तकें	2,52,942	-	1,81,726	71,216	2,33,384	19,559	1,81,726	71,217	-	19,558	
10. अन्य अचल संपत्तियां	11,81,888	3,65,500	-	15,47,388	2,95,472	4,47,517	-	7,42,989	8,04,399	8,86,416	
चालू वर्ष का कुल योग	4,66,04,889	62,65,926	81,28,556	4,47,42,259	2,86,09,927	1,00,59,818	72,79,544	3,13,90,201	1,33,52,059	1,79,94,962	
विवत वर्ष	4,11,33,312	69,13,876	14,42,298	4,66,04,889	2,36,41,478	55,54,677	5,86,227	2,86,09,928	1,79,94,961	1,74,91,834	
पूंजीकार्य में प्रगति	1,36,05,51,029	62,76,48,110	-	1,98,81,99,139	-	-	-	-	1,98,81,99,139	1,36,05,51,029	
कुल									2,00,15,51,198	1,37,85,45,991	
स्थान: नई दिल्ली											
दिनांक : 04 जून 2024											
ममता शंकर											
सदस्य											
डॉ. मनोज आनंद											
सदस्य											
डॉ. दीपक महान्ती											
अध्यक्ष											
मुख्य लेखा अधिकारी											
मंजूर भत्ता											

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 9

31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना

निर्धारित/धर्मादा निधि में निवेश

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. सावधि जमा	3,14,89,135	2,91,51,498
7. अन्य	-	-
कुल	3,14,89,135	2,91,51,498

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू भल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर

सदस्य

डॉ. मनोज आनंद

सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 10 31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना निवेश — अन्य (इकाई—भारतीय रुपया)		
विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1. सरकारी प्रतिभूतियां	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-
3. शेयर (गैर—कथित)		
नेशनल सेंटर फॉर फाईनेंशियल एजुकेशन (एनसीएफई) के शेयर 10,00,00,000/-		
घटाएं : सरकारी अनुदान से किया गया निवेश*		
<u>9,99,99,999/-</u>	1	1
4. डिबेंचर और बांड	-	-
5. सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम	-	-
6. सावधि जमा (अनुसचित वाणिज्यिक बैंकों में) (सूची 25 की टिप्पणी 9 देखें)	2,63,01,00,000	1,22,99,98,000
7. अन्य	-	-
कुल	2,63,01,00,001	1,22,99,98,001
*सूची 25 की टिप्पणी 7 देखें। स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024 ममता शंकर सदस्य डॉ. मनोज आनंद सदस्य मंजू भल्ला मुख्य लेखा अधिकारी डॉ. दीपक महान्ती अध्यक्ष		

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण		
अनुसूची 11		
31 मार्च 2024 को तुलन पत्र से जुड़ने और उसका हिस्सा बनना		
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम		
(इकाई—भारतीय रुपया)		
विवरण	31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
क) वर्तमान संपत्तियां		
1. माल		
क) संचित और अतिरिक्त	-	-
ख) शिथिल उपकरण	-	-
ग) बिक्री के लिए माल		
तैयार माल	-	-
कार्य व्रगति पर है	-	-
कच्चा माल	-	-
2. विविध देनदार		
क) 6 महीने की अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
ख) अन्य	-	-
3. नकदी	40,000	40,000
4. बैंक बैलेंस		
क) अनुसूचित बैंकों में		
i) चालू खातों पर	-	-
ii) सामयिक जमा खातों पर	-	27,00,00,000
iii) बचत बैंक जमा खातों पर	41,76,17,392	17,69,03,444
ग) गैर-अनुसूचित बैंकों में		
i) चालू खातों पर	-	-
ii) सामयिक जमा खातों पर	-	-
iii) बचत बैंक जमा खातों पर	-	-
5. डाकघर-बचत खाते	-	-
6. अन्य	-	-
कुल (क)	41,76,57,392	44,69,43,444
ख) ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्तियां		
1. ऋण:		
क) स्टॉफ	9,85,000	10,25,000
ख) अन्य संस्था, जो संस्था की तरह की गतिविधियों/उद्देश्यों में संलग्न हैं।	-	-
ग) (अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
2. उधार और अन्य राशि जो नकद या वस्तु के रूप में वसूली जाने वाली कीमत के रूप में प्राप्त हो:		
क) पूंजी खाते पर	-	-
ख) पूर्व भुगतान (पूर्वप्रदत्त खर्च)	3,40,56,068	38,79,210
ग) सुरक्षा जमा	2,22,37,500	39,64,480
घ) सहायक कंपनियों से वसूला जाने वाला जीएसटी (सूची 25 की टिप्पणी 3(ख) (ii) देखें)	25,25,54,521	-
ड) अन्य (सूची 25 की टिप्पणी 2(ii) देखें)	4,81,06,347	2,51,06,463
3. आय अर्जित		
क) उद्दिष्ट और धर्मादा निधि से निवेश पर	6,87,073	7,26,030
ख) अन्य — पर निवेश	9,02,61,388	3,23,70,882
ग) ऋणों तथा उधारों पर	-	-
ड) वार्षिक शुल्क (सूची 25 की टिप्पणी 2(ii) देखें)	17,33,47,715	14,11,80,776
4. वसूली योग्य ढाँचा	-	-
कुल (ख)	62,22,35,612	20,82,52,841
सकल योग (क) + (ख)	1,03,98,93,004	65,51,96,285
* पूर्व भुगतानों में पूर्वप्रदत्त अनुरक्षण शुल्क और एनबीसीसी (इंडिया) लिमि. को वल्टे ट्रेड सेंटर पर स्थित परिसर के रखरखाव के लिए 2.60 करोड़ रुपये का सिंकिंग कोष शामिल है जिसे 2 वर्ष की अवधि के लिए मूर्त किया जाएगा।		
स्थान: नई दिल्ली	मंजू भल्ला	
दिनांक : 04 जून 2024	मुख्य लेखा अधिकारी	
ममता शंकर	डॉ. मनोज आनंद	डॉ. दीपक महान्ती
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 12 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु <u>बिक्री / सेवाओं से आय</u> (इकाई—भारतीय रुपया)		
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1. <u>बिक्री से आय</u>		
क) तैयार माल की बिक्री	-	-
ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
ग) कबाड़ की बिक्री	-	-
2. <u>सेवाओं से आय</u>		
क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क	-	-
ख) व्यावसायिक/परामर्श सेवाएं	-	-
ग) एजेंसी कमीशन और ब्रोकरेज	-	-
घ) रखरखाव सेवाएं (उपकरण/संपत्ति)	-	-
ड.) अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-
स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024 ममता शंकर सदस्य डॉ. मनोज आनंद सदस्य मंजू भल्ला मुख्य लेखा अधिकारी डॉ. दीपक महान्ती अध्यक्ष		

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 13

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

अनुदान / सस्सीडी

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
स्थिर अनुदान / प्राप्त अनवृत्ति		
1. केंद्र सरकार		
2. राज्य सरकार	-	-
3. सरकारी अभिकरण	-	-
4. संस्थान / कल्याणकारी निकाय	-	-
5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू भल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर

सदस्य

डॉ. मनोज आनंद

सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 14

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

शुल्क / सदस्यता

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. प्रवेश शुल्क	-	-
2. वार्षिक शुल्क	2,17,38,77,785	1,68,05,51,951
3. संगोष्ठी / कार्य शुल्क	-	-
4. सलाहकारी शुल्क	-	-
5. लाईसेंस शुल्क	-	-
6. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	39,55,838	67,49,002
7. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	2,17,78,33,623	1,68,73,00,953

नोट: सूची 25 का नोट 13 देखें।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू भल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर

सदस्य

डॉ. मनोज आनंद

सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 15 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय खाते से जुड़ने और उसके भाग के रूप में प्रस्तुत होने के लिए निवेश से आय (निर्दिष्ट और धर्मादा निधियों के निधि में हस्तांतरण से निवेश आय) (इकाई—भारतीय रुपया)				
विवरण	निर्धारित धनराशि से निवेश		निवेश — अन्य	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. ब्याज				
क) सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-	-	-
ख) अन्य बांड/डिबेंचर	-	-	-	-
ग) अन्य *	21,04,336	14,04,662	-	-
2. लाभांश				
क) शेयरों पर	-	-	-	-
ख) म्यूचुअल फंड पर	-	-	-	-
ग) अन्य	-	-	-	-
3. किराया	-	-	-	-
4. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
कुल	21,04,336	14,04,662	-	-
घटाएं: उद्दिष्ट/धर्मादा निधि को हस्तांतरित	21,04,336	14,04,662		
कुल शेष	-	-	-	-
* अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा पर ब्याज स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024 ममता शंकर सदस्य डॉ. मनोज आनंद सदस्य मंजू भल्ला मुख्य लेखा अधिकारी डॉ. दीपक महान्ती अध्यक्ष				

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 16

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

प्रभुत्व शुल्क, प्रकाशन आदि से आय

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. प्रभुत्व शुल्क से आय	-	-
2. प्रकाशन से आय	-	-
3. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	-	-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू भल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 17

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

अर्जित ब्याज

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. सावधि जमा खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों में	17,59,39,899	6,24,22,290
ख) गैर— अनुसूचित बैंकों में	-	-
ग) संस्थाओं में	-	-
घ) अन्य	-	-
2. बचत बैंक जमा खातों पर		
क) अनुसूचित बैंकों में	36,33,265	59,20,252
ख) गैर— अनुसूचित बैंकों में	-	-
ग) डाकघर बचत खातों में	-	-
घ) अन्य	-	-
3) ऋण पर		
क) कर्मचारी/स्टॉफ	-	-
ख) अन्य	-	-
4. देनदार तथा अन्य प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल	17,95,73,164	6,83,42,542
स्रोत पर कर की कटौती	-	-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू भल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 18

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

अन्य आय

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ		
क) स्वामित्व वाली संपत्ति	34,736	-
ख) अनुदान से परे या निःशुल्क प्राप्त संपत्ति	-	-
2. निर्यात प्रोत्साहन वसूल	-	-
3. विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4. विविध आय	3,58,497	47,00,630
कुल	3,93,233	47,00,630
स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024		
मंजू भल्ला मुख्य लेखा अधिकारी		
ममता शंकर	डॉ. मनोज आनंद	डॉ. दीपक महान्ती
सदस्य	सदस्य	अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 19

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि / (कमी) और प्रगतिशिल कार्य

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
क) समापन स्टॉक		
1. तैयार माल	-	-
2. कार्य प्रगति पर	-	-
ख) घटाएं — प्रारंभिक स्टॉक		
1. तैयार माल	-	-
2. कार्य प्रगति पर	-	-
कुल वृद्धि / (कमी) (क-ख)	-	-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू भल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर

सदस्य

डॉ. मनोज आनंद

सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 20

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

स्थापना व्यय

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. वेतन और मजदूरी	39,46,18,163	33,32,71,125
2. भत्ता और बोनस	-	-
3. भविष्य निधि अंशदान	-	-
4. नेशनल पेंशन योजना अंशदान	2,90,54,341	2,48,92,466
5. कर्मचारी कल्याण व्यय	34,70,976	17,65,164
6. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति और सेवांत लाभ पर व्यय	-	-
7. अवकाश वेतन	3,57,37,930	1,33,28,660
8. द्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति	-	-
9. चिकित्सा प्रतिपूर्ति	73,38,441	57,44,737
10. ग्रेच्युटी अंशदान	25,48,244	14,68,670
11. अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल	47,27,68,095	38,04,70,823

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू भल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर

सदस्य

डॉ. मनोज आनंद

सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अनुसूची 21 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु अन्य प्रशासनिक व्यय (इकाई—भारतीय रुपया)		
विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. खरीदारियां	-	-
2. श्रम और प्रसंस्करण खर्च	-	-
3. ढुलाई और आंतरिक परिवहन	-	-
4. बिजली और पावर	21,97,806	19,27,091
5. जल शुल्क	9,50,126	9,39,873
6. बीमा	40,27,257	48,75,244
7. मरम्मत और रखरखाव	50,66,006	61,41,763
8. उत्पाद शुल्क	-	-
9. किराया, दरें और कर	7,54,58,773	8,15,57,285
10. चलते वाहन और उनका रखरखाव	9,73,689	4,54,606
11. डाक, टेलीफोन और संचार शुल्क	71,60,097	51,09,189
12. मुद्रण और लेखन सामग्री	24,18,211	24,17,035
13. यात्रा और वाहन खर्च	2,48,82,626	2,47,86,339
14. सेमिनार/कार्यशालाएं/बैठकों और सम्मेलनों पर व्यय	2,98,78,074	2,22,73,031
15. सदस्यता खर्च	4,43,072	42,09,104
16. फीस और व्यय	-	-
17. लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक	2,23,020	2,46,160
18. आतिथ्य खर्च	-	-
19. पेशेवर शुल्क	3,16,66,329	3,50,59,125
20. पुस्तकें और पत्रिकाएं	6,86,673	5,15,408
21. भर्ती खर्च	81,084	2,08,20,403
22. आशोध्य और संदिग्ध ऋण/उधार के लिए प्रावधान	-	-
23. उपस्थिति अस्तित्व को प्रोत्साहन	-	-
24. अप्रतिलभ्य शेष राशि का लेखा जोखा	-	-
25. पैकिंग खर्च	-	-
26. फ्रेट और अग्रेषण खर्च	-	-
27. वितरण खर्च	-	-
28. विज्ञापन और प्रचार खर्च	9,08,31,417	2,03,81,284
29. अन्य :		
क. सदस्यता शुल्क	13,19,989	9,02,328
ख. कर्मचारी कल्याण	41,22,310	62,16,099
ग. एपीवाई प्रचार	-	66,50,122
घ. अन्य (वेबसाइट शुल्क खर्च, निधि प्रबंधन शुल्क, कंप्यूटर सामग्री +एनसीएफई खर्च इत्यादि)	(35,54,414)	2,54,61,795
	27,88,32,145	27,09,43,283
स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 04 जून 2024 ममता शंकर सदस्य डॉ. मनोज आनंद सदस्य मंजू भल्ला मुख्य लेखा अधिकारी डॉ. दीपक महान्ती अध्यक्ष		

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 22

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

अनुदान/सब्सिडी पर व्यय आदि

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. संस्थानों/संगठनों/राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास को दिया गया अनुदान	-	-
2. संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
3. अन्य :		
कुल	-	-

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू भल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 23

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते से जुड़ने तथा उसके भाग के रूप में प्रस्तुत करने हेतु

ब्याज

(इकाई—भारतीय रुपया)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष
1. निर्धारित ऋणों पर	-	-
2. अन्य ऋणों पर	-	-
3. बैंक के शुल्क	19,433	10,044
4. अन्य *	41,79,78,429	-
कुल	41,79,97,862	10,044

* सूची 25 का नोट 3 (ख) (ii) देखें।

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 04 जून 2024

मंजू भल्ला

मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर

सदस्य

डॉ. मनोज आनंद

सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती

अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 24

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों से जुड़ने और उनका हिस्सा बनने हेतु महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

1. लेखांकन का आधार और वित्तीय विवरण तैयार करना

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण ('प्राधिकरण') भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के परामर्श से भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में अपने वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करता है और प्रत्येक वर्ष खातों की लेखापरीक्षा सी एंड एजी द्वारा की जाती है।

प्राधिकरण के वित्तीय विवरण पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखा तथा अभिलेखों के वार्षिक विवरण का रूप) नियम, 2015 व पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (लेखा तथा अभिलेखों के वार्षिक विवरण का रूप) संशोधन नियम, 2022 के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत भारत सरकार की अटल पेंशन योजना स्कीम, स्वावलंबन योजना और एपीवाई के तहत गैप फंड अनुदान जैसी योजनाओं के खातों को छोड़कर संचयी आधार पर तैयार किए गए हैं, जिनका नकद आधार पर लेखा जोखा रखा जाता है। धर्मादा/निर्धारित निधि की सूचना वार्षिक खातों की अनुसूची 3 के अंतर्गत दी जाती है।

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए पीएफआरडीए को लेखांकन अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों में संपत्ति, देनदारियों (पूंजी प्रतिबद्धता और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण सहित) आय और व्यय की सूचित राशि को प्रभावित करती हैं। यद्यपि, यह माना जाता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं, किंतु वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों में अंतर को संबंधित खाता शीर्ष में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में परिणाम ज्ञात/मूर्त किए जाते हैं।

2. राजस्व को मान्यता

- (i) एनपीएस संरचना में सभी मध्यवर्तियों से वार्षिक/तिमाही शुल्क को संबंधित विनियमों में निर्धारित तरीके से आय के रूप में संचयी आधार पर तब तक मान्यता दी जाती है, जब तक कि अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो।
- (ii) पंजीकरण या नवीकरण अवधि की वैधता के बावजूद, पंजीकरण/नवीकरण के पहले वर्ष में मध्यवर्तियों के पंजीकरण अथवा नवीकरण शुल्क का लेखाजोखा रखा जाता है।
- (iii) केवल उन मामलों को छोड़कर, ब्याज आय को उपार्जित आधार पर मान्यता दी जाती है, जहां प्राधिकरण को सरकारी अनुदान की प्राप्ति होती है, ऐसे अनुदानों पर ब्याज से प्राप्त आय नकद आधार पर होती है।
- (iv) अन्य आय, प्राधिकरणों की गतिविधियों के फलस्वरूप, आनुषंगिक गतिविधियों से अर्जित आय दर्शाती है और आय प्राप्ति का अधिकार मिलने पर ही इसे मान्यता दी जाती है।
- (v) अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि (चिह्नित निधि) से किए गए निवेश पर ब्याज आय को संचयी आधार पर मान्यता दी जाती है और इसे अनुसूची 11 के तहत सूचित किया जाता है।
- (vi) प्राप्ति अधिकार मिलने और संबंधित सेवाओं के लिए मध्यवर्तियों को चालान जुटाने के लिए पीएफआरडीए की पात्रता पर पीएफआरडीए द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बिलरहित राजस्व को मान्यता दी जाती है।

3. सरकारी अनुदान

(i) अटल पेंशन योजना, स्वावलम्बन और एपीवाई के तहत जीएपी फंड अनुदान जैसी योजनाओं के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त होते हैं। इन अनुदानों और इनसे संबंधित खर्चों का हिसाब नकद आधार पर लगाया जाता है।

(ii) विशिष्ट परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान, परिसंपत्ति की लागत के समतुल्य अथवा वस्तुतः संपूर्ण के बराबर होता है, जिसे संबंधित परिसंपत्तियों के सकल मूल्य से कटौती के रूप में उनके रिकार्ड मूल्य के रूप में दर्शाया गया है और संबंधित परिसंपत्तियों को तुलन पत्र में नाममात्र मूल्य पर दर्शाया गया है।

4. निवेश

निवेश बैंकों की सावधि जमाओं में होता है और अधिग्रहण लागत पर किया जाता है।

5. निश्चित परिसंपत्तियां और मूल्यहास

(i) अचल संपत्ति की किसी वस्तु की लागत को संपत्ति के रूप में केवल तभी मान्यता दी जाती है जब

(क) यह संभावना है कि वस्तु से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ प्राधिकरण को प्राप्त होंगे, और

(ख) वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अचल परिसंपत्तियों को उनकी मूल लागत पर कम संचित मूल्यहास और हानि के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है। लागत में अधिग्रहण और निर्माण/प्रतिष्ठानों तथा कर सहित अन्य संबंधित खर्च शामिल किए जाते हैं जिनके लिए लाभों का दावा कहीं और नहीं किया जा सकता है तथा इसमें इच्छित उपयोग के लिए कार्य करने की स्थिति में लाने के लिए अधिग्रहण से संबंधित अन्य आकस्मिक खर्च, भी शामिल किए जाते हैं। बोर्ड द्वारा अनुमोदन के उपरांत, प्राधिकरण ने दिनांक 01 अप्रैल 2023 से अवमूल्यन विधि को रिटन डाउन वैल्यू (डब्ल्यूडीवी) से स्ट्रेट लाइन मेथड (एसएलएम) में बदल दिया है।

लेखा मानक 10 (एएस 10) – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पैरा 63 के अनुसार किसी परिसंपत्ति पर लागू मूल्यहास विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जानी चाहिए और यदि परिसंपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, तो परिवर्तित स्वरूप का दर्शाने के लिए विधि को बदला जाना चाहिए। इस तरह के परिवर्तन की गणना लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में की जानी चाहिए।

लेखा मानक 5 (एएस 5) – अवधि के लिए शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्वावधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के पैरा 24 के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन, केवल वर्तमान अवधि को अथवा मौजूदा अवधि और भविष्य की अवधि दोनों को प्रभावित कर सकता है।

तदनुसार, रिटन डाउन वैल्यू (डब्ल्यूडीवी) से स्ट्रेट लाइन मेथड (एसएलएम) में मूल्यहास की विधि में परिवर्तन को लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। इस प्रकार, परिवर्तन के प्रभाव को वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2023-24 से 1 अप्रैल 2023 तक अचल संपत्तियों की वहन राशि पर संभावित रूप से मान्यता दी गई है।

परिसंपत्तियां	अनुमानित उपयोगी जीवनवधि
भवन, कार्यालय परिसर और आवासीय फ्लैट	30 वर्ष
कंप्यूटर, सर्वर और नेटवर्क्स (अंतिम उपयोगकर्ता उपकरण), दूरभाष/मोबाइल हैंडसेट तथा सहायक सामग्री	3 वर्ष
फर्नीचर और फिक्स्चर, कार्यालय उपकरण, वाहन, अन्य विद्युत प्रतिष्ठान और अन्य सभी वस्तुएं जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं हैं।	5 वर्ष
लीजहोल्ड परिसरों का नवीकरण व्यय	5 वर्ष या लीज अवधि, जो भी कम हो।

(ii) वित्त वर्ष 2023-24 से पूंजीकृत करने के लिए परिसंपत्तियों की न्यूनतम लागत 10,000/-रुपये (पिछले वित्त वर्ष तक 5,000) होगी, तदनुसार अर्हता प्राप्त करने के लिए, 10,000/- रुपये से कम लागत की किसी भी वस्तु को राजस्व व्यय के रूप में मान्यता देकर इसे खरीद वर्ष में आय-व्यय खाते में दर्शाया जाता है।

(iii) वित्त वर्ष 2023-24 से पुस्तकालय की पुस्तकों को राजस्व व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और खरीद वर्ष में आय-व्यय खाते में दर्शाया जाता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 तक, पुस्तकालय की पुस्तकों को पूंजीकृत किया जाता है।

(iv) अनुमोदित मूल्यद्वारा नीति के अनुसार, अचल संपत्तियों के अवशिष्ट मूल्य को मूल लागत का 5 प्रतिशत माना जाता है, तदनुसार अचल संपत्तियों को उनकी मूल लागत के 95 प्रतिशत तक मूल्यद्वारा किया जाता है।

(v) वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई सभी परिसंपत्तियां, जो पूंजीगत प्रकृति की हैं और मौजूदा परिसंपत्तियों का अभिन्न अंग हैं, उनका परिसंपत्ति के उपयोग के दिनों की वास्तविक संख्या के लिए अनुपातिक आधार पर मूल्यद्वारा किया जाता है।

(vi) अमूर्त संपत्ति की किसी वस्तु की लागत को संपत्ति के रूप में केवल तब तक मान्यता दी जाती है जब

(क) यह संभावना है कि वस्तु से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ प्राधिकरण को प्राप्त होंगे और

(ख) वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण से संबंधित लागत को 'अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और पूंजीकरण की तिथि से स्ट्रेट लाइन मेथड से तीन वर्ष की अवधि के भीतर परिशोधन किया जाता है।

(vii) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य को कुल संचित हानि, यदि कोई है, की लागत पर मान्यता दी जाती है। इसमें ऐसी निश्चित परिसंपत्तियाँ शामिल हैं जो सूचित तिथि को इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं।

जब तक निर्माण और स्थापना पूरी नहीं हो जाती और प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती, तब तक प्रगतिशील पूंजी कार्य पर अवमूल्यन दर्ज नहीं किया जाता है।

6. कर्मचारी लाभ प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों के संबंध में उपदान और छुट्टी नकदीकरण संबंधी देनदारियों को भारत की एलआईसी की क्रमशः समूह उपदान योजना तथा समूह छुट्टी नकदीकरण योजना में अंशदान देकर वित्त पोषित किया है जिसे एएस-15 के अनुसार संसाधित किया जाता है। वास्तविक लाभ/हानियों को आय-व्यय खाते में दर्शाया जाता है।

7. नकद और नकद समतुल्य

प्राप्ति और भुगतान खाते में नकद और नकद समतुल्य में बैंक में नकद, कैश-इन-हैंड और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के अल्पकालिक निवेश शामिल हैं।

8. विदेशी मुद्रा लेनदेन

वर्ष के दौरान विदेशी मुद्राओं में होने वाले लेनदेन, लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं।

9. प्रावधान

प्राधिकरण एक प्रावधान को मान्यता देता है जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देनदारी उत्पन्न होती है और यह संभव है कि दायित्व पूरा करने के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को प्रावधानों की समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

10. आकस्मिक देयता

आकस्मिक देयता के लिए प्रकटीकरण वहां किया जाता है जहां:

क) पिछली घटनाओं से उत्पन्न संभावित देयता जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना या गैर-घटना से की जाएगी जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं है, अथवा

ख) पिछली घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयताएं जिसे मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि: (i) यह संभव नहीं है कि दायित्व पूरा करने के लिए आर्थिक लाभों को मूर्त रूप देने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, अथवा (ii) देयता राशि को पर्याप्त विश्वसनीयता से मापा नहीं जा सकता है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 04 जून 2024

मंजू भल्ला
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अनुसूची 25

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए खातों से जुड़ने और उनका हिस्सा बनने हेतु आकस्मिक देयताएं और खातों पर टिप्पणियां

1. आकस्मिक देयताएं 31 मार्च 2024 को प्राधिकरण की ₹7.52 करोड़ रुपये की आकस्मिक देयताएं हैं।

आकस्मिक देयताओं के विवरण निम्नानुसार हैं:

- i) एनबीसीसी से परिसरों के अधिग्रहण पर जीएसटी पर ब्याज: वित्तीय विवरणों की तिथि तक, एनबीसीसी से नए कार्यालय परिसरों के अधिग्रहण से संबंधित वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) के कुछ पहलुओं पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए दिल्ली प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत किया है जैसे जीएसटी वसूली की विधि अर्थात् रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, विचारार्थ आपूर्ति मूल्य जिस पर जीएसटी देय है आदि। विचाराधीन प्रमुख क्षेत्रों में से एक इन लेनदेनों पर जीएसटी देयता पर ब्याज की प्रयोज्यता है। यह आवेदन अभी स्वीकृति हेतु लंबित है। इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2024 तक जीएसटी पर कुल ब्याज देनदारी ₹7.48 करोड़ रुपए है।
- ii) कर्मचारी लाभों का भुगतान –सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान, छुट्टी नकदीकरण आदि कानूनी मामलों से संबंधित विवादित दावों की कुल ₹0.035 करोड़ रुपये की आकस्मिक देनदारियों का प्रकटन किया गया है। वित्तीय विवरणों की तिथि तक मामला विचाराधीन होने के कारण ये दावे लंबित हैं।

2. वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिमों का वसूली की राशि तुलनपत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर मूल्य होता है।

- i) अनुसूची 11 (ख) (2) (ड) – “अन्य” शीर्षक के तहत वसूली योग्य ₹4.81 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022–23 : ₹2.51 करोड़ रुपये) के अग्रिम और अन्य राशि में मुख्यतः डीएवीपी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित (एनआईसीएसआई), पीबीबीसीआई केंद्रीय बिक्री इकाई ऑल इंडिया रेडियो, एनपीएस न्यास तथा जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को भुगतान किए गए अग्रिम शामिल हैं।
- ii) अनुसूची 11 (ख) (3) (घ) – “वार्षिक शुल्क” के खातों में अर्जित आय के रूप में दर्शाई गई ₹17.33 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022–23 : ₹14.11 करोड़ रुपये) की राशि में वित्त वर्ष 2023–24 की चौथी तिमाही के लिए ₹13.79 करोड़ रुपये न्यासी बैंक से और ₹3.54 करोड़ रुपये केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरणों से प्राप्त की जानी है जिसका संचयी आधार पर लेखाजोखा रखा जाता है।

3. कराधान

क) प्रत्यक्ष कर

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 की धारा 34 को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण अपनी संपत्ति, आय, लाभ या प्राप्त लाभ के संबंध में धन-कर, आयकर या किसी अन्य कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। तदनुसार, लेखा पुस्तकों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ख) अप्रत्यक्ष कर

i) वस्तु और सेवा कर इनपुट टैक्स क्रेडिट (जीएसटी आईटीसी) को उसी अवधि में पुस्तकों में मान्यता दी गई है जिसमें प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति को मान्यता दी गई है।

ii) 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई, 2022 तक की अवधि में पीएफआरडीए द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी शुल्क।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सरकार द्वारा जुलाई 2017 में लागू किया गया था। चूंकि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से प्रभावी एक नया कानून है, इसलिए पीएफआरडीए द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी की प्रयोज्यता के संबंध में अन्य वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के विपरीत पीएफआरडीए को कोई स्पष्ट छूट नहीं दी गई थी। परिणामस्वरूप, पीएफआरडीए ने जीएसटी परिषद से अनुरोध किया कि पीएफआरडीए को उचित छूट जारी कर इसी तरह की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। तथापि, परिषद की ओर से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुआ है।

जबकि, जीएसटी अधिसूचना दिनांक 13 जुलाई 2022 के अंतर्गत वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों के समान जीएसटी प्राधिकरणों से छूट के लिए पीएफआरडीए अपने मुद्दा उठाया है, और अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को दी गई छूट को वापस लेकर तदनुसार, पीएफआरडीए ने जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करते हुए पीएफआरडीए लागू गतिविधियों/कार्यों पर जीएसटी के भुगतान और निर्धारित समय के भीतर जीएसटी विभाग को आवश्यक जीएसटी रिटर्न दाखिल करने सहित सभी वैधानिक

आवश्यकताओं का पालन कर रहा है।

इस बीच, पीएफआरडीए को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय सेवा विभाग से पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें विभिन्न जीएसटी परिषद की बैठक के कार्यवृत्त को शामिल कर उल्लेख किया गया कि जीएसटी परिषद ने पीएफआरडीए द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के कराधान के संबंध में किसी भी बदलाव की संस्तुति नहीं की थी।

इसके अनुसरण में, पीएफआरडीए ने 01 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2022 की अवधि के लिए विनियामक सेवाओं पर 18 प्रतिशत की ब्याज दर से जीएसटी देयताओं का अनुमान लगाया गया है। पीएफआरडीए ने संबंधित मध्यवर्तियों से उक्त अवधि के लिए जीएसटी देयता की वसूली कर उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए रिटर्न दाखिल किया है।

ब्याज के संबंध में कानूनी राय मिलने के उपरांत, परामर्श दिया गया था कि ब्याज का भुगतान करने का दायित्व पूरी तरह से सेवाओं के आपूर्तिकर्ता पर होगा और इस तरह के दायित्व को सेवा प्राप्तकर्ता पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

जीएसटी देयता का सारांश—वित्तीय वर्ष के अनुसार नीचे दर्शाया गया है:—

वित्त वर्ष	राशि करोड़ रु. में
2017-18 (01 जुलाई 2017 से)	3.57
2018-19	9.75
2019-20	10.52
2020-21	10.65
2021-22	24.04
2022-23 (31 जुलाई 2022 तक)	12.98
कुल	71.51

जीएसटी देयता और उस पर प्रदत्त ब्याज का सारांश नीचे दिया गया है:

भुगतान का सारांश					
क्रम सं.	विवरण	जीएसटी (करोड़ रु. में)			ब्याज (29 मई 2024 तक)
		वित्त वर्ष 23-24 में प्रदत्त	वित्त वर्ष 23-24 में प्रदत्त	कुल	वित्त वर्ष 24-25 में प्रदत्त
1	वार्षिक शुल्क पर जीएसटी — सभी मध्यवर्ती (अपंजीकृत पेंशन निधि को छोड़कर)	46.23	24.21	70.44	41.91
2	वार्षिक शुल्क अपंजीकृत पेंशन निधि	0.00	0.03	0.03	0.03
3	वार्षिक शुल्क	0.00	1.04	1.04	0.57
	कुल	46.23	25.28	71.51	42.51

क) ₹25.25 करोड़ रुपये (₹24.21 करोड़ रुपये + ₹1.04 करोड़ रुपये) की कुल राशि को 31 मार्च 2024 तक वार्षिक शुल्क और विविध शुल्क पर जीएसटी तुलन पत्र में प्राप्तियों के रूप में जीएसटी अधिकारियों के अनुरूप देयता दर्शायी गई है।

ख) ₹0.03 करोड़ रुपये की अपंजीकृत पेंशन निधि से प्राप्त शुल्क पर जीएसटी देयता का भुगतान प्राप्त शुल्क पर विचार करते हुए किया जाएगा जिसमें कर शामिल हैं क्योंकि इकाई अस्तित्व में नहीं है। इसलिए, इसे 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय खाते में पूर्णरूपेण दर्शाया गया है।

ग) जीएसटी देयता पर ₹42.51 करोड़ रुपये की कुल ब्याज राशि में से ₹41.79 करोड़ रुपये की राशि (31 मार्च 2024 तक संचित) को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए अनुसूची 23 के अंतर्गत आय-व्यय खाता में दर्शाया गया है और अनुसूची 7 के तहत 31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र में संपूर्ण राशि का प्रावधान किया गया है।

घ) इसके बाद, वित्त वर्ष 2024-25 में प्राधिकरण ने उपरोक्त तालिका में दिए गए विवरणानुसार भुगतान की तिथि तक उपार्जित ब्याज सहित संपूर्ण बकाया जीएसटी देयता को माफ कर दिया है।

4. 31 मार्च 2024 तक अप्रयुक्त सरकारी अनुदान अनुसूची 3 धर्मादा/ चिन्हित निधियों के तहत सूचित किया गया है। धर्मादा/ चिन्हित निधि, अनुसूची 3 के तहत सूचित किए जाते हैं जिसमें अटल पेंशन योजना (एपीवाई) अभिदाता शिक्षा और संरक्षण कोष (एसईपीएफ) स्वावलम्बन, अभिदाता पेंशन अंशदान संरक्षण खाता (एसपीसीपीए) और अटल पेंशन योजना के तहत अंतर निधि अनुदान शामिल हैं। व्यय अनुसूची 3 में 'निधि प्रयोजनों के लिए उपयोग/ व्यय' के तहत सूचित किया गया है। चिन्हित निधि में निम्नलिखित शामिल हैं:

i) अटल पेंशन योजना — ₹212.57 करोड़ रुपये का भुगतान क) एपीवाई के लिए विज्ञापन व्यय, ख) एपीवाई सेवा प्रदाताओं (एपीवाई-एसपी) को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि, ग) भारत सरकार को ब्याज का रिफंड और घ) भारत सरकार (जीओआई) को एपीवाई योजना से समय से पहले निकासी के कारण सरकारी सह-अंशदान का रिफंड।

ii) अभिदाता शिक्षा संरक्षण कोष — ₹0.50 करोड़ रुपये का भुगतान एसईपीएफ समिति की संस्तुतियों के अनुसार मीडिया के माध्यम से एनपीएस/ एपीवाई अभिदाताओं में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए है।

iii) स्वावलम्बन — ₹5.93 करोड़ रुपये का भुगतान क) एग्रीगेटर्स को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि, ख) वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) को लौटाई गई ब्याज की राशि, ग) भारत सरकार को एपीवाई योजना से समय से पहले निकासी के कारण सरकारी सह-अंशदान का रिफंड और घ) पात्र अभिदाताओं के संबंधित प्रान में सरकारी सह-अंशदान के लिए न्यासी बैंक को 1,000.00 रुपये का भुगतान दर्शाता है।

iv) अटल पेंशन योजना के तहत अंतर निधि अनुदान — ₹271.04 करोड़ रुपये की राशि अंतर निधि और भारत सरकार को लौटाई गई ब्याज राशि के रूप में दर्शायी गई है।

5. पीएफआरडीए ने वित्त वर्ष 2019-20 में केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान से राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) की शेयर पूंजी के लिए 10 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है। इसलिए, इस निवेश को सरकारी अनुदानों के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई लेखा नीति के अनुसार अनुसूची 10 के तहत 1 रुपये के काल्पनिक मूल्य पर दर्शाया गया है।

6. अचल परिसंपत्तियां

i) वित्त वर्ष 2023-24 से परिसंपत्तियों के मूल्यहास की स्ट्रेट लाइन मेथड में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए मूल्यहास ₹0.37 करोड़ रुपये बढ़ गया है।

ii) तुलन पत्र में अचल परिसंपत्तियों के अंतर्गत दर्शाए गए सकल ब्लॉक की राशि (₹203.29 करोड़ रुपये) की गणना अनुसूची 8 के कॉलम "वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन" के तहत "वर्तमान वर्ष के लिए कुल" (₹4.47 करोड़ रुपये) तथा "पूंजीगत कार्य प्रगति पर" (₹198.81 करोड़ रुपये) की राशि को जोड़कर की गई है। इस प्रकार, 31 मार्च 2024 को निवल ब्लॉक की राशि (₹200.15 करोड़ रुपये) की गणना वर्तमान वर्ष के अंत तक कुल मूल्यहास (₹3.14 करोड़ रुपये) को उपर्युक्त सकल ब्लॉक से घटाकर की गई है।

iii) पूंजीगत कार्यशील प्रगति पर — पीएफआरडीए के बोर्ड ने अपनी 88वीं बैठक में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में इसकी आगामी परियोजना में एनबीसीसी (इंडिया) लिमि. के लिए पीएफआरडीए के लिए अपना परिसर खरीदने को स्वीकृति प्रदान की। अधिकार पत्र के प्रस्ताव के अनुसार खरीदे गए परिसर की लागत 160.96 करोड़ रुपये (पूर्व प्रदत्त अनुरक्षण शुल्क, सिंकिंग फंड और सुरक्षा जमा राशि सहित) है।

तदनुसार, पीएफआरडीए ने उक्त परिसर की खरीद के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को ₹26.67 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 से संबंधित ₹8.00 करोड़ और पूर्व प्रदत्त अनुरक्षण शुल्क तथा सिंकिंग फंड के लिए ₹2.60 करोड़ के भुगतान सहित) का भुगतान किया है। इसके साथ ही, पीएफआरडीए ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान मैसर्स एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड को इंटीरियर वर्क्स अर्थात् फर्निशिंग/फिटिंग के लिए ₹8.65 करोड़ का भुगतान किया।

वर्ष के दौरान संपन्न कार्यों के लिए अनुसूची 7 (वर्तमान देयताओं) के तहत ₹6.97 करोड़ रुपये की राशि सूचित की गई है। अनुसूची 7 के नोट 5 (ख) के अंतर्गत सूचित ₹18.57 करोड़ रुपये की जीएसटी में 31 मार्च, 2024 तक मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को पूंजीगत कार्य के लिए ₹154.72 करोड़ रुपये के भुगतान पर लागू जीएसटी शामिल है। इसके साथ ही, ₹12.51 करोड़ रुपये की अनुमानित पंजीकरण लागत और स्टाम्प शुल्क का भी प्रावधान किया गया है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ₹62.76 करोड़ रुपये की राशि पूंजीगत की गई है।

31 मार्च, 2024 तक कुल ₹198.81 करोड़ रुपये की लागत आई है। प्राधिकरण को 27 मार्च 2024 को परिसर के कब्जे का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। यह परिसर अप्रैल 2024 के महीने से उपयोग के लिए उपलब्ध था और तदनुसार, इसे आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक-10 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की अर्हताओं के अनुरूप पूंजीगत कार्य प्रगति पर के रूप में बनाए रखा है। इस भवन को 01 अप्रैल 2024 से उपयोग के लिए रखा गया था। इसे अनुसूची-8 में 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' के रूप में बताया गया है। इसके बाद, वित्त वर्ष 2024-25 में, प्राधिकरण ने मैसर्स एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड को ₹4.68 करोड़ रुपये और मैसर्स एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड को ₹1.62 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।

(iv) पूंजी प्रतिबद्धता

(क) पूंजीगत कार्य प्रगति पर में एनबीसीसी और एनएसएल को कार्यालय परिसर के अधिग्रहण तथा फर्नीशिंग/फिटिंग के लिए भुगतान की गई किश्तें शामिल हैं, और यह परिसर अभी तक सूचित तिथि को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं है। 'पूंजीगत कार्य प्रगति पर' के संबंध में मैसर्स एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ किए गए अनुबंधों की अनुमानित राशि का पूंजी खातों (अग्रिमों का निवल) पर व्यय किया जाना शेष है वह ₹4.42 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 : ₹43.22 करोड़ रुपये) है, जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) 31 मार्च 2024 तक, पीएफआरडीए ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विकास परियोजनाओं (ईआरपी मॉड्यूल जिसमें मानव संसाधन तथा वित्त एवं लेखा शामिल हैं) से संबंधित कुछ पूंजीगत व्यय की प्रतिबद्धता दर्शायी है। ये प्रतिबद्धताएं ₹14.93 करोड़ रुपये के समझौते के लिए भविष्य में नकदी निकासी दर्शाती हैं। आईटी विकास की ये परियोजनाएं पीएफआरडीए के डिजिटल परिवर्तन प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनसे दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा एवं विकास में योगदान की आशा है।

7. धर्मादा/चिन्हित निधियों से निवेश की राशि ₹3.15 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022-23 : ₹2.91 करोड़ रुपये) को वार्षिक खातों की अनुसूची 9 में सूचित किया गया है जो अभिदाता शिक्षा और संरक्षण कोष (एसईपीएफ) खाते में प्राप्त धन से निष्पादित सावधि जमा के संदर्भ हैं।

8. उपदान तथा छुट्टी नकदीकरण

भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान की गई 29 अप्रैल 2024 की बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर दायित्वों के वर्तमान मूल्य और योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन नीचे दी गई तालिका में दिखाए गए हैं:

तालिका 1. देयता का वर्तमान मूल्य (करोड़ रुपये में)

विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
वर्ष के आरंभ में देयताओं की वर्तमान राशि	3.99	3.64	8.71	7.62
ब्याज लागत	0.29	0.26	0.64	0.55
वर्तमान सेवा लागत	0.17	0.11	0.38	0.18
प्रदत्त लाभ	-	(0.02)	(0.68)	(0.49)
देयताओं पर वास्तविक (लाभ/हानि)	0.16	0.004	3.20	0.85
वर्ष के अंत में देयताओं की वर्तमान राशि	4.61	3.99	12.25	8.71

तालिका 2 – नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (करोड़ रुपये में)

विवरण	उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
वर्ष के आरंभ में नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4.48	3.06	7.66	4.16
योजनागत परिसंपत्तियों से अपेक्षित आय	0.31	0.30	0.64	0.51
अंशदान	0.14	1.14	1.39	3.48
प्रदत्त लाभ	-	(0.02)	(0.64)	(0.49)
नियोजित परिसंपत्तियों से वास्तविक (लाभ/हानि)	-	-	-	-
वर्ष के अंत में नियोजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	4.93	4.48	9.05	7.66

मूल्यांकन के लिए उपयोगी की गई विधि 'प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड' है

	मान्यता	मूल वास्तविक मान्यताएं			
		उपदान		छुट्टी नकदीकरण	
		पॉलिसी 1	पॉलिसी 2	पॉलिसी 1	पॉलिसी 2
31 मार्च 2024 को	छूट दर	7.25%	7.25%	7.25%	7.25%
	वेतन वृद्धि	7.00%	7.00%	7.00%	7.00%
31 मार्च 2023 को	छूट दर	7.25%	7.25%	7.25%	7.25%
	वेतन वृद्धि	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%

9. अनुसूची 10 (6) के तहत सूचित निवेश : निवेश — अन्य में शामिल अनुसूचित बैंकों में सावधि जमा निम्नानुसार हैं .

क्रम सं.	बैंक का नाम	सावधि जमा (राशि करोड़ रुपये में)	
		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1	बैंक ऑफ बड़ौदा	102.01	28.00
2	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	91.00	51.00
3	केनरा बैंक	36.00	30.00
4	एक्सिस बैंक	34.00	14.00
	कुल	263.01	123.00

10. चिकित्सा सहायता निधि योजना

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राधिकरण ने पीएफआरडीए के कर्मचारियों के लिए चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए चिकित्सा सहायता कोष (एमएएफ) योजना लागू की थी। अनुसूची 7 के तहत चिकित्सा सहायता निधि के तहत दर्शायी गई शेष राशि, प्राधिकरण द्वारा किए गए प्रारंभिक अंशदान, कर्मचारियों से प्राप्त उत्तरवर्ती अंशदान के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा किए गए समतुल्य अंशदान और उस पर अर्जित ब्याज से मेल खाती है। चिकित्सा सहायता निधि के तहत प्राप्त किसी भी दावे का भुगतान इस निधि से किया जाता है। चिकित्सा सहायता निधि से किए गए निवेश को चिकित्सा सहायता निधि की शेष राशि से कटौती के रूप में सूचित किया गया है।

31 मार्च 2024 तक एमएएफ शेष राशि का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	राशि (करोड़ रुपये में)
01 अप्रैल 2023 को एमएएफ खाते में प्रारंभिक शेष राशि	0.63
बढ़ोत्तरी : मासिक अंशदान और बचत खाते पर अर्जित ब्याज	0.16
कमी : एमएएफ निधियों से भुगतान	0.01
31 मार्च 2024 को एमएएफ खाते में अंतः शेष	0.78
31 मार्च, 2024 तक सावधि जमा राशि	0.65
बचत बैंक में शेष	0.13
कुल (एफडी+बचत)	0.78

11. अटल पेंशन योजना के तहत जीएपी फंड अनुदान

एपीवाई के तहत अनुमानित पेंशन देनदारियों और पेंशन परिसंपत्तियों के बीच के अंतर को दूर करने के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 'अटल पेंशन योजना के तहत जीएपी फंड अनुदान' के अंतर्गत भारत सरकार से तीसरी किस्त के रूप में 271 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। इस मद के तहत प्राप्त राशि को मौजूदा एपीवाई निवेश दिशानिर्देशों और परिसंपत्ति आवंटन के अनुसार 'एनपीएस न्यास खाता एपीवाई निधि योजना' में निवेश किया गया था। संबंधित आंकड़े वार्षिक खातों की अनुसूची 3 में निर्दिष्ट हैं।

भारत सरकार से एपीवाई के तहत गैप फंड अनुदान की चौथी और अंतिम किस्त वित्त वर्ष 2024-25 में प्राप्त होने की आशा है।

12. प्राप्ति और भुगतान के तहत 'स्वावलंबन अंशदान' तथा 'एपीवाई अंशदान' के आंकड़े (उपयोग किए गए अनुदान के तहत) से अभिदाताओं द्वारा खातों को पूर्व परिपक्व रूप से बंद करने के कारण पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में संबंधित सरकारी योजनाओं से सरकारी सह-योगदान के रिफंड के कारण नकारात्मक शेष राशि प्रकट कर रहे हैं।

13. मध्यवर्तियों से प्राप्त वार्षिक शुल्क – जैसा कि अनुसूची 14 में दिखाया गया है, वित्त वर्ष 2023.24 के दौरान प्राप्त मध्यवर्तीवार वार्षिक शुल्क निम्नानुसार है।

क्रम सं.	विवरण	फीस / शुल्क (राशि करोड़ रुपये में)	
		वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
1	ट्रस्टी बैंक	50.65	35.57
2	केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण	13.07	11.46
3	संरक्षक	4.11	3.21
4	पेंशन निधि	149.56	117.82
5	सेवानिवृत्ति सलाहकार / पीओपी / एसपी / आवेदन / पंजीकरण शुल्क आदि	0.40	0.67
कुल		217.78	168.73

14. अनुसूची 11 के तहत सूचित बचत बैंक शेष में निम्नलिखित शामिल हैं –

क्रम सं.	खाता का नाम	बैंक शेष (राशि करोड़ रुपये में)	
		31 मार्च 2024 को	31 मार्च 2023 को
1	स्वावलंबन कोष *	0.51	1.67
2	अटल पेंशन योजना *	29.80	11.85
3	पीएफआरडीए का सामान्य प्रशासनिक खाता	10.93	3.60
4	एसईपीएफ	0.02	0.03
5	एसपीसीपीए	0.37	0.36
6	एपीवाई के तहत गैप फंड	-	0.04
7	स्वावलंबन कोष '	0.13	0.13
कुल		41.76	17.69
* संबंधित योजनाओं के तहत खातों को समय से पहले बंद करने पर भारत सरकार तथा सरकारी सह-योगदान से प्राप्त अनुदान तथा इन खातों से भुगतान।			

15. वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) के परिचालन व्यय के वित्त पोषण हेतु 1.49 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। यद्यपि, तदुपरांत वित्त वर्ष 2023-24 में पीएफआरडीए के योगदान की आवश्यकता नहीं पड़ी और उक्त प्रावधान को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान उलट दिया गया। यह परिवर्तन वित्तीय विवरणों की अनुसूची 21 के नोट 29 (घ) में सूचित किया गया है।

16. 31 मार्च, 2024 को तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अनुसूची 1 से 25 आय-व्यय खाते के साथ संलग्न है और इसका अभिन्न अंग है।

17. जहाँ आवश्यक था, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत / पुनःसमूहीकृत किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 04 जून 2024

मंजू भल्ला
मुख्य लेखा अधिकारी

ममता शंकर
सदस्य

डॉ. मनोज आनंद
सदस्य

डॉ. दीपक महान्ती
अध्यक्ष

**This Report is in conformity with the format of the Annual Report prescribed
in the Pension Fund Regulatory and Development Authority
(Reports, Returns and Statements) Rules, 2015**

Note: - In case of any conflict between the Hindi version and the English version, the English version will prevail.